लोक-सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
२७ सितम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९, २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२। ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, १२५४ से १२६६ ३४२०—३४४८

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३८

लोक-सभा

मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत–अमरीकी विमान करार

*२१८७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री २८ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीकी वाणिज्यिक विमानों के चलने के सम्बन्ध में भारत और अमरीका की सरकारों के बीच तब से कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की क्या शर्तें हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डी० सी० शर्मा : अमरीका के साथ करार करने में भारत सरकार को इतनी देर क्यों लगी, (**एक माननीय सदस्य** : अभी करार नहीं किया गया), क्योंकि करार के बारे में बातचीत बहुत पहले से चल रही है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि हमें उन्हें विद्यमान करार की समाप्ति की सूचना देनी थी । वह करार बरम्यूडा ढंग का था जिसमें विमान पथों पर फ्रीक्वेन्सीज (बारम्बारता) पूर्व निर्धारित नहीं थी और उससे हमारे अपने यातायात-अधिकारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था । अतः हमें वह करार समाप्त करना पड़ा और उसके स्थान पर उन्हें प्रत्येक विमानपथ पर प्रति सप्ताह दो सेवाएं चलाने के लिये अस्थायी प्राधिकरण दिये गये थे ।

श्री डी० सी० शर्मा : प्रति सप्ताह दो सेवाओं के लिये, जिसके लिये हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया है, पारस्परिकता के नाते अमरीका ने किस प्रकार की सेवा प्रदान की है ?

श्री राज बहादुर : इस समय हमारे विमान अमरीका नहीं जाते ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : किन शर्तों के अधीन अमरीका और भारत के बीच यह अस्थायी करार हुआ है और वह कब तक जारी रहेगा ?

श्री राज बहादुर : और आगे की वार्ताओं तथा समझौते के अधीन, अभी फिलहाल वह एक वर्ष के लिये हुआ है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि भारत-अमरीकी हवाई यातायात के सम्बन्ध में जो समझौता होना है उसमें

हमारी ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो उनको स्वीकार नहीं हैं और उनकी ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो हमें स्वीकार नहीं हैं ? उस समझौते के होने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक हमारे हितों का प्रश्न है, जैसा मैं ने निवेदन किया, वे कितनी ही बिना गिनती की सरविसेज़ ला सकते थे और जिसे फिफ्थ फ्रीडम ट्रफिक कहा जाता है, उसे भी ले सकते थे । इन दोनों कारणों से हमें नुकसान पहुंचता था । इसलिये वह मुआहिदा हम को रद्द करना पड़ा और उसके बदले में आर्जी तौर पर एक साल के लिये एक समझौता कर लिया जिसके मुताबिक उनकी सरविसेज़ यहां आती रहेंगी और दोनों सरविसेज़ को दो दो फ्रीक्वेन्सीज का मौका दिया गया है ।

अहमदाबाद–कलोल लाइन

*२१८८. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे पर अहमदाबाद–कलोल के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) काम की आज तक की कुल प्रगति ४० प्रतिशत है ।

(ख) लगभग २०·८२ लाख रुपये ।

श्री डाभी : यह काम संभवतः कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : मार्च १९५६ तक ।

खनिज जल के स्रोत

*२१८९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज जल के स्रोतों के परीक्षण के सम्बन्ध में दो रूसी विशेषज्ञों की सम्मतियों की रिपोर्ट को सरकार ने उचित रूप से जांचा है और उस पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस देश में कोई ऐसे स्थान बनाये जायेंगे; और

(ग) विशेषज्ञों की क्या मख्य सिफारिशें हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष-कार्य पदाधिकारी, जो विशेषज्ञों के साथ राजधीर और सोहाना के स्रोतों को देखने के लिये गये थे, द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन जिसमें विशेषज्ञों की अस्थायी सिफारिशें भी निहित हैं, विचाराधीन है । भारत के अन्य खनिज स्रोतों सम्बन्धी कुछ सामग्री, जो रूसी विशेषज्ञों ने मांगी थी, उन को भेज दी गई है और विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है । स्रोतों में से किसी एक स्रोत पर ऐसे स्थान की स्थापना करने की संभावना के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों की अंतिम सिफारिशें, उन विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत बातों का अध्ययन करने के बाद भारत सरकार को भेजी जायेंगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि ये विशेषज्ञ किस योजना के अन्तर्गत भारत आये थे और इन स्थानों का निरीक्षण किया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वे किसी योजना-विशेष के अन्तर्गत नहीं आये थे । उनसे कहा गया था कि वे यहां आयें और इसका निरीक्षण करें और इसलिये वे यहां आये; उनको यहां आमंत्रित किया गया था ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि केवल रूसी विशेषज्ञों को ही क्यों आमंत्रित किया गया था ? क्या यह सच है कि रूस में इस प्रकार के बहुत से स्रोत हैं जिनका उपयोग चिकित्सा-प्रयोजनों के लिये होता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह सच है क्योंकि सोवियत रूस में बहुत से खनिज स्रोत हैं जिनका उपयोग चिकित्सा प्रयोजनों के लिये होता है। इसीलिये रूसी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था ।

दूर-संचार सेवायें

*२१९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान, बर्मा, और ईरान से रेडियो-फोटो और दूर-संचार सेवाओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध कब तक स्थापित होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १६]**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : भारत का अन्य किन किन देशों से रेडियो टेलीग्राफ, रेडियो टेलीफोन और रेडियोफोटो सेवाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ?

श्री राज बहादुर : आजकल रेडियो-टेलीग्राफ सेवाओं के मामले में हमारा सम्बन्ध इन देशों से है : ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, चीन अमरीका, अफगानिस्तान, जापान, इन्डोनेशिया, रूस, थाईलैंड, हिन्दचीन, पोलैंड और यूगोस्लेविया ।

रेडियोटेलीफोन सेवाओं का हमारा सम्बन्ध इन देशों से है : ब्रिटेन, इडोनेशिया, मिश्र, ईरान, जापान, पूर्वी अफ्रीका, हांगकांग स्विट्ज़रलैंड, बहरीन, मलाया, अदन, चीन बर्मा, रूस, पोलैंड, और यूगोस्लाविया ।

रेडियोफोटो सेवाओं का हमारा सम्बन्ध ब्रिटेन, अमरीका, चीन और रूस से है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या रेडियो टेलीफोन सेवाओं को बढ़ान का कोई कार्यरूप क्रम है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, हमारा कायक्रम है; किन्तु यह अभी तक अंतिम से निश्चित नहीं हुआ है ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार का विचार देश में रेडियोफोटो सेवा जारी करने का है जैसे, बम्बई और कलकत्ता के बीच अथवा बम्बई और दिल्ली, अथवा बम्बई और मद्रास के बीच और भी इसी प्रकार ?

श्री राज बहादुर : यदि इसकी मांग हुई तो हम इस पर विचार करेंगे । समुद्र-पर संचार सेवा ने इसका प्रबन्ध किया है। यह भारतीय तार सेवा के अधीन आ सकती है

श्री एस० एन० दास : किसी देश में यह सेवा चालू करने के लिये किन बातों पर विचार किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : भावी यातायात की जांच की जाती है और हम इसका निर्धारण दो देशों के बीच आने वाले तारों और संदेशों जाने के आधार पर करते हैं । फिर प्रेस की मांग उन देशों से सम्बन्ध—इन सभी बातों पर विचार किया जाता है, और लाइन खो दी जाती है ।

स्थानीय निकाय

*२१९१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय निकायों को समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों को आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि विभिन्न प्रान्तों में वहां की सरकारें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनको धीरे धीरे कम कर रही है, तथा राजस्थान और उड़ीसा में यह प्रस्ताव हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को हटा दिया जाय ? तो क्या सरकार इसके लिये कोई खास आदेश देगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह सच हो सकता है । किन्तु इसका सम्बन्ध तो राज्य सरकार से है; और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को समाप्त कराने के बारे में हम आदेश नहीं दे सकते ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि डिमोक्रेसी का ट्रेनिंग ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

काम दिलाऊ दफ्तर

*२१९२. **श्री इब्राहीम** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा किसी विशेष पद के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के नामों में से कुछ नाम चुनने के लिये, यदि आवश्यक योग्यताओं वाले सभी व्यक्तियों को परिचय-पत्र न जारी किये गये हों, किन आधारों का अनुसरण किया जाता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : काम दिलाऊ दफ्तर भारत सरकार द्वारा निर्धारित पूर्ववर्तिताओं और बराबरी की योग्यता वाले उम्मीदवारों में वरिष्ठता के अनुसार नाम चुनते हैं । प्रत्येक रिक्त स्थान के लिय केवल कुछ थोड़े से व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है । वर्तमान क्रम इस प्रकार है :—

(क) अकुशल कर्मचारियों के लिये रिक्त स्थानों के मामले में प्रस्तुत किये जाने वाले नामों की संख्या इस प्रकार होगी:—

१ से ४ रिक्त स्थानों के लिये	रिक्त स्थानों की संख्या का ४ गुना
५ और उससे अधिक रिक्त स्थानों के लिये	रिक्त स्थानों की संख्या का ३ ना

(ख) अन्य रिक्त स्थानों के बारे में, प्रस्तुत किये जाने वाले नामों की संख्या इस प्रकार होगी :—

१ अथवा २ ..	रिक्त स्थानों की संख्या का ७ गुना
३ अथवा ४	रिक्त स्थानों की संख्या का ५ गुना
५ और उससे अधिक	रिक्त स्थानों की संख्या का ४ गुना

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या कितनी है और उन पर आवर्तक व्यय कितना है ?

श्री आबिद अली : काम दिलाऊ दफ्तर १२९ हैं और आवर्तक व्यय लगभग ३६ लाख रुपये वार्षिक है ।

श्री इब्राहीम : क्या काम दिलाऊ दफ्तरों के पदाधिकारी पंजीकृत व्यक्तियों के नाम नौकरी के लिये आगे बढ़ाने में मनमानी नीति अपनाते हैं ?

श्री आबिद अली : जी नहीं । उन्हें उन्हीं आदेशों का पालन करना पड़ता है जो इस बारे में उन्हें दिये गये हैं; और वे ऐसा ही करते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : जहां पर दो काम-दिलाऊ दफ्तर हैं, जैसे कि जमशेदपुर में, जहां पर इस्पात कम्पनी का अपना निजी काम-दिलाऊ दफ्तर है और सरकार का अपना एक दफ्तर है, वहां पूर्ववर्तिता कैसे दी जाती है ? क्या ऐसा है कि जब इस्पात कम्पनी को व्यक्ति नहीं

मिलते तब वे सरकारी दफ्तर में जाते हैं या ठीक इसके विपरीत है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : जहां तक निजी मालिकों का सम्बन्ध है, उन पर कोई दायित्व नहीं है कि वे काम-दिलाऊ दफ्तर के ज़रिये काम करें। जहां तक सरकारी और अर्द्ध-सरकारी मालिकों का सम्बन्ध है, उन्हें उन्हीं लोगों को भर्ती करना पड़ता है जिन्हें काम-दिलाऊ दफ्तरों की ओर से भेजा जाता है। जमशेदपुर के बारे में, यह मालिकों की इच्छा पर है कि वे सरकारी दफ्तरों से अथवा अपने निजी दफ्तरों से कर्मचारियों को लें।

खतरे की जंजीर का सामान हटाया जाना

*२१९३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर-पूर्वी रेलवे की कुछ गाड़ियों में से खतरे की जंजीर का सामान हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उत्तर-पूर्वी रेलवे के मुज़फ़्फ़रपुर प्रदेश के कटिहार-बरौनी भाग में छः गाड़ियों में से खतरे की जंजीर का सामान हटा दिया गया है।

(ख) यात्रियों द्वारा संचार के इस साधन के अधिक दुरुपयोग के कारण।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या हम जान सकते हैं कि सुरक्षा के इस साधन के हटाये जाने के बाद यात्री जनता के लिये अपने आप को समाजविरोधी व्यक्तियों और गाड़ियों में यात्रा करने वाले अन्य अवांछनीय व्यक्तियों से बचाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री शाहनवाज़ खां : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि रेलवे मंत्रालय बहुत कठिन परिस्थिति में है। यदि हम गाड़ियों को ठीक समय पर नहीं चलाते तो संसद् में और अन्यत्र हमारी आलोचना की जाती है; यदि हम जंजीरें हटा देते हैं तब भी माननीय सदस्य हमारी आलोचना करते हैं। अतः मेरे विचार से सब से अच्छी बात यह है कि इस ओर ध्यान दिया जाय कि जंजीर खींचने की बुरी आदत माननीय सदस्य अपने तथा अन्य लोगों के प्रयत्न से समाप्त कर दें।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या माननीय सभासचिव यह बता सकेंगे कि रेलवे नियमों में अपराधियों पर ही, न कि गाड़ियों में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर, अभियोग चलाने का कोई उपबन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : वे तर्क कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच की है कि उच्च अधिकारियों को भेजी गई जंजीर खींचने की रिपोर्ट बढ़ा-चढ़ा कर तैयार की गई है और गाड़ियों के देर से चलने के अन्य कारणों को शामिल करने के लिये ऐसा किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! ये सभी तर्क हैं। वे जानकारी के लिये पूछ सकते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में कि इस उपाय के लागू किये जाने से जंजीर खींचने के मामले कम हुए हैं, कोई रिपोर्ट मिली है ?

श्री सी० डी० पांडे : वहां जंजीर ही नहीं है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि खतरे की जंजीरें हटाये जाने के कारण गाड़ियां अब पहले से ठीक समय पर चलने लगी हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह उपाय हम ने हाल ही में लागू किया है और मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद गाड़ियां ठीक समय पर चलने लगेंगी ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मेरा नाम प्रश्नकर्त्ता के नाम के साथ ही जुड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां मेरी प्रति में, माननीय सदस्य का नाम संलग्न नहीं, अन्यथा मैंने उन्हें बुलाया होता ।

श्री बी० एन० मिश्र : मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ऐसा ही है ।

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

छतों पर यात्रा करना

***२१९४. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी रेलवे पर मार्च १९५५ से गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने से कितने यात्रियों की मृत्यु हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : १५-९-५५ तक कोई भी नहीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उन यात्रियों के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है जो छतों पर यात्रा करते-करते स्टेशनों पर के ऊपर के पुलों से टकरा कर घायल हुए हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह घटना कभी-कभी सरकार के ध्यान में आती है, विशेषत: जब कहीं मेला लग रहा हो या अधिक विवाह हों, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक यात्री यात्रा कर रहे हों । रेलगाड़ियों की छतों पर यात्रा करना विधि के अनुसार निषिद्ध है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इन छ: महीनों में रेलगाड़ियों की छतों पर यात्रा करने वालों पर कोई अभियोग चलाया गया ?

श्री शाहनवाज खां : हम ने नर्मी बरती है ।

श्री एम० डी० जोशी : पहले के और इस प्रश्न से यही मालूम होता है कि इस प्रकार की बुराइयां उत्तर-पूर्वी रेलवे पर ही होती हैं । इस प्रकार की निषिद्ध यात्रा कौन सी श्रेणी के यात्री किया करते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि उत्तर-पूर्वी रेलवे पर यात्री-डिब्बों की कमी है और यह भी अनिवार्य है कि किन्हीं अवसरों पर छतों पर भी यात्रा हो । हमारा यह भरसक प्रयत्न है कि जितने भी अधिक इंजिन, डिब्बे, आदि चलाये जा सकें, उतने की व्यवस्था की जाय । हम ने प्रत्येक गाड़ी के साथ जुड़ने वाले डिब्बों की संख्या भी बढ़ा दी : यहां तक कि हम ने प्रति गाड़ी १५ से १६ डिब्बे जोड़ दिये जाने की अनुमति दी है । हम से जो कुछ भी हो सकता है वह हम कर रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि छपरा-मसरक शाखा लाइन पर प्राय: छतों पर यात्रा हुआ करती है और यात्रियों के अनुपात में गाड़ियों की संख्या कम रहती है जिसके परिणामस्वरूप छतों पर यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हो सकता है ऐसा होता हो किन्तु माननीय सदस्य को इस मामले में हमें सहयोग देना चाहिये । मैं नहीं समझता कि छतों पर यात्रा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने से इस हरकत को रोका जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या प्राय: बहुत बड़ी होती है । मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य ने लोगों के नाम कभी ऐसी कोई अपील जारी

की है कि लोगों को ऐसी बुरी आदत छोड़ देनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि वह ऐसा करें और हम भी इस आन्दोलन में अपना हिस्सा अदा करेंगे ।

श्री जयपाल सिंह उठे--

अध्यक्ष महोदय : तर्क में जाने की कोई भी बात नहीं । अगला प्रश्न ।

विदेशी डाक

*२१९६. **श्री गिडवानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित विदेशी डाक सेक्शन से सम्बद्ध कर्मचारीवर्ग ने नियत समय के बाद तक काम करने से इनकार किया जिसके परिणामस्वरूप विदेशी डाक के ढेर लग गये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस बात की क्या कार्यवाही की गई है कि डाक कहीं न रुके और निश्चित समय में ही प्राप्तिस्थान पर पहुंचाया जा सके ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २९ जून, १९५५ से २५ जुलाई १९५५ तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीवर्ग को छोड़ कर कुछ कर्मचारियों ने नियत समय से बाद तक काम करने की सेवा प्रस्तुत नहीं की । खैर, इससे अनुचित रूप से डाक के ढेर नहीं लगे क्योंकि अन्य साधनों द्वारा डाक बांटने की तत्काल व्यवस्था की गई थी ।

(ख) बताया जाता है कि सम्बद्ध कर्मचारियों को इस बात की आशंका हुई कि उनके नियत समय के बाद तक काम करने की भत्ते की दरें घटाई गई हैं । वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।

(ग) वहां के कर्मचारी नियत समय के बाद तक काम करते रहते हैं और तब से स्थिति साधारण है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि क्लर्कों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता बन्द कर दिया गया ?

श्री राज बहादुर : नियत समय के बाद तक काम करने के भत्ते से सम्बद्ध नियमों के निर्वचन से ही यह आशंका पैदा हुई । प्राक्-१९३१ के कर्मचारियों के लिये नियत समय के बाद तक काम करने के भत्ते की एक दर थी जो उत्तर-१९३१ के लगे कर्मचारियों को दी गई दर से अधिक थी । किन्तु १९५० से सभी को प्राक्-१९३१ की दर से भत्ता मिल रहा था । बाद में महालेखापाल द्वारा कुछ भिन्न निर्वचन हुआ, किन्तु हमने वित्त मंत्रालय से प्रार्थना की और अब हर एक बात व्यवस्थित हो चुकी है और इस अधिसमय भत्ते के सम्बन्ध में अब कोई भी विवाद नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या मैं यही समझूं कि अब वही पुरानी दर रखी गई है ?

श्री राज बहादुर : कभी भी इस दर से इनकार नहीं किया गया ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा कि उनकी बकाया राशि चुकाने के लिये कुछ और व्यवस्था की गई थी । वह क्या व्यवस्था थी ।

श्री राज बहादुर : बहुत सी व्यवस्था की जा चुकी हैं । मैं उनको गिना सकता हूं किन्तु उसमें ४-५ मिनट लगेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

जाली टिकट

*२१९७. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९५६ के दौरान जाली टिकट बेचने के अपराध में

खण्डवार, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) क्या उन में कुछ रेलवे कर्मचारी भी थे ; और

(ग) ये टिकट कुछ कितने मूल्य के थे?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

चौधरी मुहम्मद शफी : कितने समय बाद ?

श्री शाहनवाज खां : इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि छानबीन का काम पुलिस कर रही है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार के पास कोई शिकायत या सूचना आई है कि रेलवे कर्मचारी भी इस काम में शामिल हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मामले की छानबीन अभी हो रही है पर हमें सूचना मिली है कि गिरफ्तार व्यक्तियों ने बताया है कि हावड़ा प्रिंटिंग प्रेस के कुछ रेलवे कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं ।

हवाई मार्गों में परिवर्तन

*२१९८. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा यात्रा की सुविधाओं की दृष्टि से इलाहाबाद के लिये मार्ग ग्वालियर हो कर निश्चित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रास्ते में पड़ने वाले विन्ध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर भी विमान रुकेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इलाहाबाद के लिये वायु-मार्ग ग्वालियर हो कर अथवा किसी दूसरे स्थान से हो कर जाय, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या सरकार को यह मालूम है कि यह मार्ग इतना सीधा है कि जो अभी मौजूदा मार्ग है, उससे बहुत छोटा है और इसके मार्ग में वह प्रान्त पड़ता है कि जहां यातायात का कोई साधन नहीं है और क्या सरकार ने इसको वायुमार्ग बनाने के बारे में सोचा है और विचार किया है ?

श्री राज बहादुर : केवल वायु मार्ग सीधा होने से काम नहीं चलता, वायु मार्ग तो हर जगह के लिये सीधा होता है । जो आवश्यक बात होती है वह यह है कि यात्रियों की संख्या वहां से जो उपलब्ध होती है, वह पर्याप्त है अथवा नहीं, अगर पर्याप्त होती है, तब तो हम हवाई जहाज को उधर हो कर ले जाते हैं वरना नहीं ।

श्री आर० एस० तिवारी : जब कोई यातायात नहीं है तो उसके लिये पर्याप्त की तो कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

उत्तर-पूर्वी रेलवे

*२१९९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी रेलवे के कामों को निपटाने के सम्बन्ध में इस कारण कुछ विलम्ब होता है कि उसका मुख्यालय गोरखपुर में है और कुछ शाखायें कलकत्ते में हैं ; और

(ख) क्या इस प्रबन्ध से जनता को कुछ असुविधा और हानि होती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, दावों के निपटारे, किरायों और भाड़ों आदि के प्रत्यर्पण में विलम्ब होने से जनता को कुछ कठिनाई होती है । पर, इन कार्यालयों के दूर दूर होने से दावेदारों और जनता को कोई हानि नहीं होती ।

श्री विश्व नाथ राय : ऊपर दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या शाखा कार्यालयों को कलकत्ता से अन्य स्थानों पर, जो किसी रेलवे से सम्बन्धित हों, हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ऐसा विचार है । दावों के कार्यालयों को केलकत्ते से हटा कर गोरखपुर लाया जा रहा है ।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

*२२००. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की किन किन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ख) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को किस प्रकार से पुनर्गठित करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस बयान की ओर दिलाना चाहता हूं जो तारांकित प्रश्न १७८४ के उत्तर में १४-९-५५ को सभा-पटल पर रखा गया था । कमेटी की दूसरी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है जिन में रेलवे के भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों को मजबूत करने का सुझाव भी शामिल है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा या नहीं और इस पर सभा द्वारा विचार करने के सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय ने कोई कोशिश की है ?

रेलव तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां, यह लाइब्रेरी में रखा हुआ है और जो माननीय सदस्य चाहें वह इस की कापी ले सकते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो सिफारिशें अभी तक नहीं मानी गईं या जिन पर विचार नहीं किया जा सका उनके लिये क्या कारण हैं ।

श्री एल० बी० शास्त्री : फौरन तो सब पर विचार नहीं किया जा सकता, करीब १५३ के सिफारिशें हैं, जिन में से हम ५९ पर विचार कर चुके हैं, बाकी पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : उन पर जल्दी से जल्दी कब से अमल करना शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अपनी जान में तो हम ने बहुत जल्दी की है, मैं समझता हूं कि आप को भी कुछ इत्मीनान रखना चाहिये

मुज़फ़्फ़रपुर रेलवे स्टेशन

*२२०१. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी रेलवे के मुज़फ्फरपुर रेलवे यार्ड (प्रांगन) में स्थान की कमी के कारण मुज़फ्फरपुर और आगे के स्टेशनों को जाने वाले माल गाड़ी के डिब्बे किन्हीं अन्य स्टेशनों पर रोक दिये जाते हैं और इससे विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलव तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) स्थान बढ़ाने और बढ़े हुए यातायात के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था

करन के लिये स्टेशन यार्ड के नये ढंग पर फिर से बनाने की स्वीकृति दे दी गयी है और शीघ्र ही काम शुरू किया जाने वाला है ।

श्री एल० एन० मिश्र : स्टेशन में कितना स्थान है और स्टेशन पर आने वाले जिन माल के डिब्बों को नहीं संभाला जा सकता उनका प्रतिशत क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : इस समय वह २०० डिब्बे प्रतिदिन संभाल सकता है । हम इसे अपर्याप्त समझते हैं और उसे ३०० डिब्बे प्रतिदिन संभालने योग्य बना रहे हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या प्राधिकारियों को कोई शिकायत मिली है कि उत्तर बिहार को जाने वाले पार्सल जो मुज़फ़्फ़रपुर हो कर जाते हैं, पहुंचने में बहुत अधिक समय लेते हैं; यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शाहनवाज खां : यह बात ठीक है क्योंकि यार्ड में स्थान कम होने के कारण कुछ पार्सल गाड़ियों और माल के डिब्बों को रोक लिया जाता है । कभी कभी सीधी जाने वाली गाड़ियों को १० घण्टे और माल के डिब्बों को लगभग २७ घण्टे तक भी रोक लिया जाता है । इन अपरिहार्य्य विलम्बों को भविष्य में कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री एल० एन० मिश्र : उनको केवल कुछ घण्टों के लिये ही नहीं रोका जाता । दीघाघाट और महेन्द्रघाट से दरभंगा तक जाने वाली पार्सल गाड़ियां जिन्हें केवल १०० मील सफ़र करना पड़ता है, ३ और ४ सप्ताह तक ले लेती हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हमें पता नहीं है । यदि माननीय सदस्य कुछ विशेष मामले हमारे सामने रखेंगे तो हम उस पर विचार करेंग ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि मेरा एक टाइपराइटर पटना से निर्मली ६ सप्ताह में पहुंचा ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

खाद्यान्नों पर नियंत्रण

*२२०२. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने संघ सरकार से मांग की है कि उड़ीसा में खाद्यान्नों पर फिर नियंत्रण लगा दिया जाय क्योंकि लगातार सूखा पड़ने के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या राय दी है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री संगण्ण : लगातार सूखा पड़ने और बाढ़ आने के कारण उड़ीसा राज्य की इस समय क्या स्थिति है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सूखे के वर्षों के सम्बन्ध में कुछ कहना समय से पूर्व होगा पर वर्तमान खाद्य स्थिति यह है कि बाढ़ के ऐसे कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर, जहां संचार के साधन टूट गये हैं, खाद्यान्न केवल सिर पर लाद कर ही पहुंचाया जा सकता है । शेष स्थानों की स्थिति ठीक है । हम ने वहां के लिये ९३,००० टन खाद्यान्न आवण्टित कर दिया है और सभी तरफ से, बंगाल और मद्रास में, विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं और प्रतिदिन लगभग १,००० टन खाद्यान्न वहां भेजा जा रहा है ।

श्री संगण्णा : चावल और धान की प्रति मन बिक्री दर क्या है, और क्या वह साधारण उपभोक्ताओं के क्रय-सामर्थ्य के भीतर है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : विभिन्न क्षेत्रों में चावल बहुत रियायती दामों पर बेचा जा रहा है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता की क्रयशक्ति का हम ध्यान रखते हैं ।

श्री नानादास : क्या भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य को बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में जो सहायता दी है उसमें रियायती दामों पर खाद्यान्नों की बिक्री भी सम्मिलित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां ।

औद्योगिक विवाद

*२२०४. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ के दौरान हैदराबाद राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण को श्रम विवाद के कितने मामले सौंपे गये; और

(ख) क्या उनके द्वारा दिये गये निर्णयों को उन उद्योगों ने पूर्ण प्रकार से कार्यान्वित किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). १९५३ और १९५४ में हैदराबाद राज्य स्थित किसी केन्द्रीय क्षेत्र के व्यापारिक संस्था सम्बन्धी किसी विवाद को केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधिकरण को न्याय के लिये नहीं सौंपा । राज्य क्षेत्रों के श्रम विवादों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कुछ पता नहीं है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या वहां भी कोई अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का विचार है ?

श्री आबिद अली : अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने हैदराबाद राज्य की बहुत सी अपीलें अनिर्णीत नहीं पड़ी हैं ।

सड़कों का राजपथ के रूप में परिवर्तन

*२२०५. **श्री जांगड़े** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया है कि पहाड़ी कबाइली क्षेत्र में अम्बिकापुर और जगदलपुर अथवा रायपुर के बीच की सड़क को राजपथ घोषित कर दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में क्या निर्णय हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) रायपुर से होते हुए जगदलपुर से सरायपल्ली तक पहले ही एक राजपथ का मार्ग है । मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि अम्बिकापुर से होते हुए सरायपल्ली से डालटनगंज तक का मार्ग भी राजपथ में शामिल किया जाना चाहिये ।

(ख) राज्य सरकार को सूचित का दिया गया है कि यदि भविष्य में किसी भी समय वर्तमान राजपथ को बढ़ाये जाने का फैसला किया गया तो उनके सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार ने यह ज्ञात किया है कि जिन कारणों या आधारों पर सड़क का राष्ट्रीय राजपथ माना जाना सम्भव होता है उन में से कोई कारण उन पर लागू हो सकते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इस वक्त केन्द्रीय सरकार का कोई इरादा नहीं है कि जो राजपथ वहां मौजूद हैं उनको और भी बढ़ाया जाय, यही कारण है ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार ने यह ज्ञात किया है कि छोटा नागपुर के चिरमिरी सरगोजा से जगदलपुर के बीच छः या सात सौ मील तक यातायात का कोई साधन नहीं है, न रेल है न सड़कें हैं, इसलिये इस राष्ट्रीय राजपथ को हाथ में लेना बहुत जरूरी है ?

श्री शाहनवाज खां : सड़कें बनाना रियासतों का काम है और यह उन्हीं की जिम्मेदारी है । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अपनी रियासत की हुकूमत से भी इस मामले में कोई हरकत करायेंगे ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार को मालूम है कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी नदियां पड़ती हैं कि जिन पर पुल के बनाने में करोड़ों रुपये खर्च होने की सम्भावना है जिसे कि राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती ? इसलिये क्या केन्द्रीय सरकार कोशिश करेंगी कि इसको राष्ट्रीय राजपथ मान कर अपने हाथ में ले ले ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : पहले तो इस पर प्रदेश की सरकार गौर करे कि वह पुलों को बना सकती है या नहीं, फिर वह भारत सरकार को लिखे तो हम उस को कुछ मदद करने की बात सोच सकते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में मिर्ज़ापुर से अम्बिकापुर और अम्बिकापुर से रायपुर और आगे जगदलपुर तक एक राजपथ बनाने का कोई विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी सभी बातें विचाराधीन हैं ।

कर्मचारी लाभ निधि

*२२०६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे राजस्व से कर्मचारी लाभ निधि को दिये जाने वाले अंशदान को बढ़ाने के प्रस्ताव का अन्तिम निश्चय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि निश्चित कर दी गई है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार कोई भी राशि निश्चित नहीं की गयी है, पर १-४-५५ से तीन वर्षों के लिये सभी रेलों पर रेलवे राजस्व से कर्मचारी लाभ निधि को दिया जाने वाला अंशदान १ रुपये से बढ़ा कर २ रुपये कर दिया गया है ।

(ग) उक्त भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या प्रति व्यक्ति अंशदान बढ़ जाने के बाद तपेदिक से बीमार कर्मचारियों को दिये जाने वाले दया अनुदान में वृद्धि हो जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह निधि रेलवे कर्मचारियों के लाभ के लिये है; उनके मनो-विनोद के लिये और उन निवृत्तिप्राप्त लोगों के लिये है जिनकी दशा अच्छी नहीं है । यह बात प्रत्येक मामले की स्थिति पर विचार करके तय की जायेगी कि किसे कितनी राशि दी जाय ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : १९५५-५६ के लिये सम्पूर्ण राशि क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय संसद्-कार्य मंत्री ने बताया कि प्रति व्यक्ति अंशदान १ रुपये से बढ़ा कर २ रुपये कर दिया गया है । क्या यह सच नहीं है कि १ रुपये के पहले यह

३ रुपये था, और इसे फिर ३ रुपये कब कर दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : पहले ३ रुपये थे; बाद में घटा कर १ रुपया कर दिया गया और हम ने अब फिर बढ़ा कर २ रुपये कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे माननीय सदस्य को कोई नयी बात नहीं मालूम हुई । उनका प्रश्न था कि क्या उसे फिर बढ़ा कर ३ रुपये करने का विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी कुछ महीने पहले ही हम ने उसे बढ़ा कर २ रुपये रखा है और हम अभी और कुछ बढ़ाने का विचार नहीं करते ।

पश्चिमी बंगाल में मलेरिया नियंत्रण एकक

*२२०९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि पश्चिमी बंगाल में मलेरिया नियंत्रण एकक का क्या कार्यक्रम है, और १९५५–५६ के दौरान वहां कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल राज्य के लिये २२ मलेरिया नियंत्रण एकक रखे गये हैं जिनमें से १६ चल रहे हैं । शेष ६ एकक आवश्यक सामान और परिवहन मिल जाने पर काम शुरू करेंगे । १९५५–५६ में इस कार्यक्रम पर अनुमानतः ८०,७७,००० रुपये व्यय किये जायेंगे (केन्द्रीय सरकार ४१,५९,००० रुपये सामान आदि के लिये व्यय करेगी और राज्य सरकार ३९,१८,००० रुपये कार्यवहन व्यय में लगायेगी) ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दो वर्ष बाद इस वर्ष मलेरिया बहुत फैला हुआ है, क्या सरकार पश्चिमी बंगाल में मलेरिया नियंत्रण एककों की संख्या अधिक बढ़ाना चाहती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं ने अभी बताया कि २२ एककों में से १६ को पहले ही रखा गया था और केवल तीन मास पूर्व ६ नये एककों का आवण्टन किया गया । यदि राज्य सरकार अधिक की मांग करेगी तो हम अधिक एकक देने के लिये तैयार हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार को पता है कि चारों ओर यह शिकायत की जा रही है कि अब डी० डी० टी० अच्छी प्रकार का नहीं मिलता और उसमें इतनी अधिक मिलावट रहती है कि वह मच्छरों के फैलने को नहीं रोक पाता जैसा कि पहले वर्ष हुआ था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें इस सम्बन्ध में कुछ पता नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : माननीय उपमंत्री ने बताया कि २२ एककों का आवण्टन किया गया है और १६ एकक चल रहे हैं । अन्य एकक क्यों काम नहीं कर रहे हैं ? क्या सरकार के दिलचस्पी न लेने के कारण ऐसा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह उत्तर नहीं समझ सके । २२ एककों में से १६ पहले से काम कर रहे थे और ६ अभी और जोड़ दिये गये हैं । यह उत्तर था ।

श्री एन० बी० चौधरी : डी० डी० टी० का छिड़काव वर्ष में कितनी बार होता है । एक या दो बार ? यदि दो बार, तो क्या सम्पूर्ण राज्य में छिड़काव होता है या केवल कुछ क्षेत्रों में ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जहां एकक काम कर रहे हैं वहां डी० डी० टी० का छिड़काव किया जा रहा है । छिड़काव की संख्या बताने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगी ।

विमान यात्रा भाड़े

***२२१०. श्री काजरोल्कर** : क्या **संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रात और दिन की विमान यात्रा के भाड़ों को बराबर कर दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार रात की विमान यात्रा के भाड़े को रेल के पहले दर्जे के किराये के बराबर करने का विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नागपुर-दिल्ली और नागपुर-दिल्ली लाइन पर रात और दिन के भाड़े बराबर हैं। अन्य लाइनों पर रात का भाड़ा दिन के भाड़े से, मोटे तौर पर १० प्रतिशत कम है।

(ख) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री काजरोल्कर : क्या रात को जाने वाले विमानों में अधिकांश स्थान खाली रहता है ? यदि हां, तो क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की आय में वृद्धि करने के लिये रात्रि की यात्रा का भाड़ा कम करना उचित नहीं होगा ?

श्री राज बहादुर : रात्रि विमान सेवा में बड़ी भीड़ होती है और हम लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पाते ।

श्री ए० एम० थामस : भाड़ों में अभी हाल में जो वृद्धि की गयी है, क्या उससे आय पर कुछ प्रभाव पड़ा है ?

श्री राज बहादुर : यातायात के आंकड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । यातायात में कोई कमी या बढ़ती नहीं हुई।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार यह महसूस करती है कि विमान के भाड़े, दिन और रात दोनों यात्राओं के, बहुत अधिक हैं ?

श्री राज बहादुर : ये भाड़े अन्य देशों के भाड़ों की तुलना में और वैसे भी अधिक नहीं हैं ।

सर्किल के मुख्याधिकारियों का सम्मेलन

***२२११. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २९ सितम्बर, १९५४ को हुए मुख्याधिकारियों के सम्मेलन में निश्चित की गई वे प्रमुख योजनायें क्या हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने के लिये, सर्किलों के मुख्याधिकारियों द्वारा भेजी गई ह; और

(ख) क्या सरकार ने उन योजनाओं के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है; यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस सम्मेलन द्वारा कोई मुख्य योजनायें निश्चित नहीं की गई थीं । फिर भी, इस सम्मेलन में द्वितीय पचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर विचार किया गया था, जिन पर अभी जांच की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं जान सकता हू कि यह सम्मेलन किस लिये बुलाया गया था ?

श्री राज बहादुर : यह सम्मेलन हर वर्ष बुलाया जाता है । इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो कुछ प्रगति हो रही है और जो विकास भारतीय डाक तार विभाग ने किया है उस पर दृष्टिपात किया जाये और आगे के लिये निर्णय किये जायें ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन कौन सी सिफारिशें जिन पर विचार हो रहा है ?

श्री राज बहादुर : मैंने निवेदन किया इस सम्मेलन में जो पिछले साल के अनुभव होते हैं उनको देखा जाता है और मुख्य रूप से प्रस्ताव पास नहीं किये जाते ।

विमान यात्रा के रक्षात्मक उपाय

*२२१२. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विमान यात्री संघ की कार्यकारिणी समिति ने सरकार को विमान यात्रा में रक्षात्मक उपायों की अधिक आवश्यकता के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन से विशिष्ट प्रस्ताव रखे गये हैं ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मैं सभा-पटल पर अपेक्षित जानकारी का एक विवरण रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १७]**

श्री एन० एम० लिंगम : उड़ान के दौरान इंजनों के बन्द हो जाने के कारण विमान के विवश हो कर भूमि पर उतारने की घटनाओं की संख्या के सम्बन्ध में सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों पर असैनिक उड्डयन विभाग के द्वारा पूरी जांच की जाती है । यदि असैनिक उड्डयन विभाग उतना ही सतर्क है जितना कि कहा जाता है तो भूमि पर विवश हो कर उतरने की घटनाओं में वृद्धि क्यों हो रही है ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वस्तुतः मैंने एक दिन एक विशेष अवधि के सम्बन्ध में आंकड़े दिये थे, जिससे यह प्रकट होता था कि संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है ।

श्री एन० एम० लिंगम : विमान चालकों के संघ ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि बम्बई व कलकत्ता की तरह मद्रास में राडार नहीं हैं, उन्होंने सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया है कि कुछ हवाई अड्डों पर, विशेषतः आसाम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और नेपाल में जहां कि काफी विमान यातायात होता है, न्यूनतम रक्षात्मक उपाय भी मौजूद नहीं हैं । उन्होंने शिकायत की है कि भूमि की सतह अच्छी नहीं है तथा वहां से तार तथा पेड़ इत्यादि जिनके द्वारा रुकावट होती है, नहीं हटाये गये हैं । सरकार ने इन हवाई अड्डों के सुधार के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : असैनिक उड्डयन के महानिदेशक हवाई अड्डों में संचरण तथा प्रदर्शन की सुविधाओं के सुधार के लिये उत्तरदायी हैं तथा यह निरन्तर इस ओर ध्यान देते हैं । सुधार का स्तर तथा विस्तार यातायात की आवश्यकताओं तथा हवाई अड्डे के महत्व के ऊपर निर्भर है । इस दृष्टि से बम्बई और कलकत्ता का जितना महत्व है उतना मद्रास का नहीं है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि कुछ वरिष्ठ कैप्टेन दूसरी श्रेणी की विमान चालन परीक्षा में सम्मिलित हुये और बुरी तरह असफल रहे । सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्बन्ध में क्या कर रही है ? यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को कठोरता से प्रयुक्त किया गया तो क्या इन कैप्टेनों तथा बहुत से अन्य विमान चालकों को हानि नहीं पहुंचेगी, तथा उनकी अनुज्ञप्तियां नहीं छिन जावेंगी ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मैं जानता हूं हमारे विमान चालक कर्मचारी परीक्षा में बैठे और बुरी तरह असफल रहे । वे अपने पहिले प्रयत्न में असफल हो सकते हैं, किन्तु उन्हें पुनः परीक्षा में बैठने तथा उत्तीर्ण होने का अधिकार है ।

श्री एन० एम० लिंगम : विमान यात्री संघ के अनुसार इन घटनाओं का एक कारण यह भी है कि विमान चालक तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी अपनी सेवा की शर्तों से असंतुष्ट हैं। सरकार ने अब तक इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों के वेतन-स्तरों का अन्तिम निश्चय क्यों नहीं किया और वह ऐसा कब करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य प्रश्न की सीमा के बाहर जा रहे है ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। पहिली बात यह है कि कर्मचारियों में कोई असंतोष नहीं है। जैसा कि मैं कुछ दिन पूर्व कह चुका हूं हम सभी कर्मचारियों—सामान्य कर्मचारियों, इंजीनियरों तथा रेडियो पदाधिकारियों—के साथ समझौता कर चुके हैं तथा यह सन्तोष का विषय है कि उन्होंने अपने विभिन्न संघों में सेवा के नियमों तथा शर्तों के सम्बन्ध में यह संकल्प पारित किया है कि उन पर कर्मचारी तथा निगम दोनों ही सहमत हैं। विमान चालकों के सम्बन्ध में केवल एक प्रश्न बाकी रह गया है। उस सम्बन्ध में उनकी मांग बहुत अधिक है और मेरे विचार से अनुचित भी है। यदि वे उचित मांग करें तो इस पर विचार किया जायेगा और कार्य भी किया जायेगा । मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के कर्मचारियों में कोई असन्तोष नहीं है ।

विमान समवायों को प्रतिकर

*२२१६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भूतपूर्व विमान समवाय ने राष्ट्रीयकरण के समय बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दावे प्रस्तुत किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने के ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). विमान निगम अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत समवायों ने अपनी आस्तियों के मूल्य तथा दायित्व की घोषणा करते हुये विवरण प्रस्तुत किये थे। प्रतिकर लेखापरीक्षा दल के द्वारा उन विवरणों के परीक्षण तथा समवायों के प्रतिनिधियों से चर्चा के फलस्वरूप सभी समवायों की आस्तियों के मूल्य को घटाने की सम्भावना थी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : दावों की कुल संख्या क्या है तथा कितनी धनराशि चुकाई गई ?

श्री राज बहादुर : मुझे आंकड़ों की एक लम्बी सूची देनी पड़ेगी। वह मेरे पास है। क्या मैं उसे यहां पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल कुल योग बताने को कहा है ।

श्री राज बहादुर : सभी समवायों को दी गई कुल राशि का योग इन आंकड़ों को जोड़ देने पर ज्ञात होगा ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित उस संवाद की ओर भी गया है जिसमें कहा गया है कि समवायों ने अपने दावे बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किये थे तथा उन्हें देय से कहीं अधिक राशि दी गई ?

श्री राज बहादुर : यह एक सामान्य अनुभव है कि दावे में आशा से अधिक राशि ही प्रस्तुत की जाती है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि उन्हें उचित प्रतिकर से अधिक राशि नहीं चुकाई गई है ?

श्री राज बहादुर : हमारे लेखा-परीक्षा दलों ने, प्रत्येक प्रश्न की पूर्णरूपेण जांच की ।

जब कभी भी उन्हें किसी दावे के अधिक होने का सन्देह हुआ तो उन्होंने उसकी परीक्षा की। पहिले वे भूतपूर्व समवाय के पदाधिकारियों के साथ बैठे तब मामले के सम्बन्ध में भूतपूर्व समवाय के पदाधिकारियों तथा निगम के बीच वार्ता हुई; तत्पश्चात् सरकार तथा भूतपूर्व समवाय ने इस मामले पर विचार किया ।

श्री जयपाल सिंह : भारत एयर वेज़ का कितना दावा था और अन्ततः उन्हें कितना दिया गया ?

श्री राज बहादुर : ९६,८७,६६५ रुपये की आस्तियों का दावा किया गया । इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन ने ७९,६६,६६५ रुपये की स्वीकृति दी । उक्त समवाय ने ४९,४०,६६५ रुपये का दायित्व प्रगट किया । कार्पोरेशन ने इसे स्वीकार कर लिया । लेखापरीक्षकों के सन्मुख प्रस्तुत प्रतिकर की राशि ४७,४७,००० रुपये की तथा लेखापरीक्षा के पश्चात् कार्पोरेशन ने ३०,२६,००० रुपये देने का हिसाब लगाया ।

ठेकेदारों के दावे

*२२१७. **श्री पी० एल० बारूपाल:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उन ठेकेदारों के कुछ दावे अब भी सरकार पर हैं जिन्होंने रेलों के विलीनीकरण से पूर्व विभिन्न स्टेटों की रेलों की ओर से कार्य किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) एसे ठेकेदारों को सरकार द्वारा देय राशि अनुमानतः कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). जानकारी मांगी जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायगी ।

श्री पी० एल० बारूपाल : यह जानकारी कब तक आ जायगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम ने ख़बर मंगवाई है और जिस वक्त भी ख़बर आ जायगी उसी वक्त रखी जायगी ।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*२२१८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल के, डाक तथा तार विभाग के (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है;

(ग) इस समय तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं; और

(घ) कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विभाग ने प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान बिहार सर्किल में कई स्थानों पर तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाये हैं । चालू वर्ष में तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान और अधिक क्वार्टर निर्मित करने की योजना है । उक्त सर्किल के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में तृतीय श्रेणी के ५७ क्वार्टर तथा चतुर्थ श्रेणी के २२ क्वार्टर निर्मित हो चुके हैं । इसके अलावा तृतीय श्रेणी के लिये ३८ क्वार्टर तथा चतुर्थ श्रेणी के लिये १७ क्वार्टर चालू वर्ष में निर्मित होने की संभावना है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान उक्त सर्किल में विभिन्न स्थानों पर कई क्वार्टर बनाने का विचार है ।

(ख) जी हां ।

(ग)

तृतीय श्रेणी	७,५८५
चतुर्थ श्रेणी	३,०१५

(ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों सहित)

(घ) तृतीय श्रेणी के ४ प्रतिशत कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के २½ प्रतिशत कर्मचारियों को विभागीय क्वार्टर दे दिये गये हैं ।

श्री एस० एन० दास : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में, क्या मैं उक्त कार्यक्रम जान सकता हूं ?

श्री राज बहादुर : यह प्रारम्भिक अवस्था में है तथा योजना आयोग के विचार तथा परीक्षणाधीन है । हम उसे इस समय प्रगट नहीं कर सकते हैं ।

श्री एस० एन० दास : समस्त कर्मचारियों को क्वार्टर देने में कितनी धनराशि व्यय होगी ?

श्री राज बहादुर : डाक तथा तार विभाग के समस्त कर्मचारियों को क्वार्टर देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि २,५०,००० कर्मचारियों में से अधिकांश की नियुक्ति गांवों में होती है, जहां कि मकानों की कोई कमी या कठिनाई नहीं होती । अवशेष कर्मचारियों के लिये, जो कि बड़ी जनसंख्या वाले नगरों में हैं, हम ने क्वार्टरों की व्यवस्था की है । इसके लिये हम ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ७ करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया है । मैं नवीनतम आंकड़ों के सम्बन्ध में नहीं जानता हूं ।

श्री एस० एन० दास : क्या गांवों में काम करने वालों के लिये भी कोई व्यवस्था की गई है अथवा नहीं; और उन्हें भी निवास-स्थानों की आवश्यकता है या नहीं ?

श्री राज बहादुर : गांवों में बहुत से विभागातिरिक्त डाकघर हैं, जहां कि पाठशाला के अध्यापक तथा दुकानदार अपने अपने क्षेत्रों में डाकघर का कार्य करते हैं ।

हीरे तराशने के कारखाने

*२२१९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हीरे तराशने के कितने कारखाने हैं और वे कहां कहां स्थित हैं;

(ख) वर्ष १९५४–५५ के दौरान वहाँ कुल कितने व्यक्ति नियुक्त थे; और

(ग) भारत में हीरों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) हीरे तराशने के कारखानों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, किन्तु १९५४ में भारत में हीरों के कुल २० कारखाने थे । वे मद्रास राज्य के विभिन्न स्थानों में अवस्थित थे ।

(ख) १९५४ में २६० व्यक्ति । १९५५ के वर्ष की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भारत में हीरों की वार्षिक आवश्यकता का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या ये कारखाने कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं; यदि हां, तो यथार्थ आंकड़े क्यों एकत्र नहीं किये गये हैं ?

श्री आबिद अली : उनमें से कुछ श्रमिकों की संख्या को देखते हुए कारखाना अधिनियम के अधीन आते होंगे । यदि माननीय सदस्य यथार्थ जानकारी चाहते हैं तो उन्हें एक पृथक पूर्वसूचना देनी होगी ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या बिना तराशे हुए हीरों पर आयात-शुल्क लगाने से तथा गोआ इत्यादि से हीरों के चोरी-छिपे लाने के कारण बेकारी बढ़ रही है ?

श्री आबिद अली : चोरी-छिपे कुछ हीरे आते ही हैं । शुल्क लगने से बेकार हुए श्रमिकों के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या विन्ध्य प्रदेश स्थित पन्ना में भी हीरे तराशने के कारखाने हैं जहां कि बढ़िया किस्म के हीरों की तह पाई गई है ?

श्री आबिद अली : जी हां, पन्ना में अच्छी खानें तथा हीरे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार यह जानने का प्रयत्न करेगी कि क्या बम्बई राज्य में हीरा तराशने के उद्योग में लगे हुये श्रमिकों की संख्या में कमी हुई है ?

श्री आबिद अली : मैं जांच करूंगा तथा प्राप्त जानकारी को सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

रेल की पटरी

*२२२१. **श्री अमजद अली** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी रेलवे के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां कि इस वर्ष बाढ़ से रेल की पटरी बह गई थी ; और

(ख) उत्तर-पूर्वी रेलवे पर कटिहार और अमीनगांव के बीच सीधी रेलगाड़ी कब से चलने लगेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) सीधी यात्रा अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही प्रारम्भ हो जायेगी ।

श्री अमजद अली: विवरण में उल्लिखित १७ मदों में पटरी इत्यादि के उखड़ने से रेलों को कितनी हानि हुई है तथा उन्हें ठीक करने में रेलवे का कितना व्यय हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : इसे अस्थायी रूप से ठीक करने में १० लाख के लगभग व्यय होगा । स्थायी रूप से ठीक करने में कितना व्यय होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री अमजद अली : यदि आप चौथी मद देखें तो ज्ञात होगा कि शायद इसी कारण से सीधी गाड़ियां नहीं चल सकी हैं, क्या सभा सचिव यह कह सकते हैं कि फकीर ग्राम अमीनगांव और छपरकटा बिजनी के बीच क्या यही ऐसा स्थान है जहां पटरी ठीक नहीं की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : यह तो एक ही स्थान है । एक दो स्थान और भी हो सकते हैं । लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमें आशा है कि अक्तूबर के पहले सप्ताह तक निश्चित रूप से सभी सीधी गाड़ियां चलने लगेंगी ।

श्री अमजद अली : क्या उक्त स्थान में अभी पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : कई स्थानों का ध्यान रखना पड़ता है । मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक विशेष स्थान का निर्देश किया था ।

श्री शाहनवाज खां : मैं इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि यह सारी परेशानी—पटरियों के लगाने तथा पुनर्निर्माण में विलम्ब इत्यादि—वहां द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों के भेजे जाने तथा प्रथम श्रेणी के किसी पदाधिकारी के न होने के कारण ही हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे पदाधिकारियों को भारी वर्षा के लिये जिम्मेदार ठहराना एक गलत तर्क है ।

टिड्डी-विरोधी योजना

*२२२२. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिड्डी-विरोधी योजना के अधीन कुछ व्यक्तियों को मध्य-पूर्व के देशों को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इस योजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां, एफ० ए० ओ० के द्वारा इस साल के शुरू में चलाई हुई टिड्डी-विरोधी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये टेक्निशन्स और ओपरेशनल कर्मचारियों की एक टीम कुवेत और सौदी अरेबिया को भेजी गई थी । प्लैन्ट प्रोटेक्शन एण्ड क्वारन्टाइन डाइरेक्टोरेट का एक अधिकारी भी अप्रैल १९५५ में ईरान इसलिये गया कि वहां की टिड्डी-विरोधी कार्यवाही देखे और टिड्डियों के आक्रमण के विस्तार और तीव्रता का अन्दाजा करे ।

(ख) २९ ।

(ग) लगभग १,५६,००० रुपये ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि जितने लोग इस टीम में गये थे वे सब इस कार्य में अच्छी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । वे सब हमारे एम्पलाईज़ थे जो इस काम को यहां भी करते हैं । वही काम उन्होंने वहां भी किया ।

डा० सत्यवादी : यह टीम कितने अर्से तक वहां पर काम करती रहेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : करीब चार महीने तक ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५४–५५ और १९५५–५६ में इन टिड्डियों ने देश में कितना नुक़सान किया है और कहां कहां किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इन दो सालों में विशेष नुकसान नहीं हुआ है, इस साल तो टिड्डियों की संख्या और उनके अटैक्स भी कम हैं ।

गायों का आयात

*२२२५. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकरण के अभिप्राय से विदेशों से गायों की कतिपय नस्लों को आयात करने के लिये आन्ध्र सरकार को अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित नस्लों के आयात को अनुमति देना ढोर विकास के हित में नहीं था । लोक-सभा पटल पर रख गये विवरण में स्थिति की व्याख्या की गई है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १९]**

श्री विश्वनाथ रेड्डी : विवरण से मुझे यह ज्ञात होता है कि कैसे भैंसों और सांडों के आयात पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है क्योंकि यह नस्ल आयरलैंड की है । क्या इस तथ्य ने कि यह नस्ल आयरलैंड की है, उनके आयात पर रोक लगाने में भारत सरकार को किसी प्रकार से प्रभावित किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, यह भी एक कारण है क्योंकि यहां हमारे पास एक आयरिश नस्ल है जिसको बढ़ाया जा रहा है और हम एक ही देश की बहुत सी नस्लें नहीं चाहते हैं ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या आन्ध्र की प्रसिद्ध ओंगोल नस्ल से पशुओं का संकरण करने के सम्बन्ध में भारत में किसी भी स्थान पर कोई गवेषणा कार्य किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग को नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका यह कहना है कि आन्ध्र में कोई मशहूर नस्ल है और वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उस नस्ल से संकरण करने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पता नहीं कि आन्ध्र के पशुओं पर आन्ध्र से बाहर प्रयोग किये जा रहे हैं परन्तु जहां तक आन्ध्र का सम्बन्ध है इन तरीकों से हम उन नस्लों को जो वहां फलती फूलती हैं, उन्नत करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस सीमा तक हम आन्ध्र में विभिन्न नस्लों को बनाये रखने के लिये सावधानी से कार्य कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या भारत सरकार की सामान्य नीति किसी भी राज्य सरकार को पशु पालन के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य करने को अनुमति देने की नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान् । हम राज्यों में गवेषणा कार्य किये जाने को प्रोत्साहन देने की चेष्टा करते हैं परन्तु जहां हमारे प्रविधिविज्ञ यह बताते हैं कि ऐसा करना निश्चित रूप से अवांछनीय है वहां हम राज्य सरकार से उस नस्ल विशेष के सम्बन्ध में कोई प्रयोग न करने का परामर्श देते हैं।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (चिकित्सा सम्बंधी सुविधाये)

*२२२६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के उन कर्मचारियों को, जो फील्ड में काम करते हैं, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें पर्याप्त रूप से नहीं दी जातीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रति यूनिट कितना स्टॉफ काम करता है ।

डा० पी० एस० देशमुख: यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है और शायद यु नेट, यूनिट में फर्क भी होगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५० से लगाकर १९५४ तक इस मद में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : खर्च का तखमीना मेरे पास नहीं है मगर हर एक यूनिट के पीछे एक डाक्टर और एक कम्पाउंडर रखने की कोशिश करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह खर्च की बात पूछते हैं । वह जानना चाहते हैं कि कितना रुपया खर्च हुआ ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह एक यूनिट में एक डाक्टर और एक कम्पाउंडर रखें । पिछले दिनों इस सम्बन्ध में कुछ शिकायत आई थी, उस शिकायत की

तरफ राज्य सरकारों की तवज्जह दिलाई है और उन्होंने जो कमी थी उसको पूरा कर दिया है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जिनको गहरी चोटें आती हैं और जैसा कि पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि कुछ व्यक्ति मर भी गये हैं, तो ऐसी अवस्था में उनके इलाज का क्या प्रबन्ध किया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : अस्पताल मौजूद हैं, जब गहरी चोट आयेंगी तो अस्पताल में भेज दिये जायेंगे ।

बिहार में सूखा की स्थिति

*२२२७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जुलाई, १९५५ में अनावृष्टि के कारण बिहार के पलामू, रांची, हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम, पटना, गया तथा शाहाबाद जिलों में भयंकर सूखा पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में सूखा से फसलों की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि सूखा ग्रस्त क्षेत्र में खाद्यान्न की बहुत कमी है ;

(घ) इन क्षेत्रों में इस मास चावल के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ङ) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ङ). पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा की टेबल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २०]**

डा० राम सुभग सिंह : इस विवरण से ज्ञात होता है कि पलामू, रांची, हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम, पटना, गया तथा शाहाबाद जिलों में ५० प्रतिशत तक भदई की फसल नष्ट हो गई है और ५० प्रतिशत तक धान की रूपाई नहीं हुई तो ऐसे इलाके के लोगों के लिये, जिनका कि जीवन धान और भदई आदि की फसलों की रोपनी और सोहनी पर निर्भर करता था, सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बिहार राज्य सरकार ने हजारीबाग को २५,६६० रुपये का तक़ावी लोन दिया है और सिंहभूम को ६,९३,०८५ रुपये का तक़ावी लोन दिया है ।

राज्य सरकार ने इसके अलावा एग्रीकल्चरल लोन्स की शक्ल में लाखों रुपये की सहायता दी है ;

	रुपये
भूमि विकास ऋण	११,८५,३००
निशुल्क सहायता	१२,८०,०००
कड़ा शारीरिक श्रम	२६,१५,०००
हल्का शारीरिक श्रम	३३,०००

डा० राम सुभग सिंह : एग्रीकल्चरल लोन जो लगभग १२ लाख रुपये का बतलाया गया उसके सिलसिले में क्या मंत्री महोदय यह बतला सकेंगे कि वह १२ लाख रुपया कितने किसानों को दिया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, इसकी तो मेरे पास तफसील नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस वक्तव्य में दिया गया है कि कुछ जिलों में दो, तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है तो उस इलाक़े में सूखे की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिये क्या कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे पास कुछ पैसा है जो क्रोनिक स्कैयरसिटी ऐरियाज के वास्ते खर्च करना चाहते हैं और यदि स्टेट

गवर्नमेंट से उसके सम्बन्ध में कोई योजना आयेगी तो हम उस तरफ ध्यान देंगे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष अनावृष्टि का सामना कर रहे हैं, क्या सरकार वहां सिंचाई परियोजना में चालू करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराने जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या कारण है कि माननीय मंत्री का ध्यान सुखाग्रस्त क्षेत्रों की अपेक्षा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की ओर अधिक है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम दोनों की ओर बराबर ध्यान देने की चेष्टा करेंगे ।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या सरकार को ज्ञात है कि दक्षिण भागलपुर में सुखा तथा अनावृष्टि है, और यदि हां, तो उस क्षेत्र के लिये कोई धनराशि क्यों आवंटित नहीं की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस क्षेत्र को इस विवरण में नहीं पाता हूं ; स्पष्टतः वहां कोई अनावृष्टि नहीं है ।

श्रीमती सुषमा सेन : वहां अनावृष्टि है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३

***२२२८. श्री एस० बी० एल० नरसिंहम्** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश के चिकित्सा अनुज्ञाधारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये अपेक्षित उपबन्ध बनाने के हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ में संशोधन करने वाले विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को यह विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अभी नहीं :

(ख) किस तारीख को विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा इसकी पूर्वाधारणा करना संभव नहीं है परन्तु इस विधेयक को यथासंभव शीघ्र पुरःस्थापित करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह तथ्य है कि माननीय मंत्री ने गत सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि १९५३ के अधिनियम को संशोधित करने वाला भारतीय चिकित्सा परिषद् संशोधन अधिनियम इस सत्र में पुरःस्थापित किया जायेगा और ऐसा नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह अभिलेखों को देखेंगे । मेरे विचार से यह माननीय मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये कोई प्रश्न है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं प्रार्थना करता हूं कि अभिलेखों को देखा जाये ।

टाटानगर-दिल्ली सीधी सेवा

***२२२९. श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटानगर-मुगलसराय सीधी सवारी डिब्बा सेवा जो १ अक्टूबर, १९५३ से चलाई गई थी बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो बन्द किये जाने की तारीख क्या है ;

(ग) क्या टाटानगर और दिल्ली के बीच सीधे यात्री डिब्बे चलाये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २१]**

श्री देवगम : क्या सरकार को ज्ञात है कि हावड़ा से बर्थ सुरक्षित कराने में और कोई आधी रात के समय गोमो में गाड़ी बदलने में कितनी कठिनाई होती है ?

श्री शाहनवाज खां : यह प्रश्न उस कम्पार्टमेंट के बारे में है जो टाटानगर से मुगलसराय तक के लिये गाड़ी में जोड़ा जाता है । गोमो इस ज़ोन से बाहर है ।

श्री देवगम : क्या सरकार यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सीधे जाने वाले डिब्बे के फिर से जोड़े जाने के सुझाव पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : सभा सचिव पहले कह चुके हैं कि माननीय सदस्य का पहला प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न के क्षेत्र से बाहर था। उन्होंने बताया था कि गोमो इस ज़ोन में नहीं आता है वह इसके बाहर है ।

नौवहन सांख्यकी

***२२३०. श्री एम० डी० जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन नियंत्रण अधिनियम, १९४७ के अनुसार छोटे छोटे बन्दरगाहों में सांख्यकी एकत्रित करने की जो प्रणाली आजकल प्रचलित है वह संतोषजनक नहीं है ;

(ख) इस सम्बन्ध में पत्तन तथा नौवहन सांख्यकी समिति की सिफारिश क्या है ;

(ग) क्या सरकार नौवहन के महानिदेशालय में सांख्यकी की यंत्रचालित प्रणाली कोलागू करने का विचार करती है जैसा कि पत्तन तथा नौवहन सांख्यकी समिति ने सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नौवहन नियंत्रण अधिनियम का छोटे छोटे पत्तनों में सांख्यकी एकत्रित करने से बहुत कम सम्बन्ध है । पत्तन तथा नौवहन सांख्यकी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, जिसकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में पहले से ही हैं, इस देश के विभिन्न राज्यों के छोटे छोटे पत्तनों में एकत्रित की जाने वाली सांख्यकी में इस समय कोई एकरूपता नहीं है ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान पत्तन तथा नौवहन सांख्यकी समिति के प्रतिवेदन के पन्द्रहवें अध्याय की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) और (घ). प्रतिवेदन की सिफारिशों की इस समय जांच हो रही है और इस प्रक्रम पर यह कहना कठिन है कि उस सिफारिश विशेष का, जिसका उल्लेख किया गया है, कब परिपालन किया जायेगा ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या सरकार को ज्ञात है कि पत्तन तथा नौवहन सांख्यकी समिति ने कहा है कि विशेष रूप से बम्बई राज्य के ८४ छोटे छोटे पत्तनों में माल तथा यात्रियों सम्बन्धी आंकड़े संग्रह करने के लिये कोई अभिकरण नहीं है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : समिति ने लगभग ३२० पृष्ठों का बहुत बड़ा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इस प्रतिवेदन पर पहले नेशनल हार्बर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा । उक्त निकाय द्वारा इस पर विचार कर लिये जाने के बाद उसे सरकार के सामने विचार करने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री एम० डी० जोशी : समिति की सिफ़ारिशों का परिपालन करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): नेशनल हार्बर बोर्ड की बैठक अक्टूबर के अन्त में या नवम्बर के पहले सप्ताह में हो सकती है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ११. डा० जे० एन० पारिख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में एक सीट लेने से जो कि अनौपचारिक रूप से उसे दी जा रही थी, इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस संगठन में सम्मिलित होने की अर्हता रखने वाले देशों के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सभा के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को कौन सा रवैय्या अख्तियार करने का परामर्श दिया गया है; और

(घ) क्या भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा संयुक्त राष्ट्र में चीन के जनवादी गणराज्य चीन के प्रवेश के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखे जाने की प्रस्थापना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). यह सच नहीं है। औपचारिक या अनौपचारिक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। समाचार पत्रों में इसके सम्बन्ध में कुछ अस्पष्ट निदेश प्रकाशित हुए हैं, जिनका वास्तव में कोई आधार नहीं है । सुरक्षा परिषद् की रचना संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र में विहित है, जिसके अनुसार कुछ विशिष्ट राष्ट्रों को ही स्थायी सीटें प्राप्त हैं। घोषणा-पत्र का संशोधन किये बिना इसमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जा सकता है । इसलिये भारत से ऐसे किसी प्रस्ताव के किये जाने या उसके द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(ग) भारत की घोषित नीति संयुक्त-राष्ट्र की सदस्यता के लिये अर्ह सभी राष्ट्रों के प्रवेश का समर्थन करने की है । इसी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र स्थित भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को परामर्श दिया गया है।

(घ) भारत ने अनेक बार चीन के जनवाद गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र में उसका उचित स्थान दिये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। महासभा के वर्तमान सत्र में, भारत ने ऐसी ही एक प्रस्थापना का समर्थन किया था ।

डा० जे० एन० पारिख : एशियाई देशों की जीवनावश्यक और जटिल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा परिषद् में एशियाई देशों के अल्प प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार यह विचार करती है कि सुरक्षा परिषद में और अधिक एशियाई प्रतिनिधित्व का होना बहुत आवश्यक है, और यदि हां, तो सरकार घोषणा-पत्र में संशोधन कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है--क्या सरकार घोषणा-पत्र में संशोधन किये जाने की कोई प्रस्थापना प्रस्तुत कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निस्सन्देह सरकार का विचार है कि एशियाई प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है । सरकार के कार्यवाही करने का जहां तक सम्बन्ध है, घोषणा-पत्र में संशोधन करना सरकार के हाथ में नहीं है । घोषणा-पत्र के संशोधन करने में बहुत

सी बातें हैं। सब बातों पर विचार करते हुए इस समय सरकार का विचार है कि घोषणा-पत्र में संशोधन करने के प्रश्न को अभी तुरन्त ही नहीं उठाया जाना चाहिये। बाद में, निश्चय ही, यह मसला उठेगा।

श्री कामत: क्या नैपाल, लंका और जापान द्वारा अथवा उनकी ओर से सरकार को कोई ऐसा संकेत किया गया है कि भारत उनके संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने के आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करे या उसका समर्थन करे इन राष्ट्रों द्वारा भारत को ऐसे किसी संकेत के न दिये जाने के अनपेक्ष सरकार का अथवा भारत का इन तीन राष्ट्रों—नेपाल, श्रीलंका और जापान—के इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश करने के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैंने अभी अभी बताया है कि जितने भी राष्ट्र सदस्यता के लिये अर्ह हैं उन सबके प्रवेश का हम समर्थन करते हैं। निस्सन्देह हम इन तीनों राष्ट्रों का भी समर्थन करते हैं। संकेत किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि हम तो नेपाल और लंका का निरन्तर समर्थन करते रहे हैं।

श्री कामत: जापान के सम्बन्ध में?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जहां तक जापान का प्रश्न है, मुझे याद नहीं है कि हमने उसका समर्थन किया था अथवा नहीं, परन्तु हम जापान के भी सम्मिलित किये जाने का समर्थन करते हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि बांडुंग सम्मेलन की अन्तिम घोषणा में यह कहा गया था कि सभी शक्तियां विशेषतः बांडुंग सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने वाली शक्तियां प्रवेश के पक्ष में थीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, जहां तक मुझे ज्ञात है, सोवियत संघ द्वारा बहुत पहले प्रस्तावित परन्तु अभी तक अस्वीकृत प्रस्ताव में यह कहा गया था कि चौदह राष्ट्रों का, जिन में दो नेपाल और अल्बानिया भी सम्मिलित हैं, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया जाये। क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि जबकि इस सूची में विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां रखने वाले निष्पक्ष देश सम्मिलित हैं तो अमरीका और इंगलैंड उनके प्रवेश का क्यों विरोध करते हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू: राष्ट्रों के प्रवेश के प्रश्न पर पहले सुरक्षा परिषद् में विचार किया जाता है इस लिये जो देश सुरक्षा परिषद् में नहीं हों, उनको इस सम्बन्ध में कुछ कहने का कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं होता है। माननीय सदस्य ने सोवियत संघ की कुछ प्रस्थापनाओं का हवाला दिया। और भी अन्य प्रस्थापनायें हैं जिन से सोवियेट संघ सहमत है। ऐसी प्रस्थापनायें "पैकेज डील" कहलाती हैं। अर्थात् कई देशों को एक साथ सदस्य बनाना स्वीकार कर लिया जाये तथा अन्य देशों के सम्बन्ध में पृथक् रूप से विचार किया जाये। यह भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव है। यह स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद में कोई सामान्य सहमति नहीं थी अन्यथा यह पास हो गया होता। संभवतः कोई न कोई देश ऐसा होगा जो किसी एक देश की सदस्यता न चाहता हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या हमारा विचार ऐसे सभी राष्ट्रों की एक सूची प्रस्तुत करने का है जो संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश की सब शर्तों को पूरा करते हों और क्या हम जब भी हो सके जल्दी से जल्दी उनके प्रवेश पर जोर देने की प्रस्थापना करते हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू: हमने अनेक बार संयुक्त राष्ट्र में इसके पक्ष में अपना मत प्रकट किया है। हम ऐसे संकल्प प्रस्तुत करने से कोई लाभ नहीं समझते हैं, जिनके पारित होने की कोई संभावना न हो। कोई संकल्प प्रस्तुत कर के हम केवल यह नहीं दिखाना

चाहते कि हम अमुक कार्यक्रम के पक्ष में हैं परन्तु हम चाहते हैं कि कुछ काम कराया जाये, और ऐसा जान पड़ता है कि वहां कोई काम कराने का तरीका केवल यह है कि बड़ी-बड़ी शक्तियों की सहमति प्राप्त की जाये। किसी भी प्रकार बहुत मत से पारित कराने का यह प्रश्न नहीं है।

श्री कामत : प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार इस प्रक्रम पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का संशोधन कराने का प्रश्न को उठाना उचित नहीं समझती है। क्या सरकार सुरक्षा परिषद् की अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग करने की प्रस्थापना करती है जिससे कि एशियाई न कि केवल एशिया के अपितु एशियायी–अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके जैसा कि हमारे मित्र ने बाण्डुंग की भावना के अन्तर्गत कहा था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ में नहीं आता कि यदि हम इस प्रकार की मांगें रखें तो क्या लाभ होगा क्योंकि, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं, संयुक्त राष्ट्र में एक सुन्दर भाषण देना संभव है, परन्तु प्रश्न यह है क्या हम वास्तव में कुछ काम कराना चाहते हैं, और यदि चाहते हैं, तो अधिक अच्छी नीति यही है कि बजाये इसके कि एक सुन्दर भाषण दिया जाये जिसका कि कोई परिणाम न हो, मैत्रीपूर्ण ढंग से काम किया जाये और देशों की सहमति प्राप्त की जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटसन का उत्पादन

*२१९५. **श्री बी० के० दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में देश के पटसन उत्पादन को बढ़ाने के लिये विभिन्न राज्यों को अब तक मंजूर किये गये अनुदानों की राशियां कितनी हैं; और

(ख) इन विधियों का प्रयोग करने के लिये किस कार्यक्रम का पालन किया जायेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५५–५६ में पटसन विकास कार्य के लिये मंजूर किये गये अनुदान ये हैं :—

	रुपये
पश्चिमी बंगाल	५,११,९००
आसाम	१,३०,०००
बिहार	१,१९,०००
उड़ीसा	१,७३,८००
उत्तर प्रदेश	२,१३,२००

(ख) १९५५-५६ के पटसन विकास कार्यक्रम में (१) नये पटसन सड़ाने वाले तालाबों की खुदाई और पुराने तालाबों का अभिनवीकरण (२) पौदों के संरक्षण के उपाय (३) प्रदर्शन और (४) पटसन के बीजों का राजकीय सहायता से किया जाने वाला वितरण सम्मिलित हैं।

"श्रमिक" की परिभाषा

*२२०३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा अन्य न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्णयों के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में शब्द "श्रमिक" की जो परिभाषा दी गई है उसके क्षेत्र से किन श्रेणियों के कर्मचारियों को अपवर्जित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार उन निर्णयों पर ध्यान देते हुए शब्द 'श्रमिक' की परिभाषा में संशोधन करने का विचार करती है?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : (क) शब्द "श्रमिक" का, जैसी कि उसकी परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में दी गई है, निर्वचन सामान्य रूप से इस प्रकार

किया गया है कि अधीक्षक प्रविधिक से विवर्ग, अर्थात् वे जो शारीरिक या लिपिक, कुशल या अकुशल, कार्य नहीं करते हैं, उसके बाहर हैं।

(ग) इस शब्द की परिभाषा में इस प्रकार विस्तार करने का विचार है कि ५०० रुपये या उससे कम मासिक मजूरी पाने वाला समस्त अधीक्षक से विवर्ग और सारा प्रविधिक से विवर्ग, औद्योगिक विवाद (संशोधन और विविध उपबन्ध) विधेयक का खंण्ड ३ (च) जो कि सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है, उसमें सम्मिलित कर लिया जाये।

दावे

*२२०७. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे में १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९५५ तक की अवधि में कितने दावे पंजीबद्ध किये गये और कितनी राशि का भुगतान किया गया?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९५५ तक, पूर्वोत्तर रेलवे में सभी कारणों के आधार पर पंजीबद्ध किये गये दावों की संख्या १२,८३० थी और कुल १६,३८,७२३ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

रेलवे की आय

*२२०८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जुलाई, १९५५ तक की अवधि की रेलवे आय की राशि तथा १९५४–५५ तत्सम्बन्धी अवधि के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के इन महीनों में आय के घटने या बढ़ने के कारण क्या हैं?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क)

अप्रैल से जुलाई, १९५५	१०२ करोड़
अप्रैल से जुलाई १९५४	९३ करोड़

(ख) नौ करोड़ के इस आधिक्य में ६ करोड़ माल भाड़े की आय के अन्तर्गत है, २ करोड़ यात्रियों के किराये से होने वाली आय के अन्तर्गत है तथा १ करोड़ अन्य कोचिंग आय के अन्तर्गत है और इसका कारण किस हद तक तो १–४–१९५५ से होने वाले किराये और मालभाड़े के दरों का पुनरीक्षण है तथा किस हद तक यातायात में होने वाली अभिवृद्धि है।

गोदी मजदूरों की भर्ती

*२२१३. **श्री रामा नन्द दास** : क्या **श्रम** मंत्री २० दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी मजूरों की भर्ती के सम्बन्ध में श्री ए० तालिब पर उनके द्वारा की गई अनियमताओं के लिये लगाये गये आरोपों से सम्बन्धित जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) जांच अभी हो रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

टेलको

*२२१४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा लोकोमोटिव कम्पनी को अब तक कितनी अग्रिम राशि प्रदान की गयी है ; और

(ख) राशि का अग्रिम प्रदान किस आधार पर किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) टेलको को दिये गये अग्रिम प्रदानों या उस को सरकार द्वारा दिये गये इंजनों के आर्डरों के हिसाब में मुजरा होने वाले भुगतानों की, अधिकतम राशि ५८ लाख रुपये (लगभग) थी परन्तु किये गये काम और भेजे गये प्रदायों के मूल्यों के आधार पर किये गये समायोजन के द्वारा यह हिसाब किताब मार्च, १९५५ के अन्त तक बिल्कुल साफ कर दिया गया था ।

(ख) कुछ सामग्रियों का संभरण करने वाले एक जर्मन समवाय के साथ टेलको ने जो उपसंविदा किया था उसके अनुसार उसे जो अग्रिम भुगतान करना पड़ा था उसी की पूर्ति करने के लिये टेलको को अग्रिम भुगतान किये गये थे ।

रेलवे बोर्ड के लिये नया भवन

*२२१५. **श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे बोर्ड के लिये नई दिल्ली में एक नया भवन बनाने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) काम कब आरम्भ होगा ;

(घ) काम कब पूरा हो जायेगा ; और

(ङ) तैयार होने पर इसमें कितना स्थान होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाह नवाज खां): (क) नहीं, श्रीमान्। अभी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आसाम के लिये रेलवे खण्ड

*२२२०. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम में एक पृथक् रेलवे खण्ड के बनाये जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) आसाम के लिये एक पृथक रेलवे खण्ड बनाने की कोई प्रस्तवाना नहीं है ।

न्यूटन-चिकली कोयला खान दुर्घटना

*२२२३. **श्री के० के० बसु** : क्या **श्रम** मंत्री २ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूटन-चिकली कोयला खान के प्रबन्धक के विरुद्ध जांच न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). न्यूनट-चिकली कोयला खान के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही संस्थापित करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८

*२२२४. **श्री भीखा भाई :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ के खेरवाडा-विच्छीवाड़ा विभाग पर कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) खेरवाड़ा-विच्छिवाड़ा विभाग पर निर्माण कार्य संतोषप्रद रूप में प्रगति कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

छपरा रेलवे स्टेशन

*२२३१. **श्री एम० एन० सिंह :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा स्टेशन के यार्ड की रेल-पटरियां तथा स्लीपर पुराने तथा घिसे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन को बदलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, रेल की पटरियां और स्लीपर काफ़ी पुराने हैं ।

(ख) जब ज़रूरत होगी तो इन्हें बदल दिया जायेगा ।

माल डिब्बों का संभरण

*२२३२. **श्री थानू पिल्लै :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुमुगनेरी के नमक के उत्पादकों ने हाल ही में अरुमुगनेरी में माल डिब्बों के संभरण में विलम्ब तथा भेदभाव किये जाने की कोई शिकायतें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अरुमुगनेरी स्टेशन से नमक के परिवहन के लिये माल डिब्बों के संभरण तथा इस यातायात के लिये माल डिब्बे आवंटित करने की प्रक्रिया के विरुद्ध असंतोष प्रकट करने वाले कुछ अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अभी मामले का अनुसन्धान किया जा रहा है ।

मजरी भुगतान अधिनियम, १९३६

*२२३३. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री ९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिकों की ओर से केन्द्रीय तथा प्रादेशिक श्रम आयुक्तों को हाल ही में कोई अभ्यावेदन कतिपय गोदी श्रमिकों की श्रेणियों के बारे में मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ के उल्लंघन के सम्बन्ध में दिये गये हैं;

(ख) क्या उसमें ऐसे उल्लंघन के विस्पष्ट मामलों का कोई उल्लेख था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सामान्य शिकायतों, कि गोदी श्रमिकों की कतिपय श्रेणियों को सीधा भुगतान नहीं किया जाता है, की जांच प्रादेशिक श्रम आयुक्त द्वारा की गई थी और यह ज्ञात हुआ था कि इस अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था ।

रेल दुर्घटना

*२२३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के सतना और हरपालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच ११ सितम्बर, १९५५ को एक स्पेशल गाड़ी के पायलट इंजिन द्वारा धक्का लगने से पुलिस के एक सिपाही की मृत्यु हो गई थी तथा तीन कुली बुरी तरह घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है, और

(ग) इस दुर्घटना के उत्तरदायी व्यक्तियों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २२**]

रेल पथों का टूट जाना

*२२३५. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के भोजुडीह तथा मोहुदा स्टशनों के बीच रेल पथ के टूट जाने के कारण रेलों का आना जाना बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस टूट-फूट के क्या कारण हैं;

(ग) यात्रियों तथा सामान के यातायात के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है; और

(घ) यातायात कब दोबारा आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). जी हां, लोयावाद और मालकेरा स्टेशनों के बीच बहुत अधिक भूमि के नीचे धंस जाने के कारण (रेल पथ के टूटने के कारण नहीं) झरिया के मार्ग द्वारा, भोजडीह तथा मोहुदा स्टेशनों के बीच रेलों का आना जाना १० सितम्बर, १९५५ से केवल रात्रि के समय बन्द कर दिया गया है ।

(ग) केवल संख्या ३१३ अप हावड़ा-ग़ोमोह सवारी गाड़ी जो कि इस ओर से रात्रि के समय निकलती है, प्रभावित होती है, और यह अब तालगरिया-लूप के मार्ग से जाती है । भागा से भोजुडीह तक एक यात्री शटल भी चलती है जो कि संख्या ३१३ अप को मिलाती है ।

लोयावाद और मालकेरा स्टेशनों से सामान के यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(घ) आशा है कि १५-१०-१९५५ तक यातायात पुनः आरम्भ हो जायेगा ।

सहकारी खेती

*२२३६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से सहकारी खेती के विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, क्या उस प्रयोजन के लिये कोई रकम आवंटित की गई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी नहीं; राज्य सरकार से कतिपय जानकारी मंगाई गई है और रकम का आवश्यक आवंटन उसके बाद किया जायेगा ।

वायु दुर्घटनायें

*२२३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय एयर लाइन्ज निगम के दो डकोटा जहाज़ों की दुर्घटनाओं के, जो कि २५ जनवरी को नागपुर के निकट तथा २ फरवरी को गौहाटी के निकट हुई थीं, कारणों की जांच करन के लिये नियुक्त किये गये जांच न्यायालयों ने अपने प्रतिवेदन पूरे कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, उनका निष्कर्ष क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दोनों मामलों में जांच न्यायालयों के प्रतिवेदनों के संक्षेप प्रैस को दे दिये गये हैं। न्यायालय के अनुसार (१) डकोटा वायुयान वी टी-सी ओ ज़ैड, २१ जनवरी १९५५ को गौहाटी हवाई अड्डे के निकट अन्तिम पहुंच के समय कुसमय उतरने के कारण सुपारियों के वृक्षों से जो कि धुंध के कारण दिखाई नहीं दिये थे टक्कर खाकर गिरा, और (२) डकोटा वायुयान वीटी०-सी वी बी २ फरवरी, १९५५ को नागपुर हवाई अड्डे पर रात्रि को कम ऊंचाई पर एक शीघ्र मोड़ लेते समय भूमि पर फिसल जाने के कारण दुर्घटना-ग्रस्त हुआ था ।

प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं ।

कराधान जांच आयोग

२२३२ { **श्री विभूति मिश्र :** / **श्री पी० सी० बोस :** }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को वित्तीय दृष्टि से दृढ़ बनाने के लियें कराधान जांच आयोग की सिफारिश के सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की हिदायतें जारी की गई हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) (क) और (ख). स्थानीय स्वायत्त सरकार की केन्द्रीय परिषद ने राज्य सरकारों को शीघ्रातिशीघ्र कराधान जांच आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर अपने विचार, सुझाव तथा टिप्पणी भेजने की प्रार्थना की है ताकि परिषद की कार्यकारिका समिति उस पर विचार कर सके और कोई रिपोर्ट दे सके ।

पर्यटक यातायात

*२२३९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों की इस देश में उपलब्ध सामान तथा सेवाओं की अधिमान्यताओं को निर्धारित करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक आधुनिक पर्यटक स्वागत केन्द्र के श्रीनगर में खोले जाने की प्रस्थापना है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निर्माण की क्या लागत होगी और उस लागत को कौन वहन करेंगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पर्यटक स्वागत केन्द्र लाग जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी प्राक्कलित लागत ७.३९ लाख रुपये है । केन्द्रीय सरकार किस मात्रा तक लागत में अंशदान देगी यह अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह

*२२४०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री १९५५–५६ के लिये रेलवे आयव्ययक पर अपन भाषण के पैरा ६८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के लिये उपयुक्त पहाड़ी स्थानों पर अथवा समुद्र के तटवर्ती स्थानों पर विश्राम गृह बनाने के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय किया जा चुका है जिस से कि वे अपनी छुट्टियां कम खर्च में व्यतीत कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो कौन से स्थानों का चुनाव किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक तो कुर्सियोंग, रांची, मसूरी, मल्लावरम और बडोग ।

रेलवे सुरक्षा पुलिस

*२२४१. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर इस समय काम करने वाली सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा पुलिस तथा रक्षा और प्रतिपालन कर्मचारियों की क्या संख्या है और रेलवे सुरक्षा पुलिस कब से आरम्भ की गई थी;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा पुलिस तथा रक्षा और प्रतिपालन पदाधिकारियों को उन लोगों के विरुद्ध जो कि रेलवे सामान की चोरी करते हुए पाये जाते हैं कोई कार्यवाही करने का भी अधिकार दिया गया है अथवा उनको केवल अपराधियों को पकड़ने और उन्हें उनपर अभियोग चलाये जाने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस को सौंप देने का ही अधिकार और

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस के होते हुए इस रेलवे सुरक्षा पुलिस तथा रक्षा और प्रतिपालन कर्मचारियों के रखे जाने के क्या कारण हैं, और क्या इन के द्वारा काम किये जाने पर चोरियों की संख्या में कमी हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २३]**

श्रम पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

*२२४२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक इंगलैण्ड में कुल कितने व्यक्तियों को श्रम पदाधिकारियों के रूप में प्रशिक्षण दिया जा चुका है; और

(ख) क्या उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है ?

श्रम मंत्री (श्री खांडूभाई देसाई) : (क) ९४ :

(ख) प्रशिक्षित पदाधिकारी उनको भेजने वाले प्राधिकारियों के सेवा में पहले से ही थे और इंगलैण्ड से वापस आने के बाद उन्होंने अपने पदों का काम दोबारा सम्हाल लिया है । राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी नियोजकों द्वारा इन कर्मचारियों का उपयोग अब किस प्रकार किया जा रहा है इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजा गया था उनके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रशिक्षितों को सामान्यत: उन्हीं कामों के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है जिन के सम्बन्ध में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था ।

कुष्ट

*२२४३. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अब तक मिदनापुर ज़िले में झारग्राम तथा पश्चिम बंगाल में बांकोरा कुष्ट केन्द्रों के आरम्भिक तथा आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिये अब तक कितनी रकम मंजूर की गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि उन स्थानों की जनता द्वारा बार बार की गई प्रार्थनाओं के अनपेक्ष भी झारग्राम की कुष्ट बस्ती किसी पर्याप्त दूर स्थान पर पृथक नहीं की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार

*२२४४. **श्री राधा रमण :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार नगर तथा उपनगरों में १७ वाणिज्यिक और लाभकारी मार्गों पर बस सेवा की बारम्बारिता बढ़ाने की प्रस्थापना करता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये वर्तमान संख्या में कुल कितनी बसें और बढ़ाई जायेंगी; और

(ग) ये अतिरिक्त कब तक प्राप्त की जायेंगी, और चालू कर दी जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां, श्रीमान् । २१ मार्गों पर ।

(ख) और (ग). १४० नई बसें । इन में से ९९ नई बसें ३१ अगस्त, १९५५ तक पहले ही वर्तमान बस संख्या में बढ़ाई जा चुकी हैं और आशा है कि शेष ४१ बसें अक्तूबर, १९५५ के अन्त तक बढ़ा दी जायेंगी ।

महानदी का पुल

*२२४५. **श्री जांगड़े :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर चन्द्रपुर के निकट महानदी पर एक पुल बनाने की प्रस्थापना केन्द्रीय सरकार को प्राविधिक परामर्श के लिये निर्देशित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या परामर्श दिया गया है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई वित्तीय सहायता भी मांगी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) राज्य सरकार ने, हाल ही में, कुछ एक पुल योजनाओं के लिये, जिन में उक्त परियोजना भी सम्मिलित है, तीन करोड़ रुपये के एक ऋण की मांग की है ।

जिप्सम की खानें (बीकानेर)

*२२४६. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामसर (बीकानेर) की जिप्सम की खानों के हजारों कर्मचारियों को आवास, पीने का पानी, चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें नहीं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुविधाओं को देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों को उचित मजूरी नहीं मिल रही है और ठेकेदार इन के साथ उचित व्यवहार नहीं करते ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (ग). कोयला और अभ्रक की खानों को छोड़ कर अन्य सभी खानों में काम करने वाले कामगरों को कल्याण-विसुधायें दिलवाना राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। हमें यह मालूम हुआ है कि इस खान से सम्बन्धित इन सब मामलों का समझौता शायद जल्दी हो जाये।

कृषि गवेषणा कार्यक्रम

*२२४७. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने कृषि गवेषणा कार्यक्रमों में राज्यों से और अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये नवीन प्रादेशिक उप-केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) क्या कोई भूमि-परीक्षण-प्रयोग-शालायें स्थापित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन प्रदेशों में ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २४]**

बचे खुचे पटसन और छड़ियों सम्बन्धी गवेषणा

*२२४८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की प्रौद्योगिकीय गवेषणा प्रयोगशालाओं के निदेशक ने बचे खुचे पटसन और उसकी छड़ियों का कागज उद्योग के लिये लुग्दी बनाने में उपयोग करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में गवेषणा प्रारम्भ किये जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने १० सितम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में बचे खुचे पटसन और उसकी छड़ियों का कागज उद्योग के लिये लुग्दी बनाने में उपयोग किये जाने के बारे में प्रौद्योगिकीय गवेषणा प्रयोगशालाओं के निदेशक की प्रस्थापना पर विचार किया था। समिति ने इस प्रस्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और यह सिफ़ारिश की है कि पटसन की दंडियों से सस्ती लुग्दी तैयार करने के रुढ़िगत तरीके अथवा किसी अन्य वैकल्पिक तरीके की खोज की जाये, और उस पर पहले समिति द्वारा विचार किये जाने के लिये गवेषणा प्रयोगशालाओं द्वारा आर्थिक स्थिति का सावधानी से अध्ययन करने के उपरान्त एक व्यापक योजना (यदि आवश्यक हो तो वन गवेषणा संस्था, देहरादून, के प्रधान के परामर्श से) तैयार की जाये।

जोगीघोपा-पंचरत्न जल-धारा

*२२४९. **श्री अमजद अली** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जोगीघोपा और पंचरत्न के बीच की जल-धारा को पार करने के लिये किये गये प्रबन्ध, जिसे कि राष्ट्रीय राजपथ का एक भाग घोषित किया गया था, टूट फूट गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस जल-धारा पार करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जोगीघोपा और पंचरत्न के बीच नदी को

पार करने के प्रबन्धों में कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई है । क्योंकि २ अगस्त, १९५५ को ठेकेदार के स्टीमर को कुछ क्षति पहुंची थी, इसलिये खेवा चलाने का कार्य विभागीय रूप से इंजनों वाली नौकाओं के द्वारा, जिन को कि आलम्ब के रूप में रखा गया है, किया जा रहा है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन प्रशिक्षण योजना

*२२५०. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का काल क्या है;

(ख) प्रशिक्षार्थियों को दी जाने वाली सुविधायें क्या हैं; और

(ग) प्रशिक्षार्थियों की निर्धारित योग्यता क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) प्रशिक्षण का काल एक सा नहीं है । वह ६ हफ्ते से १२ महीने तक का होता है ।

(ख) बारह हफ्ते के प्रशिक्षण कोर्स के लिये चुने हुए हर प्रशिक्षार्थी को केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा ५० रुपये महीने का वज़ीफा दिया जाता है । शिक्षा मन्त्रालय की ओर से हर प्रशिक्षार्थी को ७५ रुपये महीने का वज़ीफा, जिसकी मियाद एक साल है, दिया जाता है । रहने के लिये जगह केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की ओर से बैरागढ़ और यूनिटों में दी जाती है ।

(ग) १२ हफ्तों के प्रशिक्षण कोर्स के लिये, कम से कम योग्यता इन्टरमीजियेट स्टेन्डर्ड की रखी गई है, लेकिन शिक्षा मन्त्रालय के नामज़द व्यक्ति इन्जीनियरिंग में डिपलोमा पास किये हुए होते हैं । बाकी कोर्स टेकनिकल संस्थाओं और राज्य सरकारों द्वारा नामज़द व्यक्तियों के लिये होते हैं ।

ट्रेन सेवा

*२२५१. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गौहाटी से तेजपुर तक की ११२ मील की यात्रा करने में सवारी गाड़ियां १४ घण्टे का समय और माल गाड़ियां एक मास से भी अधिक का समय ले लेती हैं;

(ख) क्या रांगिया-तेजपुर लाईन पर विलम्ब, निरोध और उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इस लाईन के लिये एक अलग रेल ज़िला बनाने की कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तेजपुर और गौहाटी के बीच, १२२ मील का अन्तर है न कि ११२ मील का जैसा कि प्रश्न में कहा गया है । गौहाटी से तेजपुर पहुंचने में सवारी गाड़ी १३ घण्टे और १५ मिनट का समय लेती है, जिस में नौघाट को पार करने और किनारे से आगे की यात्रा करने वाली गाड़ी द्वारा लिये जाने वाला समय भी सम्मिलित है । गौहाटी से तेजपुर तक माल पहुंचन में यदि पूरा माल डिब्बा भर सामान हो, तो सामान्यतया कुल पांच दिन लग जाते हैं और छोटे छोटे सामान के लिये एक दिन और लग जाता है ।

(ख) कभी कभी शिकायत प्राप्त होती है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) केवल ९४ मील की एक छोटी सी शाखा के लिये एक अलग रेल ज़िला बनाया जाना न्यायोचित नहीं है । अलीपुर द्वार में स्थित वर्तमान ज़िला मुख्यालय ठीक स्थान पर है और कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

बीना में दुर्घटना

*२२५२. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ७ सितम्बर, १९५५ को मध्य रेलवे के भोपाल-झांसी विभाग के बीना जंकशन पर किन परिस्थितियों में कुछ एक पारसल फट गये थे; और

(ख) क्या कुछ एक व्यक्तियों को चोटें भी आई थीं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ७-९-१९५५ को लगभग ५ बजे सायं उस समय एक धमाका हुआ था, जब कि बीना स्टेशन पर कुछ एक पारसल आगे के गन्तव्य स्थान पर भेजे जाने के लिये एक ट्राली पर अप प्लैटफार्म से डाउन प्लैटफार्म पर ले जाये जा रहे थे ।

इस के ब्योरे के बारे में पदाधिकारियों की एक जांच समिति खोज कर रही है ।

(ख) छः व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थीं, जिन में से तीन व्यक्ति बाद को मर गये; पांच व्यक्तियों को साधारण सी चोटें आई थीं ।

नौवहन कर्मचारियों का प्रशिक्षण

*२२५३. **श्री एम० डी० जोशी :** क्या **परिवहन** मंत्री १२ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नौवहन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के खर्च का कुछ भाग प्रशिक्षणार्थियों द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) १९४८ से १९५५ तक कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों को सेवायुक्त किया जा चुका है; और

(घ) कितने कर्मचारी अभी तक बेरोज़गार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां, श्रीमान् । जिन प्रशिक्षणार्थियों को वाणिज्यिक नौ-पदाधिकारियों के पदों पर कार्य करने के लिये तैयार किया जा रहा है, उन को प्रशिक्षण व्यय का कुछ भाग स्वयं वहन करना होता है ।

(ख) से (घ). एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २५]**

पुलों के लिये बिहार को ऋण

*२२५४. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलों तथा नीचे के पुलों के निर्माण के लिये बिहार सरकार को १९५४ में कुल कितना अनुदान अथवा ऋण मंजूर किया गया है; और

(ख) बिहार सरकार द्वारा कुल कितनी राशि के लिये प्रार्थना की गई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). कुछ भी नहीं, श्रीमान् ।

समुद्र के जीवित संसाधनों का संरक्षण

*२२५५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एक भारतीय शिष्ट मंडल समुद्र के जीवित संसाधनों के संरक्षण के सम्बन्ध में अप्रैल, १९५५ में रोम

में हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रविधिक सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या शिष्ट मण्डल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) भारत ने रोम में हुए उस सम्मेलन में प्राप्त हुए अनुभव मे कितना लाभ उठाया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) शिष्टमण्डल का कार्य भारत को प्रादेशिक समुद्रों, उच्च समुद्रों के प्रशासन और भारत के पड़ौस के समुद्रों के तट से परे मीन क्षेत्रों के संरक्षण के सम्बन्ध में अपनी नीति बनाने में सहायता करेगा ।

खाद्य उपभोग सर्वेक्षण

*२२५६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य और कृषि संघ की समन्वय समिति के इस सुझाव को कि खाद्य उपभोग सर्वेक्षणों और परिवार जीवन स्तरों के अध्ययन और मार्केटिंग को पूरी तरह मे लागू किया जाये, किस प्रकार से कार्यान्वित करने की प्रस्थापना है;

(ख) क्या उत्पादक और उपभोक्ता मूल्यों के अन्तर की वृद्धि पर भी विचार करने की प्रस्थापना है; और

(ग) जून, १९५५ में खाद्य और कृषि संघ की समन्वयसमिति में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). समन्वय समिति के प्रतिवेदन पर खाद्य और कृषि संघ द्वारा नवम्बर १९५५ में रोम में होने वाले आगामी सम्मेलन सत्र में विचार किया जायेगा । इसलिये इस समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों के भारत द्वारा कार्यान्वित किये जाने का प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) गृह-कार्य मंत्रालय के विकास परामर्शदाता तथा अतिरिक्त सचिव सरदार दातार सिंह ने उस बैठक में भाग लिया था ।

धोखे के मामले

*२२५७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक कर्मचारियों से सम्बन्धित धोखे के मामलों को निबटाने में असाधारण विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आज कल कितने मामले तथा कितनी अपीलें विचाराधीन हैं;

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कुछ एक मामलों के जटिल होने के कारण पुलिस को अधिक समय तक जांच करनी पड़ती है और उस के बाद न्यायालयों में उन पर बहुत देर तक विचार होता रहता है इस कारण उन के निबटारे में अनिवार्य रूप से विलम्ब हो जाता है । प्रयत्न किया जा रहा है कि इस प्रकार के मामलों में विलम्ब बहुत कम हो ।

(ख) भारत भर में एक वर्ष से अधिक काल से चलते आ रहे लगभग ६०० धोखे के मामलों की सूचना मिली है ।

सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सासुविधाय

*२२५८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें देने में कोई भेद भाव किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो यह भेद भाव किस सीमा तक किया जाता है और इस के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २६]**

श्रम कल्याण पदाधिकारियों का सामाज में कार्य प्रशिक्षण

***२२५९. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी श्रम कल्याण पदाधिकारियों के सामाजिक कार्य में प्रशिक्षण देने सम्बन्धी योजना का ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडभाई देसाई) : भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के श्रम-कल्याण पदाधिकारियों को एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करने का प्रबन्ध किया है । यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के नियमित दीर्घ-कालीन सामाजिक कार्य पाठ्यक्रम के साथ ही चलाया जाता है और इस की अवधि छः मास है । ऐसे दो पाठ्यक्रम प्रति वर्ष चलाये जाते हैं । एक जनवरी में प्रारम्भ होता है और दूसरा जून में । साधारणतया पन्द्रह पदाधिकारी प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये भेजे जाते हैं । प्रशिक्षण का खर्च केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा भेजे गये अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात से वहन किया जाता है । इस पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण सम्मिलित है । प्रत्येक पाठ्यक्रम के अन्त में एक परीक्षा ली जाती है और सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं ।

पशुचिकित्सा कालिज

***२२६०. श्री राधा रमण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार देश में चार नये पशु चिकित्सा कालिज खोलने की प्रस्थापना करती है;

(ख) यदि हां, तो उन पर लगभग कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस समय देश में राज्य-वार कुल कितने पशु-चिकित्सा कालिज हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हाँ भारत सरकार ने योजना-आयोग के परामर्श से आन्ध्र, त्रावनकोर कोचीन, उड़ीसा और मध्य भारत की राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में एक पशु-चिकित्सा कालिज स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है । चारों राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इस वर्ष से पशु-चिकित्सा कालिज प्रारम्भ कर दिये हैं ।

(ख) चार नये पशु-चिकित्सा कालिजों की स्थापना पर लगभग १.२ करोड़ रुपया ।

(ग) इस समय भारत में (इस वर्ष खोले गये चार नये कालिजों समेत) कुल १४ पशु-चिकित्सा कालिज हैं और पंजाब उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, बम्बई, हैदराबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मद्रास, आन्ध्र, त्रावनकोर-कोचीन और मध्य भारत राज्यों में एक एक है ।

अफ्रीकी मछली का पालन

***२२६१. श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञ मीन क्षेत्र गवेषणा समिति ने, भारत में अफ्रीकी मछली के पालन की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). ऐसा विचार है कि माननीय सदस्य का इंगित भारत में **तिलापिया** के विकास की ओर है । मीन क्षेत्र गवेषणा समिति ने (१) पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान तथा कुमारी अन्तरीप तथा ताप्ती नदी को छोड़ कर, ताप्ती के दक्षिण के बीच की तटीय पट्टी (२) नदी वेगाई के समेत, वेगाई नदी के दक्षिण में मद्रास के तिनेवल्ली, मदुरा तथा रामनाद ज़िलों के क्षेत्रों में इस मछली के पालन की सिफारिश की है । समिति ने अग्रेतर जांच का सुझाव दिया है जिस से भारत के अन्य भागों में **पिलापिया** के विकास के औचित्य के प्रश्न की जांच हो सके ।

इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

खान अधिनियम

*२२६२. **श्री अमजद अली** : क्या श्रम मंत्री २ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने, लागू खान अधिनियम तथा सम्बद्ध नियमों तथा विनियमों की जांच के लिये उच्च स्तरीय आयोग को नियुक्त करने की जांच न्यायालय की सिफारिश पर विचार कर लिया है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : विषय अभी विचाराधीन है ।

रेलगाड़ी दुर्घटना

*२२६३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के दोहद-रतलाम विभाग पर रतलाम से ३० मील, अमर घाट के निकट ९ सितम्बर, १९५५ को एक मालगाड़ी का डिब्बा नष्ट हो गया था तथा अन्य डिब्बे पटरी से उतर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पश्चिम रेलवे के दोहद-रतलाम बड़ी लाइन विभाग पर अमरगढ़ स्टेशन (प्रश्न के अनुसार अमर घाट नहीं) से छूटते समय ९-९-१९५५ को लगभग १७.१० समय पर, ३७७ १।२ मील पर गाड़ी का ४७ वां वैगन नष्ट हो गया तथा उस के साथ के तीन माल डिब्बे पटरी से उतर गये थे ।

(ख) रेलवे पदाधिकारियों की एक समिति दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है ।

रेलवे दुर्घटना

११५८. श्री के० पी० सिन्हा : क्या रेलवे मंत्री २३ फरवरी, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५४ में जनगांव के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में की गई जांच के प्रतिवेदन पर अन्तिम क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : २७-९-१९५४ को जनगांव के निकट रेलवे दुर्घटना पर रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन पर की गई अन्तिम कार्यवाही की निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातें हैं :

(१) एक अच्छे स्थान पर एक नया पुल बना दिया गया है तथा अन्तिम प्राप्य आंकड़ों के अनुसार पर्याप्त जल की व्यवस्था हो गई है ।

(२) मध्य रेलवे के मुख्य इंजीनियर ने आदेश जारी किये हैं कि सभी ख़तरनाक स्थानों की सूची बनाई जाये तथा बरसात में इन सभी स्थानों पर चौकीदार नियुक्त किये जायें और पुल पर लगे सुरक्षा निशान जिन को ख़तरे के निशान भी कहा जाता है, पर बाढ़ का स्तर पार करने पर कार्यवाही करें।

(३) मध्य रेलवे के सामान्य प्रबन्धक ने एक आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किया है जिस के अनुसार, भूतपूर्व उत्तर दक्षिण रेलवे के सभी बड़े पुलों पर गार्ड रेलों की व्यवस्था हो तथा यह कार्य ३१-३-१९५६ तक पूर्ण होने की आशा है।

(४) मान्य दुर्घटना सहायता औषधीय सामग्री में मार्फीन इंजैक्शन्स को सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है।

(५) 'ग' वर्ग सामग्री में कम्बलों की संख्या ६ से १२ बढ़ा दी गई है।

(६) आदेश जारी किये जा चुके हैं कि बड़ी दुर्घटनाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों को सभी संभावित सहायता दी जानी चाहिये।

(७) रेलवे कर्मचारियों को दुखी यात्रियों को सभी प्रकार की तथा शीघ्र सहायता को उन के प्रारम्भिक कर्तव्यों की याद दिलाने, एक साप्ताहिक गजट जारी किया जाता है।

(८) उपस्थित स्टेशन मास्टर के लिये यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह पैट्रोलमेन के आने तथा जाने के समय को स्टेशन की डायरी में लिखे।

यात्री डिब्बे

११५९. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व रेलवे के पलज़ाघाट से तथा वहां तक चलने वाली गाड़ियों में पानी, बिजली की रोशनी, और पंखों के असंतोषजनक प्रबन्ध को सुधारने के लिये क्या विशेष कार्य किये गये ; और

(ख) क्या विशेष कार्यों के परिणाम-स्वरूप अभी तक कोई सराहना योग्य सुधार किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पलज़ाघाट में डिब्बों में बिजली तथा पंखों की कमियों तथा ख़राबियों को देखने के लिये, रेलगाड़ी में रोशनी करने वाले कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। पलज़ाघाट में एक छोटा बैटरी चार्ज करने का यंत्र भी लगा दिया गया है जिस से रेलगाड़ियों की विद्युत शक्ति की कमी पूरी हो सके। एक बड़े चार्जिंग यंत्र का भी आर्डर दिया हुआ है तथा उस के शीघ्र आने की आशा है। कार्यक्रमानुसार शीघ्रता से जेनेरेटर लगी डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस समय वर्तमान खुले कुएं के पानी का प्रयोग, गाड़ी के टैंकों को भरने तथा पीने के लिये किया जाता है। गाड़ियों को धोने आदि के लिये दो अतिरिक्त टैंक तथा एक अतिरिक्त विद्युत पम्प की व्यवस्था भी की गई है।

(ख) जी, हां। उपरिलिखित उपायों के फलस्वरूप ही रोशनी तथा पंखों और पानी के सम्बन्ध में कुछ सुधार हुए हैं।

सरकारी भूमि पर अनधिकृत मकान बनाना

११६०. डा० सत्यवादी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोलबाग में, जहां डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टर हैं, सरकारी भूमि पर किसी चपरासी ने नाजायज तौर पर एक दुकान बना ली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जांच करने वाले इन्स्पेक्टर ने इस मामले की जांच की और यह रिपोर्ट दी कि वह अनधिकृत रूप

से बनाई गई है और इस रिपोर्ट पर डायरेक्टर जनरल ने उस को हटाने की आज्ञा दे दी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस आज्ञा के बावजूद किसी अफसर ने उसको हटाने की अवधि छः महीने बढ़ा दी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकारी भूमि पर नाजायज रूप से बनाई गई दुकान के लिये पिछले आठ महीनों के लिये कोई किराया लिया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं । परन्तु दो चपरासियों ने देव नगर में डाक-तार विभाग के क्वार्टरों के पास अपने रहने के लिये झोंपड़ियां बनाई हैं ।

(ख) जी, हां । इन झोंपड़ियों को दो महीने के भीतर गिरा देने के लिय आज्ञा दी गई थी ।

(ग) जी हां, इन झोंपड़ियों को ६ महीने और बना रहने की अवधि प्रधान सचालक द्वारा बढ़ाई गई थी ।

(घ) दया-भाव के कारण और इसलिये कि उक्त कर्मचारी अपने रहने के लिये अन्य कोई स्थान खोज कर लें ।

(ङ) इन कर्मचारियों से भूमि का किराया लेने का विषय विचाराधीन है ।

विलिंग्डन अस्पताल

११६१. श्री किरोलिकर : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अगस्त १९५५ को समाप्त होने वाले गत छः माह में विलिंग्डन अस्पताल नई दिल्ली में बाहर के रोगियों की प्रति दिन औसत संख्या क्या थी;

(ख) बाहर के रोगियों को कितने डाक्टरों ने देखा; और

(ग) कितने कम्पाउन्डर औषधि आदि देने के काम में लगे थे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ७९० ।

(ख) ५ ।

(ग) ९ ।

ऊपरी पुल

११६२. श्री कामत : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग, ने समतल पारण पर ऊपरी पुल निर्माण के लिये मध्य प्रदेश को ऋण स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की धनराशि क्या है; और

(ग) वह कौन से स्थान हैं जहां ऊपरी पुल बनाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने किसी ऋण की स्वीकृति की मांग नहीं की तथा समतल पारणों पर ऊपरी पुल बनाने के लिये उस सरकार को किसी ऋण की स्वीकृति भी नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नल-कूप

११६३. श्री कामत : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने नल कूप खोदे जा चुके हैं;

(ख) यह नल कूप किन किन स्थानों पर हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में इस दिशा में किये गये कितने प्रयत्न असफल हुए ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अभी तक नल कूप जांच संस्था ने मध्य प्रदेश में १३ कुएं खोदे हैं ।

(ख) यह कुएं (१) तिमुरनी (२) पाघल (३) धर्मकुण्डी खुतवसा (४) सामल-खेरा (५) पावरखेडा (६) सेमरी (७) पिपरिया (८) बानखेरी (९) सेनखेरा (१०) गदरवारा (११) करनी नरसिंगपुर होशंगाबाद ज़िले में (१) शाहपुरा तथा (२) भोरोटोल जबलपुर ज़िले में, स्थापित हैं ।

(ग) सात कुएं पूर्ण नल कूप में परिवर्तित करने के उपयुक्त नहीं पाये गये ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था कर्मचारी संघ

११६४. श्री कामत : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था कर्मचारियों का एक पंजीबद्ध संघ है;

(ख) क्या सरकार ने इस को मान्यता दी है; और

(ग) यदि नहीं तो इस के कारण क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक संघ पंजीबद्ध नहीं हुआ है ।

(ग) संघ को मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

वायु दुर्घटनायें

११६५. श्री कामत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व असैनिक उड्डयन निदेशालय ने भारतीय एयर लाइन्स निगम के डकोटा वायुयान पर, वायुयान के पूरे भार पर एक इंजन की जांच के कई परीक्षण किये हैं;

(ख) परीक्षणों के परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या इन परीक्षणों में कोई दुर्घटना भी हुई थी;

(घ) यदि हां, तो दुर्घटना के कारणों की कोई जांच भी की गई थी; और

(ङ) उस के निष्कर्ष क्या थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) परीक्षणों के परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है । परन्तु मैं इतना कह सकता हूं अभी तक कुछ नहीं पाया गया जिस से 'डकोटा' विमान के कार्य-निष्पादन में कोई सन्देह हो ।

(ग) जी, हां । दिल्ली में यमुना पुल के निकट एक दुर्घटना हुई थी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अन्तिम निष्कर्षों पर अभी नहीं पहुंचे हैं ।

प्रशिक्षण पोत—भद्रा

११६६. श्री कामत : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशिक्षण पोत "भद्रा" का कप्तान अधीक्षक एक नौ बल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या इस मामले के सम्बन्ध में व्यवहारित प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी नहीं । परन्तु जब वर्तमान पदधारी अपने ठेके की समाप्ति के पूर्व की छुट्टी १ नवम्बर, १९५५ से जायेंगे तब एक नौ बल के एक पदाधिकारी को कप्तान अधीक्षक नियुक्त करने का विचार है ।

(ख) और (ग). व्यवहारित प्रणाली यह है कि इस प्रकार के स्थान रिक्त होने पर इनको उसी संस्थापन अथवा उसी प्रकार के संस्थापनों में निम्न पदों से पदोन्नति के द्वारा अथवा अन्य सरकारी सेवाओं से स्थानांतरण अथवा बाहर से उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के द्वारा पूर्ण किया जाता है । इस समय कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं है तथा यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि इस मामले में विज्ञापन पद्धति व्यर्थ सिद्ध होगी । इसलिये स्थानांतरण के द्वारा एक उपयुक्त नौ बल पदाधिकारी को नियुक्त करने में कुछ अनौचित्य नहीं है ।

स्थान का रिज़र्व करना

११६७. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, रेलों के द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में, बैठने के स्थान का रिज़र्व करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). कुछ लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के चलने के स्टेशनों से द्वितीय श्रेणी में बैठने के स्थानों के रिज़र्व करने की व्यवस्था अब भी है ।

जल प्रभार

११६८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डाक तथा तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जल के सार्वजनिक नलों से पानी लेने के सम्बन्ध में एक रुपये आठ आना दे रहे हैं जब कि अन्य विभागों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी केवल १२ आने दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) इस खर्च में कमी कब की जायेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जैसा कि बताया गया है यह वैभिन्नय विद्यमान है । क्वार्टरों में जल की पूर्ण खपत के आधार पर, दिल्ली तथा नई दिल्ली के डाक तथा तार विभाग के लिये एक रुपया आठ आना निश्चित किये गये हैं तथा यह दर भी रियायती है क्योंकि शेष व्यय जो कि लगभग ६,६०० रुपये वार्षिक आता है, डाक तथा तार विभाग द्वारा दिया जाता है ।

(ग) मामले पर ३१-३-१९५६ के पश्चात् फिर ग़ौर होगा जिस से इस संशोधन की संभावित्वया पर विचार कर सकें ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

११७०. **श्री राधा रमण** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त हुए वर्ष में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं; और

(ख) इन आंकड़ों की तुलना में पहले वर्ष के आंकड़े क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ११२३ ।

(ख) पहले वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या ९७२ थी ।

तांबे के तार की चोरी

११७१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में टेलीफ़ोन और टेलीग्राफ़ के तारों को काटने और उन्हें चुराने के कितने मामले हुए हैं;

(ख) कितने मामलों म अपराधियों का पता लगा; और

(ग) कितने व्यक्तियों को न्यायालयों ने दण्ड दिया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५४-५५ में चोरियों की घटनाओं की कुल संख्या ३,४६९ थी ।

(ख) न्यायालयों में ९७ मामले चलाये गये और सन्दिग्ध अपराधियों की संख्या ३०१ थी ।

(ग) न्यायालयों द्वारा ६३ व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ।

वायरलैस चालक

११७२. श्री डी० सी० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर रेलवे में कितने वायरलैस चालक तथा देखभाल करने वाले कर्मचारी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : वायरलैस चालक ९१ देख-भाल करने वाले कर्मचारी ५४

यात्रियों के लिये सुविधायें

११७३. श्री डाभी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में पश्चिमी रेलवे में यात्रियों की सुविधायें के कामों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : ४०८ कामों में से ३१ काम पूरे हो चुके हैं, २४५ चल रहे हैं, और १३२ अभी आरम्भ किये जायेंगे, जिन के लिये या तो प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं या मंजूर होने वाले हैं ।

६० लाख रुपये के आवंटन में से मई १९५५ के अन्त तक २,७८,००० रुपये खर्च किये गये थे । वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में वित्तीय वर्ष के आरम्भ के कारण कुछ कम खर्च हुआ है, किन्तु वित्तीय वर्ष के बढ़ने के साथ खर्च बढ़ रहा है और काम की गति भी तेज हो रही है । रेलवे समस्त राशि के इस वर्ष में खर्च हो जाने की आशा करती है ।

चीनी की मिलें

११७४. श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में राज्यवार चीनी की कितनी मिलें हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २७]**

नल-कूप

११७५. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मई, १९५५ तक कितने नल-कूप लगाये गये थे;

(ख) भारत अमरीका शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अधीन अब तक कितने नल-कूप लगाये गये हैं;

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों द्वारा कितने नल-कूप लगाये गये हैं; और

(घ) यदि विभाग द्वारा तथा ठेकेदारों द्वारा नल-कूप लगाने के खर्चों में कुछ अन्तर है तो कितना ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित ४७१५ नल-कूपों के बड़े पैमाने पर नल-कूप निर्माण कार्यक्रम के अधीन ३१ मई, १९५५ तक ३३४१ नल-कप लगाये गये थे ।

(ख) तथा (ग) अगस्त १९५५ के अन्त तक, २६५० में से २२८३ नल-कूप

खोदे गये थे । इन में से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में विभागों के द्वारा क्रमशः ४२५ में से ४२२, १३५ में से १३३ और १०० में से १०० नल-कूप खुदवाये गये थे ।

(घ) पानी निकालने के स्थान पर ३०० फुट की गहराई के आदर्श नल-कूप के निर्माण की लागत का नवीनतम प्राक्कलन २०,६०० रुपये है, जब कि वह विभाग द्वारा लगाया गया है, और ठेकेदार के द्वारा बनाये जाने पर २३,००० रुपये है ।

गाड़ियां

११७६. **श्री इब्राहीम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५५ से अब तक विभिन्न रेलवे के खण्डों में कितनी नई गाड़ियां चलाई गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : १ अप्रैल से १५ अगस्त, १९५५ तक विभिन्न रेलों पर कुल ५९ नई गाड़ियां चलाई गई हैं, इस के अतिरिक्त ३७ गाड़ियों का सफर (यात्रा) बढ़ा दिया गया है ।

बीजों के विकास के खेत

११७७. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में बीज पैदा करने के लिये कितने खेत हैं;

(ख) वे राज्यवार किन-किन स्थानों में हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उन के विकास के लिये अब तक क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) २२२ ।

(ख) उन की स्थिति बताने वाला विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ग) बीज पैदा करने का काम विभिन्न कृषि सम्बन्धी गवेषणा संस्थाओं और इस के उपकेन्द्रों में, जिन की सूची नीचे दी जाती है, किया जा रहा है ।

भारतीय कृषि सम्बन्धी गवेषणा संस्था, दिल्ली

कृषि सम्बन्धी गवेषणा संस्था, करनाल
वानस्पतिक केन्द्र, पूसा, बिहार
केन्द्रीय सब्ज़ी उत्पादन केन्द्र, कुल्लू
गेहूं उत्पादन केन्द्र शिमला
,, ,, ,, पूसा
,, ,, ,, मद्रास
,, ,, ,, इन्दौर
आलू उत्पादन केन्द्र पटना
,, ,, ,, शिमला
,, ,, ,, कुफरी
,, ,, ,, भोवाली

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक ।

गवेषणा संस्थाओं में नई-नई प्रकार के बीज तैयार किये जा रहे हैं और वे विभिन्न राज्यों में भेजे जा रहे हैं ताकि वे अपने-अपने राज्यों के लिये बीज चुनकर उन को फैलायें । केन्द्रीय संस्थायें राज्यों को प्रति वर्ष अपने फार्म से अन्तर्बीज देती रहती है ।

भारतीय कृषि सम्बन्धी गवेषणा परिषद भी बहुत से बीज उत्पादन करने वाली योजनाओं को पोषित करती है । परिषद ने निम्न खेतियों सम्बन्धी गवेषणा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५५ तक ७८.३३ लाख रुपये दिये हैं ।

१. चावल

२. गेहूं या दूसरा अनाज

३. मोटा अनाज या दालें, और

४. सब्ज़ियां

औषधियों का उपहार

११७८. श्री इब्राहीम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में किस-किस देश ने भारत को उपहार रूप में औषधियां भेजी हैं;

(ख) इन विदेशों से प्राप्त हुए ऐसे उपहारों का मूल्य कितना है; और

(ग) इन औषधियों का किस प्रकार उपयोग किया गया था ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) इंगलिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, नार्वे, डनमार्क, नीदर्जलैंड, ज़ैचोस्लोवाकिया और इटली ।

(ख) कुल प्राप्त औषधियों का मूल्य बताना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से उपहार भेंटकर्ताओं ने जो औषधियां भेजी हैं, उन का मूल्य नहीं बताया है ।

(ग) औषधियां राज्य सरकारों, सरकारी अस्पतालों और धार्मिक संस्थाओं तथा संघटनाओं द्वारा अभाव तथा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में बांटी गई थीं ।

हैदराबाद में डाकघर

११७९. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में हैदराबाद राज्य में कितने डाकघर खोले गये; और

(ख) अगले वर्ष कितने डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५४४ ।

(ख) ३७२ ।

रेलवे साइडिंग

११८०. श्री आर० एन० एस० देव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के खान मालिकों से अपने खर्च पर गैर-सरकारी सहायताप्राप्त साइडिंगों के लिये प्रार्थनायें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये हैं; और

(घ) उनके निबटारे में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). जानकारी देने वाला विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ११ अनुबन्ध संख्या २९]**

(घ) प्रार्थनाओं के निपटारे में अधिक विलम्ब नहीं हुआ है ।

प्रादेशिक दावा कार्यालय

११८१. श्री एल० एन० मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुज़फ्फ़रपुर का प्रादेशिक दावा कार्यालय गोरखपुर स्थानान्तरित होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) इस समय उक्त कार्यालय में कितने मामले निलम्बित पड़े हैं;

(घ) इस कार्यालय ने कितने मामलों को निपटाया है; और

(ङ) उत्तर बिहार के मामलों की संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी संबद्ध विवरण में दी

गई है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३०]

रेलवे के इंजन व डिब्बे आदि

११८२. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने हाल ही में भारतीय रेलों के लिये विदेशों को कितने इंजनों का आर्डर दिया है;

(ख) किन-किन फर्मों को आर्डर दिये गये हैं प्रत्येक फ़र्म के साथ कितने इंजनों का संविदा किया गया है; और

(ग) किन-किन देशों ने संविदा के लिये उच्चतम और न्यूनतम मूल्य दिये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४४३ ।

(ख) तथा (ग). विवरण संबद्ध है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३१]

रेलवे न्यायाधिकरण

११८३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि मद्रास में रेलवे कर्मचारियों के नेशनल फेडरेशन (राष्ट्रीय संघ) के समारोह के सकल्प के होते हुए, जिस ने रेलवे बोर्ड को रेलवे कर्मचारियों के वसावड़ा वर्ग के साथ कोई समझौता न करने की चेतावनी दी थी, रेलवे कर्मचारियों की कुछ मांगों के बारे में समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की रेलवे कर्मचारियों पर क्या प्रतिक्रिया होगी; और

(ग) क्या सरकार इन मदों को, जिन के बारे में समझौता हो चुका है, न्यायाधिकरण से वापिस लैने का विचार रखती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय रेलवे कर्मचारियों के नेशनल फेडरेशन का मद्रास में कोई समारोह नहीं हुआ था ।

१८ से २२ जुलाई, १९५५ तक रेलवे बोर्ड और भारतीय रेलवे कर्मचारियों के नेशनल फेडरेशन के बीच होने वाली बैठक में रेलवे कर्मचारियों की कुछ मांगों के बारे में समझौता हो गया था ।

(ख) उपरोक्त समझौते का रेलवे कर्मचारियों ने बहुत स्वागत किया है ।

(ग) जी, हां ।

रैरागपुर से डाक का यातायात

११८४. **श्री सुबोध हासदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग के अधिकारियों ने रैणगपुर से बारीपद (उड़ीसा) तक बसों द्वारा डाक ले जाने को रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर शीघ्र डाक देने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं । जब सड़क पर पलीता लगाया हुआ था, तब डाक व्यवस्था में केवल अस्थायी परिवर्तन किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

तार की लाइन म बाधा

११८५. **श्री सुबोध हासदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रैरांगपुर उड़ीसा) डाकघर की तार की लाइन प्राय : खराब हो जाया करती है;

(ख) क्या यह सच है कि उस स्थान पर जो लाइनमैन काम किया करते थे, उन्हें वापिस बुला लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार रेरांगपुर में टेलिफोन एक्सचेंज बनाने का विचार करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जून, जुलाई और अगस्त, १९५५ में इस सर्किट पर अन्तर्वाधायें हुई थीं, जो मुख्यत : सड़क निर्माण करने वाले लोगों द्वारा चट्टान उड़ाने और वृक्ष काट कर गिराने के कारण हुई थीं ।

(ख) तथा (ग). रेरांगपुर की टेलीग्राफ शाखा ४–२–५३ को खोली गई थी । १९५४ के अन्त में थोड़े समय के लिये प्रयोग के रूप में रेरांगपुर में बारीपाद—रेंरांगपुर सेक्शन की अन्तर्वाधाओं को रोकने के लिये एक लाइनमैन लगाया गया था, जो लाइनमैन का मुख्यालय नहीं है । परन्तु क्योंकि ररांगपुर सर्किट के किनारे पर था, इसलिये इस प्रयोग में सफलता नहीं मिली, क्योंकि लाइनमैन प्राय: अन्तर्वाधा के स्थान पर तुरन्त नहीं पहुंच सकता था । जिसका कारण यह था कि उसे और किसी साधन के द्वारा सूचना नहीं भेजी जा सकती थी । इसलिये दो महीनों के बाद इस लाइनमैन को रेरांगपुर से हटा दिया गया था । रेरांगपुर से १८ मील की दूरी पर बिसोई में सेक्शन का लाइनमैन है ।

टैस्ट करने वाले पदाधिकारी के पास एक से अधिक सर्किटों के द्वारा बिसोई के लाइनमैन को बुलाने की सुविधायें हैं इसलिये लाइनमैन की सेवाओं का उत्तम उपयोग होता है, क्योंकि वह दोनों ओर जा सकता है ।

(घ) रेरांगपुर में पब्लिक काल घर (टेलीफोन घर) खोलने की स्वीकृति दे दी गई है ।

यात्रियों को सुविधायें

११८६. श्री घूसिया : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा और गोरखपुर (लूप लाइन) के बीच किन किन स्टेशनों पर तृतीय श्रेणी के यात्रियों के हाल हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाह नवाज खां) : निम्न स्टेशनों पर तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये पृथक हाल बनाये गये हैं :—

१. बलरामपुर
२. तुलसीपुर
३. आनन्द नगर

निम्न स्थानों पर विश्राम घरों के रूप में शेड बनाये गये हैं :—

१. मनीरम
२. पेपरगंज
३. कम्पीरगंज
४. ब्रिजमनगंज
५. उसका बाजार
६. नोगढ़
७. चिलहिमा
८. शोहरतगढ़
९. पारसा
१०. बहँनी
११. पंचपेखा
१२. गेनसरी
१३. कखापुर
१४. इन्तियाथोक

उत्तर रेलवे खोमचे वालों का संघ

११८७. श्री वी० एस० मूर्ति : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के खोमचे वालों के संघ ने हाल में ही अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन किस प्रकार का है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). लुधियाना स्टेशन पर ठेकेदारों द्वारा कुछ खोमचे वालों को निकाल देने के विरुद्ध उत्तर रेलवे के खोमचे वालों के संघ ने अभ्यावेदन दिया है । मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि प्लेटफार्मों पर भीड़ कम करने की दृष्टि से, ठेलागाड़ियों और खोमचों की संख्या कम करने के लिये उत्तर रेलवे प्रशासन के निर्णय के अनुपालन में ठेकेदारों ने खोमचे वालों को हटा दिया था ।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

११८८. **श्री टी० बी० विट्ठलराव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के और अन्य सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों और छुट्टियों के मामले में कुछ अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का अन्तर है ;

(ग) किस श्रेणी के कर्मचारियों को कुछ भी छुट्टी नहीं मिलती ; और

(घ) क्या इस अन्तर को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बहुत से अन्य विभागों के मुकाबले में कुछ अन्तर अवश्य है ।

(ख) डाक तथा तार विभाग के प्रशासी कार्यालयों में काम के घंटे और छुट्टियां वही हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में हैं । डाकघरों, तारघरों, आर० एम० एस० के दफ्तरों आदि के काम के घंटों में केन्द्रीय सरकार के अन्य बहुत से दफ्तरों की अपेक्षा अन्तर है, क्योंकि पूर्व वर्णित कार्यालय प्रशासी कार्यालय न हो कर सीधे सार्वजनिक सेवा के कार्यालय हैं । वे बहुत कम छुट्टियां मनाते हैं, क्योंकि जनता को दी जाने वाली सुविधायें नहीं घटाई जा सकतीं ।

(ग) टेलीफोन ओप्रेटर, वायरलेस, ओप्रेटर, रिपीटर स्टेशन असिसटेंट और रेलवे डाक सेवा चलती गाड़ी के सेक्शनों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों पर छुट्टियों के मामलों में कुछ रुकावटें हैं, जैसे रेलवे आदि कुछ अन्य सरकारी विभागों में हैं ।

(घ) जी नहीं ।

रेलवे कर्मचारी

११८९. **डा० रामा राव :**
चौधरी मुहम्मद शफी:

क्या **रेलवे** मंत्री ४ अप्रैल, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से भारतीय रेलों पर कर्मचारियों की वार्षिक तरक्की को रोक लेने के बारे में कोई फैसला किया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार का दण्ड रेलों के जनरल मैनेजर अब भी कर्मचारियों को देते हैं ; और

(ग) यदि ऐसा है, तो प्रथम मई, १९५५ से ३० जून, १९५५ तक ऐसे कितने मामले हुए हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं, मामले की अभी जांच हो रही है ।

(ख) जी, हां । सिवाय केन्द्रीय और पश्चिमी रेलों के जहां कर्मचारियों को, जिन पर मजूरी भुगतान अधिनियम, १९४६ लागू होता है, वार्षिक तरक्की के रोकने का दण्ड नहीं दिया जाता है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३२]**

राष्ट्रीय ध्वज

११९०. श्री बी० एन० मिश्र : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रेली जंकशन के आर० एम० एस० (रेलवे डाक सेवा) के एक सार्टर ने प्रार्थना और प्रेरणा पर भी राष्ट्रीय ध्वज की वन्दना नहीं की; और

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार ने कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ऐसा कहा जाता है कि एक कुली (सार्टर ने नहीं) १५ अगस्त, १९५५ को स्वतन्त्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की वन्दना से इन्कार कर दिया ।

(ख) उस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही आरम्भ की गई है तथा मामले की अभी जांच हो रही है ।

प्राथमिकता आन्दोलन

११९१. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के भेजने के लिये प्राथमिकतायें किस आधार पर दी जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : संक्षेप से स्थिति इस प्रकार से है :

चालू मांगों को पूरा करने के लिये डिब्बों की संख्या अभी पर्याप्त न होने के कारण, समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में इन का बटवारा (राशन) करना जरूरी है तथा इस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार में भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा २७-ए द्वारा निहित अधिकारों के अन्तर्गत सभी रेलों पर एक सामान्य आदेश लागू होता है जिस में उपयुक्त-परिवहन श्रेणियों के बारे में प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं । (क) से (ङ) तक पांच श्रेणियां बनाई गई हैं जिन में (क) प्राथमिकता की सर्वोच्च श्रेणी है तथा (ख) से (ङ) को बाद की क्रमशः प्राथमिकता प्राप्त है । इस सामान्य आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ठ ११, अनुबन्ध संख्या ३३]** । श्रेणी (ङ) के अन्तर्गत प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में पृथक रूप से वस्तुओं की मात्रा भी निश्चित की गई है । आकस्मिकता और महत्त्व के विचार से 'तदर्थ' प्राथमिकता के आदेश भी जारी किये जाते हैं ।

उचित मजूरी खण्ड

११९२. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के ठेकों में उचित मजूरी खण्ड किस प्रकार काम कर रहा है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : लोक निर्माण विभाग के ठेकों में उचित मजूरी खण्ड संतोषजनक रूप में काम कर रहा है। इस से श्रम को उचित मजूरी दर मिलते हैं तथा मजूरी के भुगतान में देरी कम ही होती है ।

डाक कर्मचारियों की वर्दी

११९३. श्री जी० एल० चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि बम्बई के डाक कर्मचारियों ने किन परिस्थितियों में वर्दी की उपेक्षा की जब कि वह कार्य पर थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : इस वर्ष वर्दियों के संभरण में देरी के विरोध में बम्बई केन्द्र के डाक तथा तार कर्मचारी २५ अगस्त, १९५५ को कार्य पर, प्रतिवाद के रूप में बिना उपयुक्त वर्दी के रहे । वर्दियों

के संभरण में इस कारण देर हुई क्योंकि मिल के कपडे की वर्दियों के संभरण के स्थान पर खादी कपड़े की बनी वर्दियों के संभरण की परिवर्तित नीति के कारण खादी कपड़े के संभरण में देरी हुई थी। यह भी बताया जा सकता है कई अन्य कारणों से भूतकाल में देरी हुई थी।

रोजगार दफ्तर

११९४. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के राजपत्रित तथा कमीशन प्राप्त पदच्युत पदाधिकारियों ने रोजगार दफ्तर में अपने को पंजीबद्ध कराया है; और

(ख) कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) ६८७ ।

(ख) ९१ ।

ट्रेन सर्विस

११९५. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली और जोधपुर के बीच एक मेल ट्रेन चलाने का विचार करती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली और बीकानेर के बीच चौबीस घंटे में केवल एक अप ट्रेन और एक डाउन ट्रेन चलती है;

(ग) क्या दिल्ली और बीकानेर के बीच एक और मेल ट्रेन चलाने के सम्बन्ध में अभी हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह बात ठीक है कि दिल्ली और बीकानेर के बीच एक और गाड़ी चलाने की जरूरत है, लेकिन डिब्बे और इंजन की कमी के कारण अभी नयी गाड़ी चलाना संभव नहीं है। फिर भी जैसे जैसे डिब्बे और इंजन मिलते जायेंगे, इस पर विचार किया जायगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि माल-यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए इस लाइन पर नयी सवारी गाड़ी चलाना कहां तक संभव है।

चीनी उद्योग

११९६. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में, चीनी उद्योग में कितने कर्मचारी थे; और

(ख) १९५३–५४ में उन में से भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ तथा अन्य केन्द्रीय और स्वतंत्र कार्मिक संघों के कितने सदस्य थे ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) कारखाना अधिनियम, १९४८ के अधीन दस भाग 'क' राज्यों तथा चार भाग 'ग' राज्यों, दिल्ली, कुर्ग, तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह से १९५३ वर्ष में प्राप्त विवरणों के अनुसार, प्रतिदिन औसत नियुक्ति ८२,७६० थी। १९५४ के पूर्वार्द्ध के इसी प्रकार के आंकड़े ७६,६४८ थे।

(ख) **३१–३–१९५४** को सदस्यता के जांचे गये आंकडे

भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक कांग्रेस ३८,२६४। ३१–३–१९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष के सदस्यता के आंकड़े हिन्द

मजदूर सभा ने संलग्न संघों के प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा अखिल भारतीय कार्मिक संघ ने जनवरी १९५५ में विवरण प्रस्तुत किये जबकि उन्हें सितम्बर, १९५४ में प्रस्तुत करने चाहिये थे। इसलिये इस की सदस्यता की जांच नहीं हो सकी है। अपने विवरण में संयुक्त कार्मिक कांग्रेस ने संलग्न संघों की सदस्यता नहीं बताई है।

रेलवे कर्मचारियों को वर्दियां

११९७. श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के कर्मचारियों को मौसमी बर्दियां नहीं दी जातीं ; और

(ख) क्या वे अन्य रेलों के कर्मचारियों को दी जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

११९८. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् को कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की है ; और

(ख) क्या सरकार यह सहायता देते समय विभिन्न राज्यों में अन्नपूर्णा जलपानगृह (कैफेटेरिया) खोलने के लिये कोई शर्त रखती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अभी तक ९०,००० रुपये मंजूर किये गये हैं और १९५५–५६ के लिये परिषद् को दे दिये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

रेलवे क्वार्टरस

११९९. श्री पी० सुब्बाराव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में चाणक्य पूरी के २० एकल रेलवे क्वार्टरों के बनाने के मूल्य तथा भूमि और विकास प्रभार मूल्य अलग अलग क्या हैं ;

(ख) क्या यह भूमि सरकारी है अथवा यह खरीदी गई है ;

(ग) इनमें रहने वालों से कितना किराया लिया जाता है ;

(घ) क्या विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मूल्य तथा निर्माण में हुए मूल्य में कुछ अन्तर है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अभी तक १९ एकल बने हैं तथा एक अभी बन रहा है।

नौकरों के कमरे, गैरेज, सफाई तथा विद्युत् लगवाने आदि के समेत प्राक्कलित मूल्य ९.१ लाख रुपये है।

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से इस भूमि के मूल्य की बातचीत चल रही है क्योंकि मूलतः यह भूमि उन्हीं की है। समस्त उपनगर के विकास का मूल्य लगभग ८ लाख रुपये है।

(ग) १९ निर्मित एकलों का प्राप्त किराया १,५२६ रुपये १५ आना प्रति मास है।

(घ) जी, हां। ६ तथा ८ प्रकार के बंगलों के मामले में।

(ङ) मुख्यतः ६ तथा ८ प्रकार के बंगलों के लिये अधिक न्याधार क्षेत्रों के कारण।

माल डिब्बों की पूर्ति

१२००. श्री मोतीलाल मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराजपुर के पान को शीघ्र और सुरक्षित रूप में दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिये क्या हरपालपुर और महोबा के रेलवे स्टेशनों पर कुछ विशेष प्रकार के डिब्बों का प्रबन्ध किया गया है ; और

(ख) क्या कानपुर और झांसी में ये डिब्बे मेल या एक्सप्रेस गाड़ियों में जोड़ दिये जाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, आम तौर पर सामान ले जाने वाले डिब्बों का ।

(ख) जी, नहीं । इन्हें दूसरी उपयुक्त गाड़ियों से भेजा जाता है ।

औद्योगिक विवाद

१२०१. डा० सत्यवादी : क्या श्रम मंत्री निम्नांकित बातों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में इम्पीरियल टुबेको फैक्टरी, सहारनपुर में कितने औद्योगिक विवाद हुए ; और

(ख) कुल कितने कार्य दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार के पास अपेक्षित सूचना नहीं है । इस विषय से मूलतः उत्तर प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है ।

यात्रियों को सुविधायें

१२०२. डा० सत्यवादी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन के सब प्लेटफार्मों पर बिजली के पंखे नहीं लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, पंखे केवल प्लेटफार्म नं० ३ पर लगे हैं ।

(ख) इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश बिजली घर (U.P. Hydel) से थोड़ी बिजली मिलती है । सर्दियों तक कुछ अधिक बिजली मिलने की आशा है । अगली गर्मी तक सभी प्लेटफार्मों पर पंखे लगा दिये जायेंगे ।

माही नदी पर पुल

१२०३. श्री भोखा भाई : क्या परिवहन मंत्री १५ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में माहीं नदी पर बनने वाले सड़क पुल के परिमाप और योजना रूप का कार्य अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की एक प्रति और उसके प्राक्कलन सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) क्योंकि पुल राज्य के राज-मार्ग पर होगा, इसलिए उसका परिमाप तथा योजनाओं और प्राक्कलन बनाना राज्य सरकार का काम है । फिर भी, इस काम की वित्त-व्यवस्था के लिये भारत सरकार अनुदान दे रही है और इस लिए योजनाओं व प्राक्कलनों के लिये उनकी स्वीकृति लेना आवश्यक है । योजनायें और प्राक्कलन राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे परन्तु वे परामर्शदाता इंजीनियर (सड़क विकास) के कुछ सुझावों की दृष्टि से रूपभेद के लिय वापस भेज दिये गये हैं ।

(ख) योजनाओं और प्राक्कलन के बहुत ही प्राविधिक होने के कारण यह महसूस किया जाता है कि सभा-पटल पर प्रति रखने से कोई लाभ न होगा ।

नई रेलवे लाइनें

१२०४. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिये कुल कितने मील लम्बी रेलवे लाइन नियत की गई है;

(ख) वास्तव में कितने मील लम्बी लाइन बन गई है; और

(ग) नियत कोटा में वास्तव में किन किन लाइनों पर निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में किसी विशिष्ट राज्यों के लिये कोई मील-संख्या नियत नहीं की गयी थी । प्रत्येक मामले पर उसकी विशेषताओं के अनुसार विचार किया गया था । राजस्थान राज्य में छोटी लाइन का डिग्गी-तोडा राय सिंह क्षेत्र, जिस की लम्बाई २७·७३ मील है, बन चुका है और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में यातायात के लिये खोला जा चुका है । दूसरी छोटी लाइन फतहपुर और चूरू के बीच, जिसकी लम्बाई लगभग २६ मील है और जो पूर्णतया राजस्थान राज्य में है, बनाई जा रही है । ४४ मील लम्बी एक छोटी लाइन रानी-वाड़ा और भिलाड़ी के बीच बनाई जा रही है । इसका कुछ भाग राजस्थान राज्य में आता है ।

बेतिया में टेलीफोन एक्सचेंज

१२०५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेतिया में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत बन कर तैयार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफ़ोन एक्सचेंज वहां कब से काम करने लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) टेलीफ़ोन एक्सचेंज खोलने का काम हो रहा है ।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन (काम करने के घंटे)

१२०६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन में खेत पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रति दिन काम करने के कितने घंटे हैं; और

(ख) सीज़न कालावधि में कितने घंटे होते हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जब काम का सीज़न नहीं होता है, उन दिनों में सोमवार से शुक्रवार तक प्रति दिन काम करने के ८ घंटे होते हैं । शनिवार को काम के घंटे ५ से ज्यादा नहीं होते ।

(ख) सोमवार से शनिवार तक प्रति दिन ८ घंटे ।

अयस्क गमनागमन के लिये डिब्बे

१२०७. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, १९५५ तक के काल में कलकत्ता पत्तन के लिये अयस्क गमनागमन के लिये भेजे गये माल के डिब्बों की प्रति दिन औसत संख्या क्या थी; और

(ख) १० अगस्त से १० सितम्बर, १९५५ तक प्रति दिन भेजे गये माल के डिब्बों की औसत संख्या क्या थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ५४ माल के डिब्बे ।

(ख) १३२ माल के डिब्बे ।

पदाली से बाहर गज़ेटिड अधिकारियों को खपाना

१२०८. श्री नन्दलाल शर्मा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य का सब से अधिक आयात किस काल में हुआ और उस काल में कितना आयात हुआ;

(ख) १९५५–५६ में अब तक कितने खाद्यान्न का आयात हुआ है;

(ग) उपरोक्त काल में पदाली के बाद कुल कितने अस्थायी गज़ेटिड अधिकारी नियुक्त किये गये और १९५४–५५ के अन्त तक उनकी कितनी संख्या थी;

(घ) उन्हें स्थायी रूप से रखने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है; और

(ङ) अब तक कितने अधिकारियों को अर्द्ध-स्थायी या स्थायी बना दिया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५१–५२ ; ५२·४६ लाख टन का आयात हुआ ।

(ख) २० सितम्बर, १९५५ तक १·४७ लाख टन ।

(ग) १९५१–५२ में ६५ और १९५४–५५ के अन्त में १६४ । १९५१–५२ में उन अधिकारियों को छोड़कर जो राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क कार्य कर रहे थे, सारे अधिकारी आयात किये गये खाद्यान्न से संबद्ध कार्य पर लगाये गये थे । १९५४–५५ के अन्त में १६४ अधिकारियों के काम में आयात हुए खाद्यान्न सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त राज्य सरकारों से स्टॉक लेने, स्टोर करने, खाद्यान्न का परीक्षण करने, और बेचने आदि का कार्य भी सम्मिलित था ।

(घ) ऐसे कुछ अधिकारियों को स्थायी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ङ) शून्य ।

यात्री सुविधा समिति

१२०९. श्री के० सी० सोधिया : क्या **रेलवे** मंत्री ९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री सुविधा समिति के कौन कौन से सदस्य हैं और उन के पते क्या हैं; और

(ख) इस समिति की अगली बैठक कब और कहां होगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) बयान साथ नत्थी है ।

(ख) इस कमेटी की अगली बैठक अक्टूबर, १९५५ के आखिरी हफ्ते में किसी समय बम्बई में बुलाने का विचार है ।

दिल्ली राज्य में पत्थर की खानें

१२१०. श्री टी० बी० विट्ठलराव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में पत्थर की ऐसी कितनी खानें हैं जहां खान अधिनियम, १९५२ लागू नहीं हुआ है;

(ख) छूट क्यों दी गई है; और

(ग) छूट कितने समय के लिये दी गई है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

छपरा रेलवे स्टेशन

१२११. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा स्टेशन के यार्ड में ८३ माल डिब्बों की गाड़ियां ले जाई जाती हैं जब कि उसकी लूप कैपेसिटी ६३ से ७५ डिब्बों तक ही के लिये सीमित है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन के यार्ड का विस्तार न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) छपरा स्टेशन के माल यार्ड की लूप लाइन में जितनी जगह है, कभी-कभी उस से अधिक लम्बी गाड़ियां यार्ड में ले जाई जाती हैं ।

(ख) यार्ड को नये ढंग से बनाने के सुझावों पर विचार किया जा रहा है । लम्बी गाड़ियों को यार्ड में ले जाते समय आवश्यक सावधानी बरती जाती है ।

लेडी हार्डिज मैडीकल कालिज

१२१२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या लेडी हार्डिज मैडीकल कालिज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिये कोई प्रवरण बोर्ड है; और

(ख) क्या रिक्त स्थानों को विज्ञापित किया जाता है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). उत्तर स्वीकारात्मक है ।

कोलार की सोने की खानों में हड़ताल

१२१३. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** :
श्री के० के० बसु :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार की सोने की खानों का प्रबन्धक वर्ग उस करार को लागू नहीं कर सका है जो पिछले दिनों संघों के प्रतिनिधियों के साथ हुआ था और क्या उसके फलस्वरूप ८ सितम्बर, १९५५ से मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त करार की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) इस सम्बन्ध में (केन्द्रीय) प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस मामले में सरकार आगे क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (घ). मैसूर में कोलार की सोने की खानों के प्रबन्धक वर्ग और संघों के प्रतिनिधियों के बीच २४ अगस्त, १९५५ को जो समझौता हुआ था, उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३५**] । समझौते की मद संख्या ४ के अनुसार, समवायों के अलग अलग निदेशक बोर्डों और मैसूर सरकार द्वारा समझौते की शर्तें स्वीकृत हो जाने के पश्चात, पक्षों को समझौता श्रम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत करना था और उसकी शर्तों के अनुसार एक समझौता पंचाट के लिये प्रार्थना करनी थी । प्रबन्धक वर्ग समझौता करने के लिये आगे न बढ़ सका क्योंकि उन्हें समझौते की शर्तों की स्वीकृति का मैसूर सरकार का निश्चित उत्तर नहीं मिला है । मज़दूरों ने ७ सितम्बर, १९५५ से फिर हड़ताल कर दी थी । १४ सितम्बर, १९५५ को मज़दूरों ने (केन्द्रीय) श्रम निरीक्षक द्वारा पक्षों में नया समझौता कराने के फलस्वरूप हड़ताल वापस ले ली । सूचना मिली है कि कोलार की सोने की खानों में श्रम स्थिति प्रायः रूपेण है ।

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

१२१४. श्री के० आर० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक क्षेत्र (जोन) के अन-गज़ेटेड अधिकारी को :

(१) कर्मचारी की प्रार्थना के बिना,

(२) उसकी अनुमति के बिना,

(३) अन्य रैलवे में सेवा की शर्तें बताये बिना; तथा

(४) उस अवस्था में जबकि परिमाप और निर्माण कार्य से सम्बद्ध हो, दूसरे स्थान को स्थानान्तरित किया जा सकता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) (१) और (२). जी, हां ।

(३) सेवा शर्तों में केवल स्थानान्तरण होने से परिवर्तन नहीं होता ।

(४) जी, हां ।

पोर्ट बिलेयर को विमान सेवा

१२१५. श्री भागवत झा आज़ाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पोर्ट बिलेयर के लिये सप्ताह में एक बार उड़ान आरम्भ करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता-मद्रास विमान सेवा को सप्ताह में एक बार पोर्ट बिलेयर हो कर जाने वाली बनाने का है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार ने अंडमान के लिये एक अनानुसूचित विमान सेवा के संचालन के लिये ठेका देने का निश्चय किया है । उड़ान-संख्या यातायात के मांग के अनुसार समायोजित की जायेगी, परन्तु संचालक सप्ताह में कम से कम एक उडान प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

1st

लोक-सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
२७ सितम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५५

(२२ सितम्बर से १ अक्तूबर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
11.11.83
Fumigated
On 18.1.80
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ८ में अंक ४६ से अंक ५४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ८, अंक ४६ से ५४—२२ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

स्तम्भ

अंक ४६—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४५२६–२७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . . . ४५२७—४६३०

अंक ४७—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

देश में बाढ़ की स्थिति . . . . . ४६३१—३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण . . . ४६३३

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण ४६३३–३४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—प्राप्त याचिका . . ४६३३–३४

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना . . ४६३३—३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंप देने के प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६३५—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत ४६७५–७६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ४६७६—४७२०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प—असमाप्त . ४७२१—२६

अंक ४८—शनिवार, २४ सितम्बर, १९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४७२७—८३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४७८३—४८७२

खंड २ से ६ और १ . . . . . ४८५९—७०

पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४८७०—७२

स्तम्भ

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण . ४८७३

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . ४८७३—७४

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन . . .

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ४८७३—७४

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४८७४

समितियों के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड— . . ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . ४८७५

विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४८७६

सभा का कार्य . . . . . ४८७६—७७

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४८७७—४६५३

खंड २ से २० और १ तथा प्रस्तावना . . . . ४६१७—५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४६५३

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . ४६५३—७६

अंक ५०—मंगलवार, २७ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

१६५३-५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन ४६७७

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १६५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४६७७—७८

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४६७८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४६७८

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४६७८

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत)—

निधियों का स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित . . ४६७९—८०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें . ४६७६—५०४६

	स्तम्भ
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—	
पुरःस्थापित—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०४६—५०
खंड १ से ३ और अनुसूची	५०५२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	५०५२
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०५२—७४
खंड १ से ३	५०७३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५०७३—७४
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	५०७४—७६
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्	५०७६—८८
अंक ५१—बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण	५०८९—९०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन—स्वीकृत . . .	५०९०—५१०३
नया खंड १२—क	५१०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव— असमाप्त	५१०३—५०
रेलवे परिवहन की स्थिति के बारे में चर्चा—समाप्त . . .	५१५०—९६
अंक ५२—गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण	५१९७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, संसद् द्वारा परिवर्तित रूप में	५१९७—९८
कतिपय रक्षा सामग्री के विदेशों में क्रय के बारे में लोक लेखा समिति को सरकार का टिप्पण . .	५१९९—५२०१
प्राक्कलन समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित . .	५१९८
अनुपस्थिति की अनुमति	५१९८—९९
तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि . .	५२०२
सभा का कार्य .	

स्तम्भ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में
प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ५२०३—०५—५८
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव–स्वीकृत . . . ५२९९—५३०७
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५३०७—३४

अंक ५३—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प आदि . ५३३५
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ५३३६–३७
राज्य–सभा से सन्देश . . . . ५३३७—५४५४
समवाय विधेयक, १९५५—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ५३३८
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
सम्मत्तियां सभा पटल पर रखी गयीं . . . ५३३८
याचिका समिति—
छठा प्रतिवेदन—उपस्थापित ५३३८
अखिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना . . . . . ५३३८—४०
सभा का कार्य ५३४०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५३४०–४१
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . ५३४१—६३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ५३६३—५४१४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५४१४—२४
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५४२४—५४

स्तम्भ

अंक ५४—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में
श्री स्केफ का प्रतिवेदन . . . . . ५४५५—५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . . .
नारियल जटा बोर्ड का ३१-३-५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए
अर्धवार्षिक प्रतिवेदन . . . . . ५४५९—६०
उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क
के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है . . . ५४६०
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०
भारतीय मुद्रांक संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०—६१
गोआ के बारे में वक्तव्य . . . . ५४६१—६२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ५४६३—५५०३,
५५०३—५६४२
राज्य-सभा से सन्देश ५६४२
अनुक्रमणिका . . . पृष्ठ १—३९

लोक-सभा

मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-०६ म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

१९५३-५४ के लिए संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन

गृहकार्य-मंत्री (पंडित जी० बी० पंत): मैं संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अधीन प्रत्येक निम्न पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) १९५३-५४ के लिये संघ लोक-सेवा आयोग का प्रतिवेदन; और

(२) १९५३-५४ में कतिपय मामलों में आयोग के परामर्श को स्वीकार न किये जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ।

[**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस०-३४६/५५**]

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : मैं १९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त कतिपय ज्ञापनों का उत्तर देने वाले कुछ अग्रेतर विवरणों में से प्रत्येक की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३६**]

प्राक्कलन समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री बी० जी० मेहता (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्पादन मंत्रालय के सम्बन्ध में एस्टीमेट समिति (प्राक्कलन समिति) की पन्द्रहवीं रिपोर्ट पेश करता हूँ ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं सभा-की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूँ ।

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय रेडक्रास

(भारत) निधियों का स्थानान्तरण विधेयक

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

सोसाइटी अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) निधियों का स्थानान्तरण विधेयक

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि सेंट जान ऐम्बुलेंस (एसोसियेशन) भारत की निधियों के कुछ अंश को सेंट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन (पाकिस्तान) को स्थानान्तरित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें*—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब सभा १९५५-५६ के आयव्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में अग्रेतर चर्चा करेगी । पांच घन्टे के निर्धारित समय में से १ घंटा ३४ मिनट लिये जा चुके हैं और ३ घंटे २६ मिनट शेष हैं ।

मांग संख्या ६१—गृह-मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदान की यह मांग प्रस्तुत की गई :—

मांग सख्या	शीर्षक	राशि
६१	गृह मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय	६,६२,००० रुपये

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६१	श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) ।	सुपरिवीक्षण कर्मचारियों पर व्यय ।	५०,००० रुपये
६१	श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेलूर)	सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
६१	श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा)	शासकीय भाषा आयोग की रचना और स्थापना में विलम्ब ।	१०० रुपये

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित की गई ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६१	श्री एन० बी० चौधरी	सहायता देने तथा चुनाव पद्धति में भेदभाव ।	१०० रुपये
६१	श्री रामचन्द्र रेड्डी .	अनुदानित सहायता सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
६१	श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै)	अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को आयोग में अपर्याप्त प्रतिनिधान का दिया जाना ।	१०० रुपये
६१	श्री कामत (होशंगाबाद)	शासकीय भाषा आयोग का कार्य-संचालन ।	१०० रुपये
६१	श्री वल्लाथरास .	हिन्दी को शासकीय भाषा के रूप में लागू करने सम्बन्धी नीति ।	१०० रुपये
६१	श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाश)	शासकीय भाषा सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
६१	श्री बी० डी० शास्त्री (शाहदोल—सिधी) ।	शासकीय भाषा आयोग की रचना में विलम्ब ।	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने हैं ।

श्री वल्लाथरास : हम ने पहले ही आध घंटा बजा लिया है, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर खर्च किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु और अधिक समय नहीं दिया जायगा ।

श्री कामत : यदि अन्य मांगों को पहले ले लिया जाय और इस मांग को सब के पश्चात्, तो सारा बचा हुआ समय इस पर खर्च किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो इसे सब के पश्चात् लिया जायेगा, किन्तु अन्य मांगों के लिये अधिक समय दिये जाने की मांग नहीं होगी । पहले उन मांगों को लिया जायेगा जिन पर कटौती प्रस्ताव नहीं हैं । तदुपरान्त हम अन्य मांगों को लेंगे ।

मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय

अध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ११५ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम उन मांगों को लेंगे जिन के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव हैं ।

मांग संख्या ११९—वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय

१६५५–५६ के लिये अनुदान की यह मांग अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की :—

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
११६	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१,००० रुपये

अध्यक्ष महोदय : इस मांग के लिये ४५ मिनट का समय आवंटित है । मांग संख्या ६१ सब से बाद में ली जायगी । निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
११९	श्री एन० बी० चौधरी .	विदेशी पूंजी को गैर सरकारी उपक्रमों तथा साधनों के द्वारा आने देने की नीति का अनुमोदन ।	१ रुपये तक
११९	श्री रामचन्द्र रेड्डी .	लेनदेन का तरीक़ा . .	१०० रुपये
११९	श्री एन० आर० मुनिस्वामी	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भारतीय सदस्यता के सापेक्ष लाभ ।	

अध्यक्ष महोदय : ये तीनों कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनने का निर्णय कर लिया है और यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से सम्बद्ध होने जा रहा है । यह उत्पादनशील ग़ैर सरकारी उपक्रमों के विस्तार के द्वारा अपने सदस्य देशों का विकास करेगा और देशी तथा विदेशी पूंजी को उपक्रमों में लगाये जाने तथा अनुभवी प्रबन्ध की व्यवस्था करेगा तथा देशी एवं विदेशी पूंजी के सदस्य देशों के विनियोजित किये जाने के लिये उचित परिस्थितियों का निर्माण करेगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

हमने बार बार यह बात स्पष्ट की है कि ग़ैर सरकारी विदेशी पूंजी को इस प्रकार की सहायता के रूप में भारत में न आने दिया जाना चाहिये । विदेशी ग़ैर-सरकारी पंजी यहां आकर और यहां के बड़े व्यापारियों के साथ मिल कर बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न कर देगी । विश्व बैंक के समान, जहां इंगलिस्तान और अमरीका के ५० प्रतिशत अंश हैं, इस पर भी उन दोनों देशों का ही प्रभुत्व रहेगा । हम भारत में उद्योगों का शीघ्र विकास करना चाहते हैं । ज्ञापन में एक बात तो अच्छी है कि विनियोजन करने वाले सदस्य देशों का उस समवाय के प्रबन्ध में कोई अंश पूंजी या हाथ नहीं होगा । परन्तु एक कठिनाई यह है कि ग़ैर सरकारी विदेशी विनियोजकों को यहां के व्यापारियों के साथ सीधे बात-चीत करने या सम्बन्ध स्थापित करने देने से अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी ।

गैर सरकारी विदेशी विनियोजन हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करेंगे और जब वे यहां के गैर सरकारी पूंजी-

पतियों के साथ गठबन्धन करेंगे तो ये गैर सरकारी पूंजीपति अधिक लाभांश मागगे। समवायों के लाभांशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के मार्ग में यह कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि इतनी अधिक मात्रा में जब विदेशी पूंजी आयेगी तो वह यह आश्वासन मांगेगी कि काफ़ी लम्बी अवधि तक उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। किन्तु हम देश में आयोजित अर्थवयवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिये आवश्यकता पड़ने पर कतिपय मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य होगा। परन्तु विदेशी समवायों को यदि आश्वासन दे दिया गया, तो राष्ट्रीयकरण की इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जायेगी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या गैर सरकारी विनियोजकों के द्वारा किये गये विनियोजनों के मामले में संबद्ध देश की सरकार से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। इस बात का भी स्पष्टीकरण होना चाहिये कि क्या सरकार का परामर्श लिये बिना ही गैर सरकारी विनियोजकों के गठबन्धन कर लेने वाले गैर–सरकारी विदेशी विनियोजनों पर भी यह शर्त लागू होगी कि यदि सम्बद्ध सरकार उन विनियोजनों का विरोध करती है, तो उन विनियोजनों की अनुमति नहीं दी जायगी।

भारी विदेशी विनियोजन से देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि ईरान में और कुछ लेटिन अमरीकी देशों में विदेशी विनियोजकों ने कठिनाइयां खड़ी कर रखी हैं। इसलिये हमें इस कठिनाई पर गम्भीर विचार करके ही विदेशी पूंजी को यहां आने की अनुमति देनी चाहिये परन्तु ऋण पूंजी के रूप में तथा सरकार के साथ बातचीत होने के बाद केवल विनियोजन के रूप में और सीधे कदापि नहीं।

उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये कि यदि वे भारत में कोई संगठन या कार्यालय खोलते हैं, तो क्या हमें उस संगठन पर प्रभावी नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होगी या नहीं। इसका गैर सरकारी क्षेत्र से सम्बन्ध होने के कारण, हो सकता है कि इस के द्वारा चोरबाजारी या चौर्यानयन किया जाये, तो क्या हमें इस संगठन के मकानों की तलाशी लेने की शक्ति होगी ? ये सब प्रश्न उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के मामलों में उत्पन्न होते हैं इसलिये इन बातों का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के पूर्णरूपेण सदस्य बन गये हैं। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने बहुत ही कम जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस निगम का सदस्य बन कर हमें क्या सापेक्ष लाभ हुये हैं।

कहा गया है कि हमें नवम्बर में ही २११ लाख रुपये का भुगतान करना होगा। हम अन्य अनुदानों से बहुत धन बचा रहे हैं, अतः यह केवल एक सांकेतिक मांग है।

इस निगम का सदस्य बन कर भारत कितना और कितनी बार ऋण ले सकेगा, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है जिस से कि हम कुछ सुझाव दे सकते।

क्या भारत सरकार को निदेशक बोर्ड और गर्वनरों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और क्या उसे अपना प्रतिनिधि नामनिर्देशित करने का कोई अधिकार होगा, अथवा निदेशकों का निर्वाचन होगा। इस सम्बन्ध में तथा भारत की ऋण लेने की क्षमता का ब्योरा मिलना चाहिये ताकि सभा यह देख सके कि इस का सदस्य बन कर क्या सापेक्ष लाभ हुये हैं।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) श्री एन० बी० चौधरी ने मुख्य बात यह कही है कि विदेशी गैर-सरकारी हित हमारे देश में आ जायेंगे और यहां के गैर-सरकारी पूंजीपतियों से मिल कर गड़बड़ी करेंगे। यदि उन्होंने सदस्यों को परिचालित किया गया साहित्य पढ़ा होता तो वह देखते कि वहां यह कहा गया है कि सम्बद्ध देश की सरकार की मंजूरी के बिना कोई विनियोजन नहीं किया जायेगा। इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक मामले में यह निगम पहले सम्बद्ध देश की सरकार को पूछेगी कि क्या उसे कोई आपत्ति है या क्या वह चाहती है कि कुछ धन उस देश में लगाया जाये। और केवल तभी विनियोजन किया जायेगा। जैसा वह समझते हैं कि विशिष्ट मामलों में सरकार विनियोजन के प्रति अनायास कुछ आपत्ति करेगी और तब इस रोक लिया जायेगा, ऐसी बात नहीं है। यह स्थिति नहीं है। प्रत्येक मामले में निगम विनियोजन करने से पूर्व वहां की सम्बद्ध सरकार का परामर्श लेगी।

उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि केवल ऋण पूंजी होनी चाहिये और विनियोजन पूंजी नहीं, यह साधारण पूंजी नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी तक यही स्थिति है। यह निगम ऋण पूंजी देगा विनियोजन पूंजी नहीं। यह पूंजी अंश पूँजी में भाग नहीं लेगी।

उन्होंने इन विनियोजकों के विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों के बारे में कुछ कहा है। मैं उनका ध्यान ६ अप्रैल, १९४९ की विदेशी विनियोजन नीति सम्बन्धी घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां यह कहा गया है कि भारत में जो विदेशी पूंजी आयेगी वह भारतीय पूंजी के रूप में काम करेगी, उन्हीं शर्तों के अन्तर्गत कार्य करेगी और भारतीय पूंजी पर जो नियंत्रण और शर्तें लगी हैं, वे सभी इस पूंजी पर भी लागू होंगी।

उन्होंने विशेषकर लाभांशों का प्रश्न उठाया है। मैं समझता हूं कि उस नीति घोषणा में यह कहा गया है कि विदेशी हितों को केवल उन्हीं विनियमों के अनुसार जो सब के लिये समान हैं, लाभ उठाने दिया जायेगा। उन्हें भारतीय विनियोजनों पर सरकार द्वारा लगाये गये नियंत्रण और विनियमों से कोई विशिष्ट अथवा विशेष उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। उस विवरण में और भी कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें मैं आशा करता हूं वह पढ़ेंगे और तब इसके बारे में उनकी सारी भ्रांति दूर हो जायेगी। उसमें यह बात निश्चित रूप से कही गई है कि विदेशी समवायों को देश की औद्योगिक नीति की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और उन्हें यथासम्भव भारतीयों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सेवायुक्त करना होगा। तथापि यह बात विशेषतया उन औद्योगिक समवायों पर लागू होगी जो विदेशी विनियोजनों द्वारा चलाये जायेंगे, जब कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह निगम यहां किसी समवाय का मालिक नहीं बनेगा और न ही उस का प्रबन्ध अपने हाथों में लेगा। यह अपनी निधियों से या गैर-सरकारी विदेशी विनियोजकों से ऋण पूंजी देगा। इसलिये इस निगम द्वारा किसी समवाय के प्रबन्ध में भाग लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

उन्होंने इस साहित्य के पृष्ठ ३ पर उल्लिखित उद्देश्यों के बारे में एक बात कही है, अर्थात् (क) घरेलू और विदेशी गैर-सरकारी पूंजी के विनियोजन के अवसर लाने और अनुभवी प्रबन्ध की व्यवस्था करने के लिये एक ऋणमार्जन गृह के रूप में काम करना है, और (ख) गैर सरकारी पूंजी को विकास के काम पर लागाने के योग्य परिस्थितियों उत्पन्न करना है। मैं समझता

हूं कि यहां जो शर्तें रखी गई हैं वे उनके अपने विचारों से मेल खाती होंगी । वह भारतीय विनियोग या भारतीय पूंजीपतियों और विदेशी विनियोजकों के बीच गठबंधन हो जाने की आशंका है । इन दोनों शर्तों से ऐसी सम्भावनायें दूर हो जायेंगी, कम से कम इन से ऐसी सम्भावनायें अधिक कठिन अवश्य हो जायेंगी । हो सकता है कि यह निगम भारतीय औद्योगिक समवायों और कुछ विदेशी विनियोजकों से सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता दें और यह काम सरकार के परामर्श से किया जायेगा । सरकार का पूर्व परामर्श लिये बिना यह निगम कोई विनियोजन नहीं करेगा । इसलिये भारतीय और विदेशी विनियोजकों के बीच कोई अवांछनीय गठबन्धन नहीं हो सकेगा । यदि निगम यह काम करेगा तो यह निगम के द्वारा और सरकार के पूर्व परामर्श के साथ किया जायेगा ।

इस निगम को प्राप्त कुछ उन्मुक्तियों का भी उन्होंने उल्लेख किया है । निगम को इस रूप में कोई वित्तीय या आर्थिक उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं होंगी । किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी अन्य निकाय के कर्मचारियों के समान ही इस निगम के कर्मचारियों को भी कतिपय कूटनीतिक उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी । इसका इस निगम की अथवा हमारे देश की सरकार की आर्थिक अथवा वित्तीय नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

निदेशकों की नियुक्ति अंशधारी करेंगे इस कारण इस सम्बन्ध में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है । जिस प्रकार हमें अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से लाभ होता रहा है उसी प्रकार इस निगम से भी हमें लाभ ही होगा । यह निगम न केवल हमारे ही देश के लिये वरन् पड़ौसी देशों के लिये भी लाभदायक होगा और विशेषकर पिछड़े देशों के लिये । औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से एशिया के अधिकांश देश पिछड़े हुये हैं । अतः इस निगम से एशियाई देशों और पिछड़े हुये देशों को लाभ पहुंचेगा ।

मुझे हर्ष है कि श्री एन० बी० चौधरी को औद्योगिक विकास के लिये और पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये विदेशी पूंजी के आमंत्रित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : मुझे ऋण पूंजी पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री ए० सी० गुह : चाहे ऋण पूंजी हो या अंश पूंजी, किन्तु यह निगम केवल ऋण पूंजी देगा । मैं आशा करता हूं कि सभा इस मांग को पारित कर देगी ।

श्री एन० बी० चौधरी : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव से हमें पता चला है कि निजी क्षेत्र से जितनी राशि के विनियोग की आशा थी, उसकी आधी राशि भी विनियोजित नहीं की गई । उस क्षेत्र में २३० करोड़ रुपये के स्थान पर केवल ९६ करोड़ रुपया विनियोजित किया गया था ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हम ७५० करोड़ रुपये के विनियोजन की आशा करते हैं किन्तु चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाय, हमारी आशा पूरी नहीं हो सकती है । अतः हमें आशंका है कि सरकार बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी के विनियोजन की अनुमति देगी । अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या शेष राशि विदेशी विनियोजकों से ही प्राप्त होगी ; यदि ऐसा है तो कितनी ऋण पूंजी के रूप में और कितनी निजी विनियोग पूंजी के रूप में प्राप्त होगी ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी : बैंक द्वारा तैयार किये गये निगम के क़रार के प्रारूप अनुच्छेद की प्रतिलिपि इस सभा के सम्मुख प्रस्तुत न किये जाने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आया है। यद्यपि इसके लिये सरकार को धन राशि स्वीकृत की गई है। और जबकि सरकार इस कार्य पर २.११ करोड़ रुपया व्यय करने जा रही है तो हमें ज्ञात होना चाहिये कि क़रार के प्रारूप अनुच्छेद क्या होंगे और सरकार भविष्य में क्या वाक्बद्धतायें करेगी।

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि अभी वह स्थिति नहीं आई है। हम केवल माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार करेंगे कि क़रार की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर भी रखी जाये। मुझे सूचना मिली है कि अभी तक अन्तिम क़रार प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री एन० बी० चौधरी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में जो बात कही है, वह बिल्कुल सही नहीं है।

श्री एन० बी० चौधरी : प्रथम पंच-वर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन में तो यही दिया हुआ है।

श्री ए० सी० गुह : मेरे पास इसके आंकड़े भी हैं और मेरा विचार है कि उनका अनुमान इस सम्बन्ध में ग़लत है।

जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है। मैं नहीं कह सकता कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसमें और उसकी कार्यान्विति में कितना अन्तर रहेगा और कितना अंश विदेशी विनियोजन से प्राप्त होगा। किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि किसी भी उद्योग में निगम द्वारा किये जाने वाले विनियोजन में अंशों का बहुमत नहीं होगा और प्रबन्ध में उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा, अतः राष्ट्रीय हितों की रक्षा के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की आशंका दूर हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मांग के सम्बन्ध में भी, जैसा कि माननीय सदस्य का सुझाव है कुछ और विस्तृत ब्योरा दिया जाना चाहिये था। स्पष्ट है कि पाद टिप्पणी कार्य मंत्रणा समिति की उप-समिति के सुझाव पर तैयार और परिचालित की गई थी। उसमें मांग संख्या ११९ की उपेक्षा की गई है।

मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में भी मांगों के नीचे पाद टिप्पणी देने के अतिरिक्त अधिक विस्तृत ज्ञापन भी सम्बद्ध किया जाना चाहिये। पहले स्थायी वित्त समिति के लिये प्रत्येक नई सेवा के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना दी जाती थी।

इस मामले विशेष में दो करोड़ रुपये के लिये वाक्बद्धता थी। इस कारण विस्तृत ब्यौरा देना आवश्यक था। अब मैं कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ३५ पर आग्रह नहीं करता हूं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या १८ पर आग्रह नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एन० बी० चौधरी का कटौती प्रस्ताव संख्या १७ सभा के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ११९ (वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—१,००० रुपये) मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

१९५५—५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की यह मांग उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
१३८	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१,००० रुपये

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१३८	श्री एन० बी० चौधरी . .	निजी व्यक्तियों के अधीन पूर्वाधिकार अंशों के द्वारा सार्वजनिक समवाय को चन्दा देने की नीति से असहमति।	१ रुपये तक
१३८	श्री राघवाचारी . .	होटल उद्योग की अवांछनीयता सम्बन्धी नीति पर असहमति।	१ रुपये तक
१३८	श्री एन० आर० मुनिस्वामी	होटल चलाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१३८	श्री रामचन्द्र रेड्डी . .	होटल उद्योग में सरकारी निधियों के विनियोजन की वांछनीयता।	१०० रुपये
१३८	श्री कामत . . .	नई दिल्ली में आवास स्थान का प्रश्न।	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव तथा मूल मांगें अब सभा के सम्मुख हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मांग संख्या १३८ के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति की उपसमिति के कहने पर जो दो पृष्ठ की टिप्पणी प्रस्तुत की गई वह भी सन्तोषजनक नहीं है। यदि सभा-पटल पर अशोक होटल के प्रवर्त्तकों और सरकार के मध्य हुये क़रार आदि का विस्तृत ब्यौरा रखा जाता तो सभा मंत्रालय की प्रशंसा करती। अब सरकार को एक करोड़ रुपये का पचास प्रतिशत देने का वचन देना ही पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : २५ प्रतिशत।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : यह अंशदान तो अंशों में किये गये विनियोजन के रूप में होगा, इसके अतिरिक्त यदि सारा रुपया वह एकत्र न कर सके तो इन प्रवर्तकों को २५

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

लाख रुपया भी देना पड़ेगा । सामान्यतः यदि ऐसे मामलों में प्रवर्त्तक धन एकत्र कर लेते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती है । किन्तु इस मामले में एक करोड़ रुपये की राशि का लगभग ५० प्रतिशत देना पड़ेगा । यदि सरकार अंश खरीद लेती है तो पच्चीस पच्चीस लाख रुपये की राशि पर ब्याज की हानि होने की सम्भावना भी हो सकती है । यह कोई ऐसा उपक्रम नहीं हैं जिसमें सरकार इतनी बड़ी धन राशि लगाये । दुर्भाग्यवश हमें प्रवर्त्तकों और सरकार के बीच हुये क़रार की शर्तें और अन्तर्नियमों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, अन्यथा हम सरकार को बता सकते कि कहां कहां पर उसने ग़लती की है । मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार जो कुछ करने जा रही है उसके विषय में हमें बताने से लजाती है । क़रार के अन्तर्नियम संख्या १० के अधीन जाम साहिब नावानगर और हरबंस लाल चड्डा की अंश पूंजी ही कुल मिला कर एक करोड़ रुपये की लागत में से २$^{१}/_{२}$ लाख रुपये की होती है । निदेशालय में इन्हीं दोनों प्रवर्त्तकों को प्रधानता दी गई है और सरकार के केवल दो निदेशक होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर्तकों को निदेशक बोर्ड के सदस्यों को नाम निर्देशित करने का अधिकार है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : प्रवर्त्तक अपने निदेशकों को नामनिर्देशित करेंगे जिनकी संख्या सरकार द्वारा नामनिर्देशित निदेशकों से अधिक होगी यानी सात या पांच में से दो ।

चूंकि हम अन्तर्नियमों को ठीक ठीक नहीं जानते हैं इस कारण सरकार के रुख की आलोचना भी नहीं कर सकते हैं ।

श्री ए० सी० गुह : यह एक संयुक्त स्कन्ध समवाय है और समवाय विधि के अधीन कार्य करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इसके विषय में सारी बातें जाननी चाहियें क्योंकि यह एक नई सेवा है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री सभी आवश्यक सूचना देंगे ।

श्री **रामचन्द्र रेड्डी** : प्रवर्त्तकों को अपने पांच निदेशकों को नामनिर्देशित करने का पैतृक अधिकार दिया जाना तो आपत्तिजनक है क्योंकि सरकार के निदेशक केवल दो ही होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अन्तर्नियम और ज्ञापन तैयार हो चुके हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : वे अभी तैयार नहीं हुये हैं, वरन् विचाराधीन हैं । अभी हम बहुत पहले इस पर चर्चा करने लगे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कथन है कि प्रवत्तकों को पैतृक अधिकार दिये गये हैं अर्थात् उन के पुत्रों, पौत्रों आदि की बात भी मानी जायेगी ।

सरदार स्वर्ण सिंह : कोई भी ऐसा क़रार नहीं किया जायेगा जो भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन मान्य न हो । प्रवर्त्तकों और सरकार के मध्य एक क़रार हुआ है ।

श्री कामत : क़रार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : निदेशालय में कुल कितने लोग होंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है । निदेशकों की संख्या १७ और २१ के बीच होगी ; किन्तु

निश्चित संख्या अभी निर्धारित नहीं की गई है ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : १७ में से केवल दो निदेशक सरकार के होंगे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मेरी समझ में एक बात यह नहीं आई है कि जब सरकार मद्य-निषेध करने जा रही है तो फिर उन होटलों में जिनमें शराब आदि पी जाती है, साझा करना कहां की बुद्धिमानी है । यह नीति मैं कुछ समझ नहीं सका ।

दिल्ली में १९५६ में होने वाले यूनेस्को सम्मेलन के लिये क्वीन्सवे पर ३० या ४० लाख रुपये की लागत की एक इमारत बनाई जा रही है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि कितने अतिथि इस में भाग लेने आयेंगे । इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डाले जाने की आवश्यकता है । सरकार को होटल जैसे व्यापार को हाथ में लेना उचित नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार किस प्रकार होटल चलायेगी, उसका हिसाब-किताब रखेगी और नियंत्रण कर सकेगी ? अतः सभा की यह सम्मति है कि सरकार का यह कार्य उचित नहीं है । यह तो १,००० रुपये की एक सांकेतिक मांग है । अतः अभी इसे वापस ले लेने में सरकार को कोई हानि नहीं होगी । इस कारण इस होटल के तथा क़रार के अन्तर्नियमों के विषय में हमें पूरी पूरी जानकारी दी जानी चाहिये जिससे कि सभा इन सारी बातों को जान सके ।

श्री कामत : माननीय मंत्री ने इस होटल के विषय में पर्याप्त सूचना नहीं दी है जिससे कि सभा उस पर पूर्णरूप से विचार कर सकती । वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई टिप्पणी से हमें ज्ञात होता है कि समवाय के निदेशक बोर्ड में सरकार के केवल दो निदेशक होंगे । माननीय मंत्री ने अभी जो कहा वह हास्यास्पद है । हास्यास्पद इस कारण कि जब समवाय में केवल दो निदेशक सरकार के होंगे तो वे किस प्रकार उस पर अपना नियंत्रण रख सकेंगे । जहां तक सरकार के साझे का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि वह इस समवाय में सम्मिलित होने का निर्णय करने वाले दिन के लिये अन्ततोगत्वा पछ-तायेगी नहीं । किन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय ही नहीं हुआ है ।

जहां तक क़रार का सम्बन्ध है, अनेक खंडों में कहा गया है कि सरकार यह करेगी वह करेगी । यदि ऐसा ही था तो माननीय मंत्री को उसकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखनी चाहिये थी और माननीय सदस्यों को प्रतियां उपलब्ध कराई जानी चाहिये थीं ।

जब तक कि यह क़रार हमें उपलब्ध न हो जाये तब तक इस मांग को निलम्बित रखा जाना चाहिये । क़रार की प्रति सभा-पटल पर न रख कर या जो कुछ सरकार करना चाहती है उसे न बता कर उस ने अपना ओछापन दिखाया है । जब तक क़रार की प्रतिलिपि न आ जाये तब तक मांग को रोके रखा जाना चाहिये । यदि माननीय मंत्री के पास यहां क़रार की प्रतिलिपि हो तो वह उसे पढ़ कर सुना दें, हम लोग उस पर टीका-टिप्पणी कर लेंगे । यदि आप सहमत हों तो माननीय मंत्री को प्रतिलिपि लाने और घंटे आध घंटे के अन्दर उसे सभा-पटल पर रखने का आदेश दिया जाये । बिना जाने हम क़रार को कैसे पारित कर दें । अतः अग्रेतर चर्चा करने से पूर्व मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को एक और अवसर देता हूं जिससे कि वह जो कुछ जानकारी उन्हें प्राप्त हो उसे सभा

[उपाध्यक्ष महोदय]

को बता सकें । यदि वह चाहें तो उन्हें इसके पश्चात् एक और भी अवसर दिया जा सकेगा ।

बात वास्तव में यह है कि कार्य मंत्रणा समिति उस छोटी सी पाद-टिप्पणी से सन्तुष्ट नहीं थी । उसके उत्तर में वित्तीय पहलू की दृष्टि से एक वाक्बद्धता सम्बन्धी विस्तृत विवरण रखा जाता है । अब माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब निजी आवास उपलब्ध नहीं है तो सरकार को हस्तक्षेप कहां तक लाभदायक सिद्ध होगा । मुझे आशा थी कि ये सारी बातें तथा ब्यौरे इस प्रकार की टिप्पणी में होंगे, किन्तु ऐसी बात नहीं है । मैं इस मांग को रोकना नहीं चाहता । माननीय मंत्री को जो जानकारी हो वह सभा को दे दें । श्री कामत को दुबारा बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ।

श्री राघवाचारी : क्या इस सभा को यह अधिकार नहीं कि वह सरकार को जो जानकारी प्राप्त है उसे पूछ सके ? इस टिप्पणी में क़रार का उल्लेख किया गया है । मैं आग्रह करता हूं कि उक्त क़रार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जानी चाहिये थी और हम लोगों को दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, सरकार को जितनी सूचना इस सम्बन्ध में उपलब्ध थी, वह दी जा चुकी है । मूल ज्ञापन छोटा है और विस्तृत ज्ञापन वित्तीय वाक्-बद्धताओं के सम्बन्ध में है । मांग के पढ़े जाते समय माननीय सदस्य जो भी चाहते पूछ सकते थे । यदि माननीय सदस्य किसी ज्ञापन अथवा किसी छपे हुये विवरण से भी सहमत नहीं हैं तो वे कह सकते हैं कि इसमें कुछ कमी है । प्रतिदिन सभा स्थगित नहीं की जा सकती है । माननीय मंत्री सभा को इन चीज़ों के बारे में सन्तुष्ट कर सकते हैं । यदि कोई माननीय सदस्य उसी समय यह कह देता तो उसी समय माननीय मंत्री को सभा को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट करना पड़ता और उसके पश्चात्, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते । इस कारण किसी व्यक्ति विशेष के लिये नीति नहीं बदली जा सकती है । जब कि श्री कामत अन्य चीज़ों की ओर से इतने सजग रहते हैं तो उन्हें इस पर भी पहले ही आपत्ति करनी चाहिये थी । अतः अब माननीय मंत्री के भाषण के पश्चात् अन्य सदस्य बोलेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : जो भी सूचना माननीय मंत्री के पास हो उसे वह सभा-पटल पर रख दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत के भाषण के पश्चात् वह ऐसा करेंगे ।

श्री कामत : एक पिछले अवसर पर स्वयं आपने वादविवाद में अन्तरयण करके कतिपय आंकड़े प्रस्तुत कराये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में यदि कोई सेवा नवीन होती है तो उसके सम्बन्ध में दिया जाने वाला साहित्य पूर्ण होना चाहिये । केवल संकेत कर देने से ही कार्य नहीं चलेगा । ऐसी सेवाओं के सम्बन्ध में पहले माननीय मंत्री भाषण दें और उस सेवा की आवश्यकता के सम्बन्ध में वक्तव्य दें । यदि भाषण के बाद कोई नये प्रश्न उठें तो माननीय मंत्री अपेक्षित जानकारी प्राप्त करके सभा को दें ।

श्री कामत के भाषण के पश्चात् मैं माननीय मंत्री से बोलने को कहूंगा । माननीय सदस्य भी सचेत रहें । यदि माननीय मंत्री पहले भाषण न दें और माननीय सदस्य किन्हीं बातों का स्पष्टीकरण चाहें तो वह माननीय मंत्री से पहले भाषण देने के लिये कह सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : यदि माननीय मंत्री ने यह संकेत किया होता कि वह पहले भाषण देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहते थे तो मैं ने भाषण न दिया होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सूचना माननीय मंत्री ने सभा को दी है उस से वह पूर्णतया सन्तुष्ट हैं । माननीय सदस्यों को यह आपत्ति पहले उठानी चाहिये थी और ऐसी स्थिति म मैं उनसे पहले भाषण देने को कहता । पर अब तो अवसर बीत चुका है ।

श्री कामत : वित्त मंत्रालय की टिप्पणी को ही लीजिये । पृष्ठ २ की कंडिका (६) का आशय मेरी समझ में नहीं आया है । क्या सरकार का यह विचार है कि १८ में से दो निदेशक नियुक्त कर के सरकार निदेशक बोर्ड से अपने सुझावों का परिचालन करा सकती है । मेरी समझ में नहीं आता कि १५–१६ निदेशकों के मुकाबिले में सरकार के दो निदेशक किस प्रकार अपने सुझावों का परिपालन करा सकेंगे । ऐसा करने से तो सरकार उस चोर बाज़ारी और मुनाफ़ा खोरी को ही प्रोत्साहन देगी जो आजकल दिल्ली के होटलों में फैला हुआ है । मुझे याद है कि गत सत्र के समय इम्पीरियल होटल ने एक रात के लिये ९५ रुपये वसूल किये थे तथा मुझे एक और सज्जन से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने इसी होटल में एक रात रहने के लिये एक कमरे के १३५ अथवा १४५ रुपये दिये थे । मुझे खेद है कि यही बातें चाणक्यपुरी में हो रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझ से अधिक जानते होंगे परन्तु मैं तो केवल इतना जानता हूं कि कनाडा में दो पद्धतियां हैं । रेलवे लाइन के सभी महत्वपूर्ण नगरों में रेलवे के स्वयं के होटल हैं। दूसरी पद्धति के अन्तर्गत दूसरे अर्ध-भाग में सभी होटल सरकार द्वारा प्रशासित हैं । इसलिये मुझे तो इस प्रस्ताव में कुछ असंगत प्रतीत नहीं होता है ।

श्री कामत : मैं आपकी सहायता का आभारी हूं । चाणक्यपुरी में आप दो होटल खोलें । एक गैर-सरकरी क्षेत्र द्वारा संचालित हो तथा दूसरा सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित हो इससे उनमें उन्नत प्रकार को प्रतिस्पर्धा चलेगी । परन्तु यहां व्यवस्था कुछ और प्रकार की है । १७-१८ निदेशकों में से सरकारी निदेशक केवल दो होंगे । मेरा सुझाव है कि इस होटल में सरकारी प्रतिनिधित्व ५१ प्रतिशत होना चाहिये जिससे होटल के प्रबन्ध में गड़बड़ी की आशंका न रहे ।

इस विवरण के प्रथम भाग में यह दिया गया है कि "बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा विदेशी पर्यटकों के आने के कारण नई दिल्ली में एक उपयुक्त होटल के खोलने की आवश्यकता हुई है. . . .आदि ।" मैं ने कई पर्यटकों को इन होटलों के सम्बन्ध में शिकायत करते सुना है । इसलिये जिस भी किसी समवाय से समझौता किया जाये यह सुचारु रूप से कार्य कर रही हो तथा यह समझौता भी सरकार की उस आर्थिक नीति पर आधारित हो जिसकी घोषणा सभा में हो चुकी हो । इसके अतिरिक्त सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि इस होटल के प्रबन्ध में सरकार का पूर्णतया हाथ होना चाहिये ।

पूर्वनिर्मित गृहों का समझौता सभा-पटल पर नहीं रखा गया इसलिये सदस्यों को इसकी चर्चा का अवसर ही नहीं मिला था । अब फिर उसी प्रकार की स्थिति है । मेरा सुझाव है कि समझौते की शर्तों को कम से कम सभा में पढ़ देना ही चाहिये जिससे हम उस पर चर्चा कर सकें ।

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी तक वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों ने दो बातों को प्रस्तुत किया है ।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या नई दिल्ली में अतिरिक्त होटल की सचमुच कोई आवश्यकता है। इस बारे में कोई गम्भीर आपत्ति नहीं उठाई गई है। फिर भी मैं इस सम्बन्ध में कुछ सूचना देता हूं।

दिल्ली आने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। भारत की राजधानी दिल्ली का अन्तर्राष्ट्रीय, राजनयिक तथा व्यापारिक महत्व बढ़ रहा है तथा इसीलिये पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। 'यूनेस्को' का सामान्य सत्र नई दिल्ली में करने का प्रस्ताव था तथा संगठनकर्ताओं ने सम्मेलन में आने वाले शिष्ट मंडलों के सदस्यों की सुविधानुसार होटल के स्थानों को ढूंढा तथा उनकी जांच के परिणामस्वरूप नई दिल्ली के समस्त होटलों में केवल १५० व्यक्तियों के लिये स्थान रिक्त थे। मैं स्वीकार करता हूं कि जब इसकी सूचना सरकार को मिली तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह सच है कि नई दिल्ली में बहुत होटल हैं परन्तु इन होटलों के निवासस्थान तथा सुविधायें उस स्तर की नहीं थीं जिनमें इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, चाहे वह सरकारी हों अथवा नहीं, के शिष्टमण्डलों को रखा जा सके। इसलिये यह आवश्यक था कि अतिरिक्त निवास स्थानों का निर्माण किया जाना चाहिये। 'यूनेस्को' के सत्र में आने वाले शिष्टमंडलों के सदस्यों की संख्या ७०० तथा १,००० के बीच है तथा इस कमी को पूरा करना आसान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, यदि केवल 'यूनेस्को' के शिष्टमण्डलों को उपयुक्त निवास स्थान की प्राप्यता का प्रश्न होता तो भवन निर्माण का तर्क उपस्थित करना ठीक न होता परन्तु यह लगातार अनुभव किया गया कि केवल विदेशी पर्यटकों के लिये ही नहीं प्रत्युत भारत के अन्य भागों से आने वाले पर्यटकों के लिये भी होटलों के निवासस्थान सचमुच ही पर्याप्त नहीं हैं। ये पर्यटक विभिन्न कार्यों, सम्मेलनों के लिये जो सरकारी तथा गैर-सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी होते हैं, यहां आते हैं तथा जब वह यहां आते हैं तो उन्हें उचित स्थान अवश्य चाहिये।

जहां तक कान्स्टिट्यूशन हाउस का सम्बन्ध है, इस सभा के माननीय सदस्य जानते हैं कि यह एक अस्थायी होस्टल बनाया गया था तथा यह भवन अब अन्तिम अवस्था को पहुंच चुका है तथा मैं जब भी कभी अपने किसी मित्र से मिलने कान्स्टिट्यूशन हाउस गया हूं, वे सर्वदा शिकायत करते रहे हैं कि भवन की अवस्था सुदृढ़ नहीं है तथा शीघ्र अथवा देर में इसको गिराना ही होगा। इसलिये सरकार को यह महसूस हुआ कि कुछ अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाये तथा इसी आधार पर 'क्वीन्स्वे' में नया सरकारी होस्टल बनाया जा रहा है जिसकी ओर मद्रास के माननीय सदस्यों ने निदेश किया है। यह होस्टल बन रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को कुछ असुविधायें हुई हैं क्योंकि अल्प सूचना पर उन्हें उनके क्वार्टरों से हटाया गया। परन्तु मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि जिस निवास स्थान में सदस्य रह रहे थे उन सदस्यों को उस स्थान से अच्छा स्थान दिया गया है तथा इस होस्टल की इमारत शीघ्रता से बनती जा रही है।

क्वीन्स्वे के सरकारी होस्टल में लगभग २०० व्यक्तियों को निवास स्थान दिया जा सकता है। सम्भव है यह संख्या कुछ कम या अधिक हो जाये परन्तु इससे बहुत अधिक होने की सम्भावना नहीं है। कान्स्टिट्यूशन हाउस के वर्तमान निवासियों को भी कठिनाई से ही स्थान मिल सकेगा क्योंकि उस

भवन को शीघ्र अथवा देर से गिराना ही होगा । परन्तु जब तक सम्भव है कान्स्टिट्यूशन हाउस को भी रखने का विचार है तथा यह विचार नहीं किया गया है कि जैसे ही क्वीन्स्वे का नया हास्टल बने, कान्स्टिट्यूशन हाउस को गिरा दिया जाये । परन्तु कुछ समय पर इसे गिराना ही होगा तथा इस भूमि पर दूसरा होस्टल बनाया जायेगा अथवा कोई और सरकारी भवन बनाया जायेगा ।

इस समय मैं इतना बताना चाहता हूं कि यह नया होस्टल जो क्वीन्स्वे पर बनाया जा रहा है, इस में केवल कान्स्टिट्यूशन हाउस के निवासियों के लिये स्थान होगा । सम्भव है कि कांस्टिट्यूशन हाउस के वर्तमान निवासी वहां जाना उचित न समझें तो उनके लिये अन्य स्थानों की व्यवस्था होगी । परन्तु इस होस्टल के निर्माण के द्वारा होस्टल के स्थानों में वृद्धि नहीं होगी । यह तो केवल एक होस्टल होगा तथा प्रशुल्क का विनियमन इस प्रकार किया जायेगा जिससे सरकारी काम पर दिल्ली आने वाले सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तियों को उचित दरों पर निवासस्थान मिल सके । इससे उन पदाधिकारियों को भी कुछ सुविधा होगी जो पदाधिकारी दिल्ली भेजे गये हैं परन्तु जिनको निवासस्थान न मिल सका हो । उनको अस्थायी तौर पर इस होस्टल में रखा जायगा जिससे निवासस्थान के आवंटन तक वह प्रतीक्षा कर सके । संसद् सदस्य भी उसमें रह सकते हैं परन्तु उस होटल को व्यापारिक आधार पर चलाने का विचार नहीं है । यदि उसमें कोई कमरा खाली रहेगा तो वह अस्थायी तौर पर जनता को भी दे दिया जायेगा परन्तु अन्य होटलों से प्रतिद्वन्द्विता नहीं की जायेगी ।

क्वीन्सवे में नया सरकारी होटल बनाने से नई दिल्ली में होस्टल स्थानों की वृद्धि नहीं होगी । इसलिये यह आवश्यक था कि अतिरिक्त होटल स्थान की व्यवस्था की जाये । इसी विचार से चाणक्यपुरी में होटल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था ।

आप जानते हैं कि चाणक्यपुरी का विकास शीघ्रता से हो रहा है । अधिकांश राजदूत अपने निवासस्थान, दूतावास तथा चान्सलरी आदि वहीं बना रहे हैं। उस क्षेत्र में कुछ गैर सरकारी स्थान भी हैं परन्तु अधिक क्षेत्र में विदेशी राजदूतावासों के कर्मचारी ही रहेंगे । यह स्थान सरकारी कार्य स्थान से दूर नहीं होगा तथा होटल की आवश्यकता थी । यह स्थान अभी इतना जन-प्रिय नहीं हुआ है तथा इसलिये इतने बड़े काम द्वारा कुछ सहायता की आवश्यकता थी ।

श्री कामत : परिवहन का भी पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिये ।

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान् आपने पूछा था कि इस होटल में कितना स्थान होगा । वास्तुकला के ब्यौरे से ही सही आंकड़े ज्ञात हो सकते हैं परन्तु लगभग ३५० अथवा ४०० व्यक्तियों को निवासस्थान की प्राप्यता का विचार है । इस प्रकार यह एक काफी बड़ा होटल होगा जिसमें इस प्रकार के होटल के लिये उचित सभी प्रकार की सुविधायें होंगी । इसमें लगभग ७ से ८ मंज़िलें होंगी ।

इस भवन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक योजना बनाई जा चुकी है तथा जो माननीय सदस्य उनको देखना चाहें, वह सहर्ष ऐसा कर सकते हैं । उनको योजनायें दिखाई जा सकती हैं परन्तु मुझे पूर्ण आशा है कि उससे सभा का समय ही नष्ट होगा ।

माननीय सदस्यों ने जो दूसरा प्रश्न किया है वह समझौते की शर्तों के सम्बन्ध

[सरदार स्वर्ण सिंह]

में है। यह सच है कि समझौते के ब्यौरे सभा-पटल पर नहीं रखे गये हैं। परन्तु आवश्यक सभी बातें इस विवरण में दे दी गई हैं। जिसका परिचालन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर किया गया था। मैं उन माननीय सदस्यों का ध्यान विशेषत: आकर्षित करना चाहता हूं जिन्होंने इस विवरण की कंडिका ४ तथा ५ के आधार पर इस समझौते की आलोचना की है। इसमें यह व्यवस्था रखी गई है कि समवाय की वित्तीय स्थिति सम्बन्धी नीति के महत्व-पूर्ण विषयों पर निदेशक बोर्ड सरकार की अनुमति से निर्णय करेगा जिसके लिये समवाय संस्था के अन्तर्नियम तथा ज्ञापन में उपयुक्त उपबन्ध रखे जायेंगे। इसलिये जिस तर्क में यह कहा गया है कि निदेशक बोर्ड में दो निदेशकों का प्रभाव नहीं होगा तथा प्रबन्ध पर नियंत्रण नहीं होगा ठीक नहीं है। यदि सभी महत्वपूर्ण विषय, नीति, समवाय की वित्त स्थिति आदि सरकार की अनुमति के लिये आयेंगे तो मेरा विचार है कि इस होटल की वित्त स्थिति पर नियंत्रण के लिये उचित उपबन्ध है।

यह उचित भी है क्योंकि १ करोड़ रुपये की पूंजी वाली जिस समवाय में सरकार केवल २५ लाख रुपया लगा रही हो उसके निदेशक बोर्ड में निदेशकों की अधिकता चाहे अन्य उपबन्ध अग्रिम दिये जाने वाले ऋण की सूद दर के सम्बन्ध में हैं, ये दर रियायती नहीं हैं तथा केवल इसी आधार पर निदेशक बोर्ड में सरकार निदेशकों की अधिकता नहीं रख सकती है।

इस प्रकार के कार्य में यह उपबन्ध इस विचार से रखा जाता है कि जिससे ग़ैर सरकारी पूंजी इसमें लग सके तथा जो व्यक्ति इसमें पूंजी लगाने को तैयार होंगे उनकी पूंजी इस समय बेकार ही पड़ी रहेगी। सरकार ५१ प्रतिशत लगा सकती है इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। परन्तु विचार यह है कि इस कार्य में ग़ैर सरकारी पूंजी लगनी चाहिये तथा सरकारी कम से कम पूंजी इसमें लगी रहनी चाहिये। विचार यह है कि वित्त स्थिति पर नियंत्रण, निदेशक बोर्ड में निदेशकों की अधिकता से अधिक महत्वपूर्ण है।

प्रशासन के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस छोटे से ज्ञापन के खण्ड ५ की ओर आकर्षित करता हूं। खण्ड ५ में यह व्यवस्था है कि समवाय का कार्य एक सामान्य प्रबन्धक करेगा जिसकी नियुक्ति सरकार की अनुमति से होगी। इसलिये मेरा विचार है कि इस प्रकार के मामले में हमें उन व्यक्तियों का भी ध्यान रखना है जो १ करोड़ रुपये की पूंजी में से ७५ लाख रुपया लगायेंगे। सरकार के पूर्वाधिकार अंश होंगे जिनमें न्यूनतम ५$^{१}/_{२}$ प्रतिशत वापसी पर आय कर नहीं होगा तथा फिर भी सरकार का दोहरा नियंत्रण रहेगा अर्थात् वित्त पर भी तथा प्रबन्ध में भी तथा इसके अतिरिक्त नीति पर सरकारी अनुमति लेनी होगी। यह ऐसा नहीं है कि वह एक निर्णय करें तथा सरकार बाद में उसका निच्छेद करे। पहले अनुमति का अर्थ है कि सभी विषयों की सावधानी से जांच की जायेगी तथा तभी उनको अन्तिम रूप दिया जायेगा। इसके पश्चात् सामान्य प्रबन्धक की नियुक्ति में सरकारी अनुमति के द्वारा प्रबन्ध तथा नियंत्रण दोनों पर प्रभाव पड़ता है। विचार यह है कि यदि उपयुक्त सरकारी कर्मचारी जिसको सामान्य प्रबन्धक नियुक्त किया जा सके, प्राप्य होगा तो सम्भव है उसको इस समवाय का सामान्य प्रबन्धक बनाया

जाये। इस प्रकार यह दो बचाव हैं जिनको मैं अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं।

अतः इन दोनों बचावों के होते हुये जो कि मेरे विचार में निर्देशक मंडल में बहुमत के लिये जोर देने के स्थान पर कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह विचार किया जाता है कि यह परियोजन बिल्कुल ठीक है और इससे सरकार का पर्याप्त नियन्त्रण रहेगा।

एक शंका उठाई गई है कि सरकार इस प्रकार की एक परियोजना स्वयं क्यों न चालू करे और श्री कामत ने तो अवाड़ी संकल्प का भी अपने अनोखे ढंग से अर्थ निकाला है। किन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रकार के काम में जहां कि गैर सरकारी पूंजी के नियोजन से महत्वपूर्ण परिणाम निकल सकता है, तो फिर उसी के नियोजन के लिये क्यों न प्रोत्साहन दिया जाये। यह काम इस्पात तथा कोयला उद्योग के समान नहीं है। यह एक प्रकार से उपभोक्ताओं सम्बन्धी सेवा है।

श्री कामत: खाने सम्बन्धी।

सरदार स्वर्ण सिंह: खाने के सम्बन्ध में भी गैर सरकारी लोगों को खाने की आज्ञा दे देनी चाहिये। गैर सरकारी लोगों को श्री कामत के द्वारा बताई गई सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत भी खाने का अधिकार है। अतः होटल के काम में यदि गैर सरकारी पूंजी लगाई जा सकती है तो बजाय इसके कि हम उसका रास्ता बन्द करें, हमें उसके लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। उस दृष्टिकोण से ७५ लाख रुपये की पूंजी जो कि इस परियोजना में अधिकतम पूंजी होगी, एकत्रित करना ठीक ही है।

इसके अतिरिक्त सरकार को इस प्रकार के काम के चलाने में कुछ हानि है। अतः यह है कि इसका प्रबन्ध एक सीमित समवाय द्वारा हो, विशेषतः जबकि इसको व्यापारिक आधार पर चलाया जाना है। सरकार को सर्वदा स्थान की आवश्यकता नहीं होगी। एक इस प्रकार का अभिसंविदा होना हो, जिसका कि इरादा भी है, पर्याप्त होगा कि सरकार को बुकिंग के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी। यदि सरकारी सभायें अथवा कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है अथवा यदि सरकार किसी कारण से यह महसूस करती है कि किसी सरकारी या लोक कार्य के लिये होटल के स्थान की आवश्यकता है तो सरकार को उस स्थान के रक्षित कराने का अधिकार होगा। उस अवधि में जब कि सरकार को उस स्थान की आवश्यकता नहीं है तो जिन व्यापारिक ढंगो पर यह होटल चलाये जाते हैं, उनके अनुसार उन होटलों का उपयोग गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा।

यह कहा गया था कि पार्षद् अन्तर्नियम सभा-पटल पर नहीं रखे गये हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा पार्षद् अन्तर्नियम अभी तैयार नहीं हुये हैं और यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देते हैं तो पार्षद् अन्तर्नियम बनाते समय उनका ध्यान रखा जायेगा। वस्तुतः २५ लाख रुपये के बजाय २६ लाख रुपये नियोजित करने का विचार है। उसका कारण यह है कि समवाय निधि के अनुसार अंश पूंजी का ७५ प्रतिशत भाग धारण करने वाला व्यक्ति पार्षद् अन्तर्नियमों में संशोधन कर सकता है। पार्षद् अन्तर्नियमों में ऐसे खण्ड का निहित करने का विचार है जिससे सरकार का प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति तथा सरकारी निदेशकों की योग्यताओं के मामले में उसके वित्त पर विशेष नियंत्रण हो जायेगा। अतः अंशों के रूप में २६ लाख रुपये नियोजित करने का विचार है जिससे ७५ प्रतिशत की बात न आ जाये क्योंकि

[सरदार स्वर्ण सिंह]

उससे इन पार्षद अन्तर्नियमों में, जो कि बनाये जा रहे हैं, संशोधन करना होगा। इसीलिये यह हितकर बचाव सम्बन्धी उपबन्ध रखे गये हैं।

यह ठीक है कि सभा-पटल पर उसकी एक प्रति नहीं रखी गई है किन्तु उस समझोते में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि उन मुख्य बातों के विरुद्ध जाती है जिनका मैं ने वक्तव्य में और ज्ञापन में उल्लेख किया है। यहां तक कि उस समझोते में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा और वह भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। किन्तु मैंने समझोते की मुख्य मुख्य बातें पहले ही बता दी हैं।

यह भी बताया गया था कि जाम साहब और एक अन्य व्यक्ति को क्रमशः तीन और दो निदेशकों के नाम निर्देशन का अधिकार दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वे वस्तुतः उस मूल्य के अंश लेंगे, यह बात सही नहीं है। उन्हें उन निदेशकों के नामनिर्देशन का अधिकार देने के लिये न्यूनतम अर्हताओं के बारे में कुछ अभिसंविदायें हैं। यह सब बड़े विस्तृत मामले हैं जिन पर पार्षद् अन्तर्नियमों का अन्तिम प्रारूप तैयार करते समय विचार किया जाये और माननीय सदस्यों के विचारों का भी उचित ध्यान रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह दोनों सज्जन क्रमशः तीन और दो निदेशकों के नाम निर्देशन के विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं तो उनको अधिकतम अंश पूंजी कितनी होगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार के साथ साथ अंश पूंजी में उनका अधिकतम अंश होना चाहिये। उदाहरणतः सरकार के अंशों को मिला कर उनके ५१ लाख अथवा ५२ लाख रुपये होने चाहिये।

श्री कामत : माननीय मंत्री थोड़ा सा खण्ड ६ के सम्बन्ध में बताने की कृपा करें। इस खण्ड का सम्बन्ध होटल के प्रतिदिन के प्रबन्ध से है और उसमें यह बताया गया है कि बोर्ड सरकार के सुझावों की ओर तो विशेष ध्यान देगा किन्तु सरकार अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं कर सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इन दोनों सज्जनों तथा सरकार के ५१ प्रतिशत अंश हो जाते हैं तो उन्हों का बहुमत होगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस समय तक कितनी गैर सरकारी पूंजी प्राप्त हो चुकी है, तथा लगभग कितने समय के अन्दर समवाय लाभांश देने के योग्य हो जायेगा?

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक गर-सरकारी पूंजी का सम्बन्ध है हम उस समय तक कोई धन एकत्रित नहीं कर सकते जब तक वस्तु रूप से पार्षद् अन्तर्नियम तैयार नहीं हो जाते और उचित रूप से पूंजीबद्ध नहीं हो जाते। यह बात कि हम वस्तुतः कब से लाभ उठाने लगेंगे, इस बात पर निर्भर है कि यह काम किस प्रकार से चलाया जाता है और कितना काम मिलता है इत्यादि।

श्री राघवाचारी : मैं इस विषय पर विस्तारपूर्वक नहीं बोलूंगा। मैंने माननीय मंत्री द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे हम इस मामले पर कोई निर्णय कर पाते। माननीय मंत्री ने बताया कि अभी समझौता पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसलिये मैं इसको प्रस्तुत नहीं कर सकता। मैंने उनके तर्क सुने। उनका एक तर्क यह है कि दिल्ली में होटल स्थान का अभाव है, अतः सरकार को इस का प्रबन्ध अवश्य करना

है क्योंकि 'यूनेस्को' सम्मेलन होने वाला है, जिसमें लगभग ७५० व्यक्ति आयेंगे । मुझे यह तर्क युक्तिसंगत नहीं जान पड़ा, क्योंकि 'यूनेस्को' सम्मेलन प्रति दिन तो होते नहीं । यह तो कभी सालों में एक बार हो जाते हैं और केवल इसी उद्देश्य से एक स्थायी होटल का प्रबन्ध करना तर्कपूर्ण नहीं जान पड़ता । इस काम के लिये इतना अधिक रुपया लगाना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस गरीब देश में इतने ऊंचे दर्जे के होटल का चलना मुश्किल है ।

अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं । यह बताया गया है कि इस होटल के खोलने का यह उद्देश्य है कि आगन्तुकों को अधिक से अधिक आराम मिल सके । आराम शब्द ऐसा है जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती है । हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में इन होटलों से कितनी अनैतिकता फैली है । यह ठीक है कि बाहर से आने वाले मित्रों को ऐसे स्थान की ही आवश्यकता है जहां उनको शराब पीने इत्यादि की सारी सुविधायें उपलब्ध हों, क्योंकि वे इन चीज़ों के अभ्यस्त होते हैं । किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या अपने संविधान के निदेशक तत्व हमें इस बात की आज्ञा देते हैं कि हम एक ऐसा होटल खोलें जहां शराब इत्यादि का खुल कर सेवन किया जाता हो । मेरे हृदय पर इस बात से बड़ी चोट पहुंची कि सरकारी रुपया इस प्रकार के कामों में लगाया जाये ।

अब मैं जाम साहब और दूसरे सज्जन के बारे में पूछता हूं । मैं नहीं समझता कि इन दोनों सज्जनों में ऐसी कौनसी विशेषता है या होटल चलाने का उनको क्या विशेष अनुभव है, जिससे उनको इस काम के लिये चुना गया है । मेरे विचार में नवानगर के जाम साहब पहले एक राजा थे । क्या सरकार उन या उनके रिश्तेदारों के लिये इस प्रकार से एक धंधे का प्रबन्ध कर रही है ? माननीय मंत्री ने बताया कि सरकार की और इन दोनों सज्जनों की ५१ प्रतिशत अंश पूंजी है । इस प्रकार से यह दोनों सज्जन सरकार के ही अंग हुये । मुझे खेद है कि अनुभव न होने पर भी इन दोनों सज्जनों से इस काम के लिये कहा जा रहा है ।

समवाय की पूंजी १ करोड़ रुपये बताई जाती है । सरकार २६ लाख रुपये के अंश खरीदेगी और टिप्पण में बताया गया है कि सरकार उन लोगों को २५ लाख रुपये का ऋण देगी । इसका अर्थ यह ह कि सरकार कुल ५१ लाख रुपये खर्च करेगी । इसके अतिरिक्त सरकार इस होटल के लिये ५०,००० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन देने को तैयार है । साथ ही साथ यदि वे लोग उस स्थान की क़ीमत नहीं दे पाते हैं, तो उतनी धनराशि ऋण के रूप में मानी जायेगी और उस पर सरकार को ४ प्रतिशत व्याज मिलेगा । वे दोनों सज्जन केवल $^{1}/_{2}$ लाख रुपये लगा रहे हैं, जिसमें जाम साहब $1^{1}/_{2}$ लाख रुपये लगा रहे हैं और दूसरा सज्जन १ लाख रुपये लगा रहा है । इसके बदले में उनको क्रमशः ३ और २ निदेशकों के नामनिदशन की अथवा अपने उत्तराधिकारियों के चुनने की आज्ञा मिल गई है । नई समवाय विधियों में नामनिर्देशन इत्यादि की आज्ञा भले ही न दी जाये किन्तु इन लोगों को यह अधिकार दे ही दिया गया है । बिना किसी विशेष जानकारी दिये हुये हम से इन राशियों के लिये अपना मत देने को कहा जाता है । अब तक मैं यह बात समझने में असमर्थ था कि माननीय मंत्री समझौते को सभा-पटल पर क्यों नहीं रखना चाहते हैं, सिवाय इसके कि यह अब भी अपूर्ण है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : नये समवाय अधिनियम के अन्तर्गत समझौते अन्तिम रूप से पूरे होने से पूर्व ही प्रकाशित और पंजीबद्ध किये जा सकते हैं ।

श्री राघवाचारी : मैं ने पहले ही कहा कि नई समवाय विधि में अनेक संशोधन किये जा सकते हैं । मेरा तात्पर्य तो वस्तुतः इस प्रस्तावित समवाय से है । सभा से सरकार को एक और सरकारी अभिकरण के साथ एक ऐसा काम शुरू करने की अनुमति देने को कहा जा रहा है, जिसमें वे सारी बातें होंगी जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है । हमसब जानते हैं कि होटल का काम काफी जटिल प्रकार का है और उसके लिये बड़े अनुभव की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त उस होटल में शराब पीने इत्यादि की बातें मेरे हृदय में विरोध की भावनायें पैदा करती हैं । फिर मैं यह पूछता हूं कि इसकी क्या गारंटी कि जो सरकारी पैसा लगाया जायेगा वह लौट कर आ ही जायेगा । उन दोनों सज्जनों को प्रत्येक परिस्थिति में ५½ प्रतिशत ब्याज मिलेगा ही केवल सरकारी पूंजी के बरबाद होने की आशंका रहेगी । मेरे विचार में तो यह काम बहुत ही खतरनाक है तथा इसमें हमने जो धन लगाया है, उसके निश्चय ही बरबाद होने की सम्भावना है ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस मांग से हम चाणक्यपुरी में एक होटल के लिये २६ लाख पये का उपबन्ध करने जा रहे हैं । दिल्ली में स्थान की कमी का कोई प्रश्न नहीं उठता प्रश्न तो यह है कि जब हम कम वेतन वाले कर्मचारियों तक के लिये स्थान का उपबन्ध करने में असमर्थ हैं तो फिर अच्छी हालत वाले आदमियों के लिये एक करोड़ रुपये लगाकर एक अच्छे स्थान का प्रबन्ध करना कहां तक उचित है ।

अपने विशिष्ट कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम इस नीति का पूरी तरह से खंडन करते हैं कि गैर सरकारी लोगों के साथ मिल कर कोई काम किया जाये । यह बताया गया है कि होटल का काम बहुत ही लाभदायक है । यदि ऐसा ही है तो यह अच्छा होता यदि सरकार स्वयं इस काम को प्रारम्भ करती, बजाय इसके कि वह नावानगर के जाम साहब और देहरादून के हरभंस लाल चड्ढा के साथ काम करे । यह भी कहा गया है कि वे दोनों सज्जन क्रमशः १½ लाख और १ लाख रुपये ही लगायेंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि शेष रुपये कहां से आयेंगे । ऐसी हालत में पूर्वाधिकार अंशों के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक है और साथ ही साथ यह देखना भी आवश्यक है कि क्या सरकार इस काम को अकेले ही प्रारम्भ नहीं कर सकती ।

हमें प्रसन्नता है कि अगले साल यहां पर 'यूनेस्को' सम्मेलन होने वाला है, किन्तु उस सम्मेलन के सम्बन्ध में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के आवास के लिये एक अलग से शानदार इमारत बनवाना व्यर्थ है । हमने इण्डोनेशिया में होने वाले बांडुंग सम्मेलन के सम्बन्ध में देखा कि उस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिये कोई विशेष विलासपूर्ण स्थान का प्रबन्ध नहीं किया गया, यद्यपि उसमें २९ देशों के बड़े बड़े आदमियों ने भाग लिया था । हम भी 'यूनेस्को' सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति के अतिथि गृह इत्यादि में ठहरा सकते हैं, बजाय इसके कि हम संसार को यह दिखायें कि हम 'यूनेस्को' सम्मेलन के अवसर पर एक शानदार होटल खोल रहे हैं ।

इन विचारों को लेते हुए मैं सरकार की इस नीति का विरोध करता हूं विशेषतः जब हम अल्प-आय के व्यक्तियों को गृह-निर्माण के लिए ऋण देने की व्यवस्था करने में भी असमर्थ हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : इस क्रम पर मैं केवल दो तीन बातों का ही उत्तर दना चाहता हूं । मैं स्वीकार करता हूं कि मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका को समझ नहीं सका कि इस स्थान में अनैतिकता या भ्रष्टाचार का राज्य होने जा रहा है और सारा मामला ऐसा अन्धकारमय होने जा रहा है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का होटलों के बारे में ऐसा कटु अनुभव क्यों है ।

श्री राघवाचारी : मुझे किसी होटल का अनुभव नहीं है । 'नाइट क्लब' शब्द ही पर्याप्त है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य को किसी 'नाइट क्लब' का कुछ अनुभव है । मैं आशा करता हूं कि उन्हें ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं है । जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि अच्छे होटल उस धारणा से एक सर्वथा भिन्न वस्तु है जिसे माननीय सदस्य ने अभी यहां व्यक्त किया है । उनमें अच्छे लोग रहते हैं । रहने का अच्छा प्रबन्ध होता है, अच्छा खाना मिलता है और अच्छे लोगों से सम्पर्क होता है और मैं नहीं समझता कि उसके बारे में कोई भी आशंका क्यों की जाय । वास्तव में यह तथ्य कि इस कार्य में सरकार का हाथ होगा, इस बात की यथेष्ठ सुरक्षा होगी कि एक अच्छा स्तर रखा जायगा और उचित वातावरण लाया जायगा । यह निश्चय ही सरकार का प्रयत्न होगा कि वह यह देखे कि लोग यहां अच्छे वातावरण में रखे जायं और खास तौर से विदेशी लोग जब लौट कर जायें तो ऐसी धारणा लेकर न जायें जिसकी आशंका माननीय सदस्य ने अभी-अभी व्यक्त की है । अस्तु ऐसी किसी भी आशंका से मुक्ति पाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी प्रकार का नियंत्रण रहे और वह नियंत्रण सरकार के हस्तक्षेप से ही हो सकता है जैसा कि मैं ने अभी सुझाव रखा ।

फिर यह भी कहा गया कि इस काम को पूर्णतः सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए और उसमें गैर सरकारी पूंजी नहीं लगनी चाहिये । वास्तव में सरकार की नीति हमेशा ही यह रही है कि जिन क्षेत्रों में ग़ैर-सरकारी पूंजी लगाई जा सकती हो और उससे नए कार्य किए जा सकते हों, विशेष कर उस प्रकार के जिनके सम्बन्ध में सरकार राज्य का स्वामित्व नहीं चाहती, तो उसमें गैर-सरकारी पूंजी को प्रोत्साहन देना चाहिए । चूंकि इस प्रकार के मामले में जिसमें सरकार न्यूनतम आवश्यकता से अधिक धन देना नहीं चाहती, सरकार ने केवल भारित कर प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया है ।

फिर, मैं उन दो विरोधी तर्कों का समन्यव भी नहीं कर सकता जो अभी रखे गए । एक ओर से आशंका प्रकट की गई है कि यह बहुत लाभकारी व्यापार होने जा रहा है और कहा गया है कि सरकार समस्त पूंजी स्वयं क्यों नहीं लगाती और पूरा लाभ स्वयं ही क्यों नहीं उठाती । दूसरी ओर यह आलोचना की गई है कि इस सम्पूर्ण कार्य में हानि ही होने जा रही है । मैं यह कहूंगा कि हमारा उद्देश्य इसको मुख्यतः लाभोत्पादक व्यापार बनाना नहीं है वरन् एक प्रकार का नियंत्रण करना है ताकि रहने वालों से उपयुक्त सीमा के अन्दर उचित दाम वसूल किये जा सकें और यह देखना है कि उसे मुख्यतः लाभोत्पादक व्यापार न बनाया जाय और मैं समझता हूं कि इस बात की सुरक्षा करना अनिवार्य है कि किसी स्तर का आराम तथा वातावरण प्रदान किया जाय जो कि अत्यन्त आवश्यक है ।

केवल एक बात और रह जाती है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है और वह उस आशंका के सम्बन्ध में है कि इस होटल के लिए कोई विशेष अधिपत्र बनाया जाने वाला है । ऐसी कोई बात नहीं होने जा रही है । उसका शासन

[सरदार स्वर्ण सिंह]

समवाय विधि के प्रावधानों द्वारा ही किया जायगा और उसी दृष्टि से सरकार २६ लाख रु० के हिस्से लेने का पूर्वावधान कर रही है ताकि नवीनतम संशोधनों के अनुसार तथा समवाय विधि के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी हिस्सेदार परस्पर गठजोड़ न कर लें और संघ की धाराओं का संशोधन कर सकें और इस तरह सरकार को नियंत्रण अधिकार से वंचित कर सकें जिसकी इस करार के अन्तर्गत सरकार के लिए सुरक्षा के हेतु प्रयत्न किया गया है । इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह मांग सभा द्वारा स्वीकृत की जाय ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने कटौती प्रस्ताव सं० २०, २१, २२ व २३ मतदान के लिये प्रस्तुत किये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अन्य पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में १००० रु० की अनुपूरक मांग संख्या १३८ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मांग के तथा ऐसी अन्य सांकेतिक मांग के सम्बन्ध में जो प्रस्तुत की गई हों मैं यही कहूंगा कि हमें यह परम्परा बना लेनी चाहिए कि आगामी बजट सत्र में व्यय का ब्योरा दिया जायगा ताकि सदन को ब्योरे पर चर्चा करने का अवसर मिले, सिद्धान्त पर नहीं क्योंकि सिद्धान्त तो सांकेतिक मांग पर स्वीकृत कर लिया जाता है । आगामी बजट सत्र में ब्योरे पर अवश्य चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सरकार उस समय तक समस्त सामग्री को सदन में प्रस्तुत करने के लिए इकट्ठा कर लेगी जहां तक इस सांकेतिक मांग का सम्बन्ध है, नीति स्वीकृत कर ली गई है और सांकेतिक पारित कर दी गई है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या हम नीति का प्रश्न आगामी बजट सत्र के समय नहीं उठा सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता । सम्भवतः माननीय सदस्य को यह ज्ञात नहीं है कि पहले इस प्रयोजन के लिए एक स्थायी वित्तीय समिति नियुक्त की जाती थी । यदि बजट सत्र के पश्चात तथा एक वित्तीय वर्ष के दौरान में कोई नई सेवा बिना संसद् के संमोदन के करनी होती थी तो यही समिति स्वीकृति देती थी । अब स्वयं सदन ने ही नीति स्वीकार कर ली है । इसी प्रयोजन के लिए एक प्रतीक मांग उसके समक्ष रखी गई है । जहां तक ब्योरे का सम्बन्ध है पहले उस पर चर्चा नहीं की जाती थी । अब मैं यह सुझाव रखूंगा कि आगामी बजट सत्र में ब्यौरा दिया जायगा ताकि सदन उन पर चर्चा कर सके । परन्तु अब सदन ने नीति स्वीकार कर ली है क्योंकि सांकेतिक मांग पास हो गई है ।

मांग सं० ६१—गृह मंत्रालय के अधीन

विविध विभाग तथा व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन सरकारी भाषा आयोग की नियुक्ति से सम्बन्धित मांग पर विचार करेगा जिसको पहले रोक दिया गया था । इस पर कटौती प्रस्ताव है उनमें से बहुत से अनियमित है स्वयं संविधान में ही यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक ५ वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग नियुक्त किया जायगा जो हिन्दी के प्रयोग की प्रगतिके सम्बन्ध में विचार करेगा, । जो मांग सदन के समक्ष रखी गई है वह इसी आयोग के लिए आवश्यक कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में है । हिन्दी की सामान्य नीति पर चर्चा करना तो इस अवस्था में उचित नहीं होगा क्योंकि वह कार्य तो उस समय हो जायगा जब आयोग के प्रतिवेदन पर दोनों सदनों की समिति विचार करेगी ।

अभी तो माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि इतना कर्मचारीवर्ग आवश्यक है कि नहीं।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : हम आयोग की नियुक्ति पर तो आपत्ति नहीं कर सकते किन्तु उसके प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में तो आपत्ति कर ही सकते हैं कि उसमें अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस समय का प्रयोग आयोग को निर्देश देने के लिये नहीं करना चाहिये कि वह ऐसा ऐसा करे। माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि इस आयोग को जल्दी नियुक्त किया जाना चाहिथा अथवा उसमें सब के हितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था आदि, आदि।

श्री कामत : व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ६ में पाद टिप्पण में जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है क्या उन सभी पर चर्चा की जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आयोग की नियुक्ति के ढंग, उनके कर्मचारीवर्ग, यात्राधिदेय, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि आदि पर चर्चा की जा सकती है।

इसके पश्चात् निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

प्रस्ताव संख्या	मांग संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की रकम
१४	६१	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	राजभाषा आयोग का कार्य	१०० रुपये
१५	६१	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	सहायता देने में अपनाये जाने वाले मानदण्ड तथा तरीके	१०० रुपये

श्री राघवाचारी : मैं बहुत संक्षेप में ही कहूंगा। मैं हिन्दी का विरोधी नहीं हूं, फिर भी यह कहूंगा कि प्रगति ऐसी द्रुतगति से न हो कि उससे कटुता उत्पन्न हो। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे उसके विरोध में आन्दोलन खड़ा हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह देखना आयोग का काम है। माननीय सदस्य आयोग को मंत्रणा देना चाहते हैं। आयोग माननीय सदस्य को भी आमंत्रित करेगा।

श्री राघवाचारी : मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन यह तो मैं आयोग की नियुक्ति में की गई देरी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद ३३४ के अनुसार आयोग को संविधान के लागू होने के पांच वर्ष बाद नियुक्त किया जाना चाहिए था। मैं जानता था कि उसमें देरी की जायगी और इसीलिए मैं राष्ट्रपति से मिला था। परन्तु फिर भी सरकार ने देर की इसलिए मैं कहूंगा कि यह वैधानिक उत्तरदायित्व की अवहेलना है।

श्री वल्लाथरास : मैं इसका विरोधी तो नहीं हूं कि हिन्दी को राजभाषा क्यों बनाया जाय। परन्तु मैं मद्रास राज्य के संबंध में कुछ विशेष तौर से कहूंगा जो एक

[श्री वल्लाथरास]

अहिन्दी भाषी क्षत्र है । आयोग की प्रश्नावली के उत्तर अभी हाल ही में मद्रास विश्वविद्यालय ने दिए हैं । मैं कहूंगा कि वह तामिल भाषी जनता की राय है । मैं तो यही चाहूंगा कि हिन्दी को यथाशीघ्र इसका श्रेष्ठ स्थान दिया जाय परन्तु साधारण जनता की राय पर अवश्य विचार करना होगा ।

आयोग की रचना के संबंध में तो मुझे बड़ी भारी आपत्ति है कि वह राष्ट्रपति का एकाधिकार है । मैं ने आयोग के २१ सदस्यों का भली भांति विश्लेषण किया है और यह पाया कि उत्तर के ११ राज्यों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है जबकि दक्षिण के २ ही राज्यों को स्थान दिया गया है । दूसरे दक्षिण के एक भी विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला जब कि उत्तर के पांच विश्वविद्यालयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । हिन्दी भाषी क्षेत्रों से १५ सदस्य लिये गये हैं जब कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से केवल ६ ही सदस्य लिए गए हैं । देश कउद्योगों, श्रम तथा कांग्रेस को छोड़कर राजनैतिक दलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है । दक्षिण की द्रविड़ काज़गम संस्था को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो कि हिन्दी की विरोधी नहीं है वरन् उसके अनिवार्य शिक्षा माध्यम बनाने की विरोधी है । कृषि के हितों को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और न भाषावार ही प्रतिनिधित्व दिया गया है । प्रतिनिधित्व वैज्ञानिक नहीं है । अस्तु आयोग की रचना सर्वथा अनुपयुक्त है ।

क्या उस आयोग में इन अहिन्दी भाषी क्षेत्रों का जो इस देश का लगभग तीन-चौथाई भाग हैं, भाग्य निर्णय करेगा, इन क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये ? क्या उन्हें प्रतिनिधियों द्वारा यह विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये कि किसी कठिनाई के बिना हिन्दी को देश भर में कैसे फैलाया जा सकता है ? मेरा निवेदन है कि आयोग में समस्त क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि आयोग में औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाता है, तो यह बहुत कुशलता से कार्य कर सकेगा ।

जहां तक नीति का सम्बन्ध है, मैं उसकी आलोचना नहीं करता बल्कि उसका स्वागत करता हूं । मैं यह मानता हूं कि सरकारी भाषा एक होनी चाहिये । फिर, मैं एक यह बात और कहना चाहता हूं कि दक्षिण में बड़ी आशंका फैली हुई है और उसका निवारण अवश्य होना चाहिये । श्री राजगोपालाचार्य ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अपने पत्र में कहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लोक परीक्षा के माध्यम के बारे में इस दृष्टि से दक्षिण के लोगों में बड़ी चिन्ता और संदेह है कि संविधान के उपबन्ध के अनुसार १९६५ के बाद संघ की सरकारी भाषा अंग्रेजी की बजाय हिन्दी होगी । यह ऐसी बात है जो १९६५ के बाद होगी । वास्तव में माननीय गृह-कार्य मंत्री की अन्तिम अधिघोषणा जो उन्होंने श्री सी० राजगोपालाचार्य के रूप से की है, इस बात की गारन्टी देती है कि इन परीक्षाओं में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों की अपेक्षा कोई हानि नहीं रहनी चाहिये ।

इस विषय पर मद्रास विश्वविद्यालय का जो मत है मैं उसे भी प्रस्तुत करना चाहता हूं । उसने कहा है कि प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार की प्रशासकीय सेवाओं में देश के उस भाग से थोड़े से व्यक्तियों को भरती करने की दृष्टि से पत्र में दिए गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए उस राज्य में शिक्षा की समूची

योजना में उथल-पुथल करने का कोई औचित्य नहीं है। विश्वविद्यालय ने एक बड़ी ही गम्भीर बात हमारे सामने रखी है। यदि मैं इस मामले पर माननीय गृहकार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की दृष्टि से ध्यान दूं, तो यह निश्चय ही परीक्षाओं में बैठने वाले व्यक्तियों पर हिन्दी का ठोंसना है।

मैं इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृहकार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के दिनांक ३ नवम्बर, १९४५ के परिपत्र संख्या २३/३४ ५४ ए० आई० एस० (१) का उल्लेख करना चाहता हूं। यदि यह परिपत्र सचमुच सरकार के विचार, उसकी नीति, नीति को कार्यान्वित करने सम्बन्धी उसके तरीकों को व्यक्त करता है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह संविधान के प्रतिकूल है। उस पत्र में कहा गया है कि राज भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी, परीक्षाओं का माध्यम केवल हिन्दी होना चाहिये, मौखिक परीक्षायें भी हिन्दी में होनी चाहियें, और भारत सरकार महसूस करती है कि यदि संविधान के अनुसार अंग्रेज़ी को हिन्दी से १५ वर्ष में बदलना है, तो अपरिवर्जनीय विलम्ब के बिना खुली घोषणा करना आवश्यक है। ऐसी भावना क्यों हो कि परीक्षायें केवल हिन्दी में हों।

श्री सी० डी० पांडे : ऐसा केवल १५ वर्ष बाद होगा।

श्री वल्लाथरास : वह केवल एक खंड में किया गया उपबन्ध है। मैं अन्य खंडों का भी उल्लेख करता हूं। सरकार पहले से ऐसा विचार कैसे कर सकती है कि दस वर्ष बाद स्थिति क्या होगी ? यह परिपत्र सरकार का मनोभाव प्रकट करता है। इस समय यह कहने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि तब क्या स्थिति होगी ? राष्ट्रपति को पांच वर्ष बाद दूसरे आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है। हम जानते हैं कि दक्षिण को उत्तर का अनुसरण करना है, परन्तु फिर आप आकर हमारे सिर पर सवार होकर यह क्यों कहते हैं कि जब तक आप हिन्दी में अपने उत्तर न दें, आपको सेवाओं में नहीं लिया जायेगा। श्री राजगोपालाचार्य, मद्रास सरकार के वर्तमान मंत्रियों और विश्वविद्यालय को इसके बारे में आशंकित होने का अवसर क्यों देते हैं। इस स्थिति पर सरकार को विचार करना है। पंडित नेहरू ने अपने हाल के भाषणों में कहा है कि यदि लोगों पर हिन्दी लादी गई तो निश्चय ही देश की एकता छिन्न भिन्न हो जायगी। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी कहा है कि आगे से हिन्दी केवल उत्तर वालों की नहीं अपितु सारे देश की भाषा होगी। ये भावनायें अच्छी हैं। परन्तु होता क्य है ? आप हमारे सिर पर बैठते हैं और कहते हैं "यदि आप हिन्दी में उत्तर नहीं देते तो आपको नहीं लिया जायेगा।" मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बल का लेशमात्र भी प्रयोग नहीं होना चाहिये। आयोग की प्रश्नावली का मद्रास विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया है और मैं चाहता हूं कि सरकार उसका अध्ययन करे। हिन्दी को फैलाने की एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिये ताकि यह काक प्राकृतिक ढंग से हो जाये और इसके लिये संविधान के लागू होने से ३० वर्ष की अवधि का होना आवश्यक है। संविधान में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। आप सेना में हिन्दी को तुरन्त शुरू कर दें, परन्तु रेलवे और डाक व तार विभाग की परीक्षाओं में आप प्रादेशिक भाषा में उत्तर देने की अनुमति दें। यदि मद्रास के तामिल को या किसी भी अहिन्दी भाषी व्यक्ति को लोक-सेवा परीक्षा में हिन्दी में उत्तर देने के लिये विवश किया जाता है, तो यह उन मनोवेगों को और उत्ते-

[श्री वल्लाथरास]

जित कर देगा जो पहिले से ही पर्याप्त मात्रा में फैले हुये हैं। राष्ट्रीय एकता के हित में हमें यह नहीं करना चाहिये।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : विचाराधीन मांग के दो भाग हैं : एक भाषा आयोग के बारे में और दूसरा उन लोगों को सहायता देने के बारे में है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। मैं पहिले दूसरा भाग लेता हूं। मैं माननीय मंत्री से केवल यह जानना चाहता हूं कि यह सहायता किस आधार पर दी जायेगी, क्या यह पक्षपात की भावना से दी जायेगी या क्या समस्त राजनीतिक दलों के लोगों को यह सहायता प्राप्त होगी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को, जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त करने में बहुत सहायता दी है, सहायता दी जायेगी या सत्तारूढ़ दल के सदस्य न होने के कारण उनके बारे में विचार नहीं किया जायेगा।

अब मैं भाषा के प्रश्न पर आता हूं। १९५१ की जनगणना के आधार पर १४ करोड़ लोग हिन्दी भाषी हैं और १८ करोड़ अहिन्दी भाषी। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है ? जहां तक मैं जानता हूं, मद्रास में एक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा है। यह संस्था पिछले ३८ वर्षों से कार्य कर रही है, परन्तु इस सभा को सहायता देने के सम्बन्ध में मुझे किसी सरकारी प्रयत्न का पता नहीं चलता। आप जानते हैं कि सभा प्रति वर्ष गैर सरकारी दान के रूप में दस या बारह लाख रुपये एकत्रित करती है और उसे व्यय करती है। केन्द्रीय सरकार ने, जो हिन्दी के प्रचार की इतनी इच्छुक है, उसकी कितनी सहायता की है ? शिक्षा मंत्रालय ने १९५५ में "हिन्दी के विकास तथा प्रचार का कार्यक्रम" नामक पुस्तिका निकाली है जो मेरे हाथ में है। इसमें यह सूचना है कि दक्षिण में या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये बहुत थोड़ी सहायता दी गई है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी भाषी क्षेत्रों और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों में कितना धन व्यय किया है और हिन्दी के विकास सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम की दृष्टि से, अब तक सरकार द्वारा अपनाई गई नीति कहां तक संगत है ? इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय ने अपना कार्य कहां तक उचित रूप से किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे विकास कार्यक्रम को किस रूप में ऐसी सहायता दी जायेगी। क्या दक्षिण भारत में हिन्दी फैलाने की दृष्टि से कोई प्रशिक्षण कालिज खोले गये थे ? क्या हिन्दी सीखने के लिये अध्यापकों को वृत्ति दी गई थी ? वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण में विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को उस रूप से फैलाने का अवसर नहीं लिया है जिस रूप में इसके विकास किये जाने की आशा की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अभी तक विकास कार्यक्रम की स्थिति असन्तोषजनक है और ऐसे कार्यक्रम के साथ दक्षिण पर हिन्दी लादना अप्रसन्नता की बात है।

हाल में आपने देखा होगा कि मद्रास विश्वविद्यालय की सिंडीकेट और शिक्षा परिषद् ने इस सम्बन्ध में एक कार्यक्रम बनाया है और उसमें इसका भी उल्लेख है कि अहिंदी भाषी क्षत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिये हिन्दी के ज्ञान को किस सीमा तक अनिवार्य बनाया जा सकता है। हमें देश में हिन्दी को सर्वत्र फैलाने का प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु जिस प्रकार दक्षिण

में इस विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है और जिस प्रकार उत्तर इसे दक्षिण में चलाता है, वैसा करने में कुछ सावधानी की आवश्यकता महसूस होती है। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि बड़ा विस्तार कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : मुझे से पूर्व जिन वक्ताओं ने जिन मुद्दों को स्पष्ट किया है उन पर मैं बोलना नहीं चाहता। हिंदी और सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में जो निर्णय किये गये हैं उनमें से कुछ पर भाषा आयोग के गठन पर तथा राजनीतिक पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता पर कुछ कहना चाहता हूं।

मुझे लगता है कि हिंदी के समर्थकों में हठधर्मी अत्यधिक हैं। सदन में भी हमें एक ऐसी भाषा सुननी पड़ती है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। हिंदी के लिये किये जा रहे आंदोलन में भावनात्मकता और मनोवैज्ञानिक भावनाओं को प्रचुरता लाई गई है जो कि पूर्णतः गलत है। इससे दक्षिण के संसद् सदस्यों और दक्षिण के लोगों के मन में अत्यधिक कटुता उत्पन्न हुई है। निस्संदेह हम हिंदी सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं किंतु दुर्भाग्य से हम तेजी से प्रगति नहीं कर सकते हैं। एक या दो वर्षों में किसी भाषा को सीखना असंभव है और फिर हमारे लिये हिंदी सीखना ही तो एकमात्र कार्य नहीं है।

यदि आप किसी की भाषा के इतिहास और उसके विकास को देखें तो आप देखेंगे कि किसी भी देश में भाषा का विकास सुविधा की भाषा होने के नाते हुआ है। उसे स्वयं अपना विकास करके जन साधारण की भाषा बनना चाहिये। उसे कुछ समर्थकों और हठधर्मियों की भाषा मात्र नहीं रहना चाहिये। सरकार को अपने तद् विषयक दृष्टिकोण और नीति में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिये। संविधान ने हिंदी के लिये जो १५ वर्ष की अवधि निर्धारित की है उस से भी मैं सहमत नहीं हूं। हमें ५० वर्ष चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चर्चा के क्षेत्र को ध्यान में रखें। हिंदी आयोग की स्थापना के बारे में अनुदान की जो मांग है उस पर हम विचार कर रहे हैं। हिंदी को भारतीय संघ की अधिकृत भाषा स्वीकार किया गया है।

डा० कृष्णस्वामी : अधिकृत भाषा।

उपाध्यक्ष महोदय : एक संविधिक आयोग की नियुक्त किया गया है। आप इस आयोग को स्थिति तथा क्या इतने धन की आवश्यकता है आदि बातों पर बोल सकते हैं। ये सभी बातें संबद्ध हैं। किंतु हिंदी अधिकृत भाषा हो या न हो इसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है। अवधि निर्धारित की जा चुकी है। अवधि की समाप्ति के पश्चात् दोनों सदनों की एक समिति आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करेगी। राष्ट्रपति उन बातों पर विचार करेंगे। यहां इन सब बातों की पहले से कल्पना करना ठीक नहीं है। अतएव माननीय सदस्य साधारण मुद्दों तक ही अपने आपको सीमित रखेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : मैं पहले से कोई पूर्व कल्पना नहीं कर रहा हूं। पाद टिप्पण में कहा गया है कि आयोग को उस अवधि को निर्धारित करने का अधिकार है जिस में हिंदी धीरे धीरे अंग्रेजी का स्थान ले लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो संविधान में उल्लिखित है ही। यदि आयोग को उन बातों की जांच करने का, जो संविधान में रखे गये प्रावधानों की सीमा के बहुत बाहर हों,

[उपाध्यक्ष महोदय]

अधिकार हो तो माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि निर्देश पद बहुत विस्तृत या संकुचित है अथवा स्थिति ठीक नहीं है। अब यह कहना कि हिंदी लादी जा रही है या लादी जानी चाहिये एक असंगत बात है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी । माननीय सदस्यों द्वारा इस बात की ओर पहले ही संकेत किया जा चुका है।....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि संकेत किया जा चुका है फिर उसके बारे में उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : आयोग का गठन इस प्रकार हुआ है कि उससे अहिंदी भाषियों को कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। उसके सदस्य हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं और इस कारण हम आयोग से किसी अच्छे प्रतिवेदन की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हिंदी लादी न जावे। उसे जनसाधारण की भाषा बनाया जाना चाहिये और जनता द्वारा उसे सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिये। किंतु जो कुछ हो रहा है वह कुछ और ही है। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी आयोग के सदस्यों में से अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं।

श्री सी० डी० पांडे : उनमें से आधे अहिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आधे से भी अधिक, २० में से १३ सदस्य अहिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हिंदी की प्रचार विषयक सरकारी नीति का समर्थन करने के लिये मैं तैयार हूं किंतु हिंदी के इस प्रकार लादे जाने और उसके प्रसार में ऐसा पागलपन किये जाने को मैं समझ नहीं सकता।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या "पागलपन" शब्द का प्रयोग संसदोचित है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य उन सदस्यों की भावनाओं को, जो हिन्दी में बोलते हैं, ठेस लगा रहे हैं। यह ठीक नहीं और विशेषकर जब कि हिन्दी अधिकृत भाषा है। यदि सदस्य हिन्दी में बोलते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है ? इसके विपरीत हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि जो सदस्य हिन्दी नहीं जानते हैं वे हिन्दी सीखें और यथासम्भव शीघ्र हिन्दी में बोलें। मेरे माननीय मित्र ने जो आपत्ति उठाई है वह असंगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं अब दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिये कहता हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हिन्दी के प्रश्न के अतिरिक्त मैं राजनीतिक पीड़ितों तथा अन्य पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में क्या मैं यह कह सकता हूं कि जिन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से राज्य की किसी प्रकार से सेवा की है उन्हें सहायता या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दिये जाने की बात में मैं विश्वास नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : और जिन्होंने अनिच्छा से सेवा की है वे सहायता नहीं चाहते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : राष्ट्र की सेवा स्वेच्छा से की जाती है और उन्हें अपने कार्यों के परिणामों की जानकारी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कई अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

निर्धारित अवधि बहुत जल्द समाप्त हो जायेगी और हमें साढ़े तीन बजे तक वाद-विवाद समाप्त कर देना है । माननीय सदस्य को दस मिनट से अधिक समय दिया जा चुका है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : केवल एक मिनट और श्रीमान्, और इसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । सम्भव है कि यह कोष सरकार द्वारा अपने ही व्यक्तियों की सहायतार्थ काम में लाया जाये । पहले भी कई बार इस प्रकार का पक्षपात हो चुका है । जो व्यक्ति अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं उन्हें सहायता नहीं दी जाती है और केवल कांग्रेस दल या सत्तारूढ़ दल के सदस्य ही सहायता प्राप्त करते रहे हैं ।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : केवल 'नहीं' कह कर आप तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते । सभी सहायता कांग्रेसजनों को दी जाती है । प्रत्येक राज्य में सहायता देने की ओट में यही किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी को सुनना नहीं चाहते इसलिये अन्य सदस्य भी उन्हें नहीं सुन रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं हिन्दी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं । हालांकि हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है तो भी मैं हिन्दी में ही अपने विचार आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूंगा ।

आज हम एक इंडिपेंडेंट नेशन हैं, तो मैं अपने भाई श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी से यह पूछना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट नेशन होने पर हमारी अपनी कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिये कि नहीं, खाली अंग्रेज़ों की हुकमत यहां से हटा कर तो हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं हो जाते । हम अगर इंडिपेंडेंट इंडियन नेशन होकर रहना चाहते हैं तो विश्व के और स्वाधीन देशों की भांति हमारी भी अपनी एक मातृभाषा होनी ही चाहिये और तब सवाल उठता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या हो....

श्री अलगू राय शास्त्री : अंग्रेज़ी ?

श्री आर० के० चौधरी : उसके बारे में तो हमने निर्णय कर लिया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी । मैं तो अपने उन भाइयों से जो आज हिन्दी का विरोध कर रहे हैं कहूंगा कि विरोध का अब समय नहीं रहा, विरोध तो आपको तब करना चाहिये था जब कांस्टीट्यूएण्ट असेम्बली में भाषा सम्बन्धी निर्णय किया जा रहा था, तब तो आप बोले नहीं और वहां पर एक मत से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया गया । इस तरह का निर्णय हो जाने के बाद मुझे उन भाइयों का विरोध करना उचित नहीं प्रतीत होता और मुझे तो यह देख कर बड़ी शर्म लगती है जब मैं देखता हूं कि दूसरे स्वाधीन राष्ट्र के प्रतिनिधि अपनी भाषा में बोलते हैं और हमने देखा कि मार्शल टीटो हालांकि थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानते हैं लेकिन उन्होंने अपनी भाषा में ही अपने विचार प्रकट किये ।....

एक माननीय सदस्य : नहीं वे अंग्रेज़ी में बोले थे ।

श्री आर० के० चौधरी : लेकिन यह शर्म की बात है कि हम से अभी तक विदेशी भाषा का मोह नहीं छूट रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि हम विदेशों में जाकर कौनसी भाषा बोलेंगे ? हिन्दी, हिन्दुस्तानी, तामिल, तेलगू अथवा किस भाषा में बातचीत करेंगे ? हमने जब हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा माना है और सारे देश के लिये माना है तब हर एक प्रान्त के निवासियों का कर्तव्य हो जाता

[श्री आर० के० चौधरी]

है कि हम उसको अपने प्रयोग में लायें और हिन्दी सीखने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करें। लेकिन यहां मैं एक कठिनाई की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो हम आसाम, बंगाल और दक्षिण भारत के लोगों को हिन्दी सीखने के बारे में मालूम पड़ रही है। मैं विद ड्यू रिस्पैक्ट (सादर) कहूंगा कि जब हम यहां पर अपने प्रधान मंत्री को हिन्दी में बोलने सुनते हैं तो उनको समझने में हमको परेशानी होती है और हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते इसी तरह जब पंत जी हिन्दी में बोलते हैं तो उनको समझने में बड़ी मुश्किल पड़ती है और इसका कारण यह है कि वे अपनी हिन्दी स्पीचों में उर्दू के अल्फ़ाज़ काफ़ी लाते हैं जब कि उन्हीं के प्रान्त के कुछ ऐसे सदस्य हैं जैसे पंडित बालकृष्ण शर्मा, लाल बहादुर शास्त्री आदि उनकी हिन्दी हम सरलता से समझ लेते हैं। इसलिये मैं अपने हिन्दी बोलने वाले भाइयों से आग्रह करूंगा कि वे लोग जरा अपनी भाषा में सरलता लायें और जहां तक हो सके अपनी हिन्दी में उर्दू के अल्फाज वे न लायें, उर्दू के अल्फाज जो हिन्दी के भाषणों में आ जाते हैं वे हमारी समझ में कम आते हैं।

इस के अतिरिक्त एक कठिनाई जो और हम हिन्दी सीखने में पड़ती है वह जेंडर सम्बन्धी कठिनाई है, जैसे कोई तो टेबुल को मैसकुलिन जेंडर कहते हैं और दूसरे उस को फैमिनिन जेंड़र मानते हैं, चन्द्रमा को कुछ मैसकुलिन जेंडर मानते हैं तो कुछ फैमिनिन जेंडर और इस लिंग भेद को ले कर हमें हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने में काफी परेशानी अनुभव होती है और इस नाते यह जो कमीशन बना है मैं उस का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह कमिशन इन सब बातों पर सोच विचार करके कोई एक रास्ता निकालें जिस रास्ते पर चल कर हम सब अहिन्दी भाषा भाषी लोग जल्दी से जल्दी हिन्दी सीख लें। मुझे श्री गु पादस्वामी और उन से पहले जो एक सज्जन और बोले उन के हिन्दी विरोध को सुन कर बड़ा खेद हुआ क्योंकि उन्होंने खाली हिन्दी का विरोध किया लेकिन यह नहीं बतलाया कि यह रास्ता पकड़ने से हम दक्षिण के लोग हिन्दी जल्दी और आसानी से सीख सकेंगे, उन्हें अपनी स्पीचों में ऐसा रास्ता सुझाना चाहिये था। अब कमीशन का यह काम हो जाता है कि वह एक रास्ता बतलाये जिस पर चल कर जितने भी देश के अहिन्दी भाषा भाषी लोग हैं वे बहुत जल्दी हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब हम सब भारतवासियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है और हमें यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि हमें हिन्दी का सारे देश भर में एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक, उत्तर-पश्चिम, पूर्व और दिक्षिण चारों दिशाओं में प्रचार करना है ताकि सब लोग हर जगह इस योग्य हो जायें कि वे अपनी बात हिन्दी में कह सकें और लिख पढ़ सकें और जब हम ऐसा कर लेंगे तब हम संसार के अन्य स्वाधीन राष्ट्रों के सामने गर्व से अपना मस्तक ऊंचा कर सकेंगे और कह सकेंगे कि हमारे स्वाधीन राष्ट्र की भाषा हिन्दी है जो विश्व की किसी भी भाषा से कम नहीं है बल्कि यह आदि और पुरातन भाषा संस्कृत से निकली है और यह आर्य भाषा है और यह सब से अच्छी है।

पंडित जी० बी० पन्त: मैं ने माननीय सदस्यों के भाषण को कुछ आकुलता से सुना है। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि माननीय सदस्य सभा के समक्ष वास्तविक प्रस्तावों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के बजाये निराधार भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे।

मैं यहां किसी भी माननीय सदस्य के ग्राहकत्व को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता।

यदि हिन्दी की योग्यता के प्रचार तथा अर्जन के मामले में कोई बाधा रह गई है, मैं उसे निकालना चाहता हूं । यह प्रतीत होता है कि अब भी यह शोर मचा जा रहा है कि लोगों पर हिन्दी थोपी जा रही है । यह मेरी समझ में नहीं आता । हिन्दी को सरकारी भाषा माना गया था—जैसा कि संविधान में कहा गया है कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी—और यह संविधान सभा के सदस्यों का एकमत निर्णय था, चाहे वे दक्षिण के थे या उत्तर के, पूर्व के थे या पश्चिम के ।

संविधान सभा में जब इस मामले पर विचार विमर्श हुआ था, तब मेरा भी उस से कुछ सम्बन्ध रहा । कई दिनों तक हम एक ऐसा हल ढूंढ़ने में लगे रहे जो सब को मान्य हो । कुछ ऐसे भी अवसर आये जब भावनाओं में उत्तेजना आई और लोगों में एक प्रकार की मतान्धता दिखाई देती थी और जिस के कुछ उदाहरण आज भी देखने में आये हैं । मतान्धता अनेक प्रकार की होती है: यह रचनात्मक और विनाशकारी दोनों प्रकार की होती है । अतः, कुछ ऐसे व्यक्ति थे परन्तु हम ने प्रत्येक के मत को समझने का प्रयत्न किया और अन्त में एक ऐसा हल निकाल सके जो प्रत्येक अहिन्दी भाषी व्यक्ति ने स्वीकार किया । यदि अब भी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई शिकायत है तो वह व्यक्ति अहिन्दी भाषी क्षेत्र का न हो कर हिन्दी भाषी क्षेत्र का है । अतः, हमें इसी प्रश्न पर विचार करना है । सर्वमत से यह स्वीकृत हो जाने पर कि हिन्दी संघ की सरकारी भाषा होगी और फिर दुबारा यह स्वीकृत हो जाने पर कि हिन्दी पन्द्रह वर्ष में इंगलिश भाषा का स्थान ले लेगी, और उन आदर्शों व सिद्धांतों को पुन्य देने पर, क्या हमें अपने वचन की पूर्ति के लिये और अपने समक्ष रखे उद्देश्यों के पालन के लिये कार्यवाही करनी चाहिये या नहीं ? मूल्य समस्या यह है । इस बारे में हम क्रुद्ध क्यों हों ? मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता । यदि हम अपने प्रति सच्चे हैं और यदि हमें उन सिद्धांतों में आस्था है जिन के प्रति हम कटिबद्ध हैं, जो यह हमारा नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन भारों को उठायें जो उन में उपलक्षित हैं । अतः, यह हिन्दुओं या हिन्दी भाषी लोगों को प्रभावित करने वाला मामला नहीं है । यह ऐसा मामला है जिस का सम्बन्ध भारत में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान से है । प्रत्येक नागरिक की संविधान के प्रति निष्ठा है और उसे देखना पड़ता है कि संविधान में जो निर्धारित है उस की पूर्ति होती है और पालन होता है ।

एक उपबन्ध के द्वारा, जिस से सरकार को आयोग की नियुक्ति के लिये पारित किया गया था, यह आयोग नियुक्त किया गया था । इस के बारे में कोई कपट प्रयोग और चाल नहीं है । यह एक स्पष्ट बात थी जो की गई । मुझे खेद है कि स आयोग के गठन पर आक्षेप किया गया है । जब मस्तिष्क परेशान होता है, जब पक्षपात की भावना किसी के निर्णय पर पूर्णतया छा जाती है, तो बातों को ठीक समझना या उन्हें ठीक रूप में देखना बहुत कठिन है । यदि आप सूची देखें तो आप को विदित होगा कि हमने संविधान की हिदायतों का पालन करने का यथासम्भव ठीक और सच्चा प्रयत्न किया है । वहां यह कहा गया है कि चौदह भाषाओं का, जिन्हें संविधान में प्रादेशिक भाषायें माना गया है, इस आयोग में प्रतिनिधित्व होगा । हमने उस हिदायत का पालान करने का प्रयत्न किया है और तदानुसार वहां प्रत्येक भाषा का एक प्रतिनिधित्व है । मैं समझता हूं कि प्रतिनिधियों का यह विभाजन करना कि कितने हिन्दी भाषी क्षेत्र के हैं और कितने अहिन्दी भाषी क्षेत्र के हैं

[पंडित जी० बी० पन्त]

आवश्यक नहीं है । परन्तु यह कहना गलत है कि हिन्दी बोलने वाले प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधियों की अपेक्षा बहुसंख्या में हैं, ऐसा नहीं है । वास्तव में, २० या २१ में उनकी संख्या ६ या ७ है । हमने देश के सर्वोत्तम व्यक्ति पाने का प्रयत्न किया और मैं श्री खेर का अनुगृहीत हूं जिन्होंने यह बहुत ही परेशान करने वाला, कठिन और कृतज्ञताहीन कार्य करना स्वीकार किया । मैं उन सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे निवेदन पर कार्य करना स्वीकार किया । श्रीमान्, उनमें एक आप भी हैं और इसलिये मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं ।

मेरे पास नाम हैं, और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य नामों को सूनें और देखें कि क्या और कोई उत्तम नामावली सोची जा सकती थी या किया जा सकता था । हमने आसामी का प्रतिनिधित्व करने के लिये गोहाटी विश्वविद्यालय के आसामी विभाग के अध्यक्ष, डा० ब्रिची कुमार बरुआ; बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिये पश्चिम बंगाल विधान परिषद्, कलकत्ता, के सभापति डा० एस० के० चटर्जी; गुजराती का प्रतिनिधित्व करने के लिये गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के श्री मगनभाई देसाई; कन्नड़ा का प्रतिनिधित्व करने के लिये करनाटक विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, श्री डी० सी० पवटे; काश्मीरी का प्रतिनिधित्व करने के लिये अमर सिंह कालिज, श्रीनगर के प्रो० पी० एन० पुष्य; मलयालम का प्रतिनिधित्व करने के लिये 'दीनबन्धु', एरणाकुलम, के सम्पादक, श्री एम० के० राजा; तामिल का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सभा, मद्रास के सदस्य, डा० पी० सुब्बायन; मराठी का प्रतिनिधित्व करने के लिये राष्ट्रभाषा भवन, पूना के श्री जी० पी० नेने; उड़िया का प्रतिनिधित्व करने के लिये उत्कल विश्वविद्यालय, कटक के प्रो० चांसलर, डा० पी० के० परीजा; पंजाबी का प्रतिनिधित्व करने के लिये पेप्सू के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सरदार तेजा सिंह; तैलगू का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सभा मद्रास के सदस्य, श्री एम० सत्यनारायण; संस्कृत का प्रतिनिधित्व करने के लिये संस्कृत विभाग, इलाहाबाद के अध्यक्ष, डा० बाबू राम सक्सेना; उरदू का प्रतिनिधित्व करने के लिये जामिया मिलिया, दिल्ली के डा० आबिद हुसैन; बिहारी का प्रतिनिधित्व करने के लिये और आयोग को उन कठिनाइयों से वस्तुतः अवगत कराने के लिये, जो परीक्षाओं के मामले में लोक सेवा आयोग को होती हैं, लोक सेवा आयोग के सभापति डा० अमरनाथ झा को रखा था । फिर, मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व के लिये, सागर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, यदि मैं यह कह सकूं, हिन्दी का प्रतिनिधित्व करन के लिये श्री बालकृष्ण शर्मा, संसत्सदस्य, दिल्ली; मौली चन्द्र शर्मा, दिल्ली; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष, डा० हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, जयपुर, राजस्थान के श्री जय नारायण व्यास और दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिये लोक सभा, दिल्ली के उपाध्यक्ष, श्री अनन्तशयनम अय्यंगार हैं । (अन्तर्बाधा)

मैं सभा के सदस्यों से सीधा प्रश्न करता हूं कि क्या इस आयोग के बारे में कोई अनुचित बात है ? आयोग से यह विशेष प्रार्थना की गई है कि वह सिफारिश करते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति, और लोक सेवा के सम्बन्ध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों की मांगों और हितों का उचित ध्यान रखे । इस पर ज़ोर दिया गया है । अब सारे प्रश्नों पर विचार करना

तथा उनकी जांच करना आयोग का काम है और मुझे खेद है कि इस आयोग के विरुद्ध जिसे इस प्रारम्भिक स्थिति में ही बहुत कठिन कार्य करना है, एक अनावश्यक पक्षपात का भाव उत्पन्न हो। यह न तो देशभक्ति ही दिखाई देती है और न उदार-हृदयता।

श्री वीरस्वामी (मयूरम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : आयोग के विरुद्ध पक्षपात की भावना इस कारण है कि आयोग अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी थोपने जा रहा है।

पंडित जी० बी० पन्त : कोई भी आयोग किसी भी व्यक्ति पर कोई बात नहीं ठोस सकता। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं बार बार कह चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति पर और अपेक्षित: कम उन पर, जो हिन्दी के अनिवार्य आकर्षण का भी विरोध करना चाहते हैं, हिन्दी लादने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे आशा है कि उनके विचार उस भाषा की सुन्दरता, स्थिति की आवश्यकता और राष्ट्रीय संस्कृति की मांग तथा देश के सम्मान से बदल जायेंगे। देश का स्वाभिमान भी यह मांग करता है कि एक ऐसी भाषा हो जो देश भर में बोली जा सके और जो भारत की भाषा कही जा सके। क्या हम अंग्रेजी को भारत की भाषा रख सकते हैं ? क्या यह सदैव रह सकती है ? हमें इस प्रश्न पर युक्तिपूर्ण, अनोत्तेजित मस्तिष्क से विचार करना चाहिये और तब इसका निश्चय करना चाहिये। यदि संविधान सभा यह निश्चित कर देती है कि यह भाषा तैलगू, तामिल या अंग्रेजी हो तो मुझे कोई आपत्ति न होती, और फिर हमारे लिये उस भाषा का इतना ज्ञान प्राप्त करना, कि हम कार्य कर सकें, और राष्ट्र भाषा का विकास करके देश के गौरव और स्तर में वृद्धि करना हमारे लिये ठीक होता। हम में से उन लोगों का जो आज उस स्थिति में हैं, देश के स्वाभिमान के प्रति यह कर्तव्य है कि यह देखें कि राष्ट्र भाषा का विकास हो। इसके साथ ही, हम सब को यह स्मरण रखना है कि हम प्रादेशिक भाषाओं का भी विकास चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिये भाषा के अति अधिक महत्व को, जिसे वे बोलते रहे हैं और जिन्होंने उस भाषा को बालकाल से प्रयोग किया है, महसूस करता हूं। हम उस भावना का आदर करते हैं। हमारे देश में, इसकी समस्त विभिन्नताओं के होते हुये भी, एक मूल एकता है। हम किसी भी प्रकार अपनी संस्कृति को अवनति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रत्येक प्रादेशिक भाषा का विकास हो और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और ऐसी सर्वाधिक सुन्दर संस्कृति के विकास के लिये जो किसी भी देश में पाई जा सके, अपार साहित्य है। अत: कहीं भी यह इच्छा नहीं है--यदि है तो मुझ खेद है--कि किसी भी भाषा का विकास रुके या किसी भी भाषा की किसी भी प्रकार अवनति हो। परन्तु प्रश्न यह है। यदि हम विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं का विकास करते हैं और उन्हें अपने प्रादेशिक प्रशासकीय तथा अन्य मामलों के लिये अपनाते हैं, तो उन बातों का क्या होगा जिनका सम्बन्ध समूचे राष्ट्र से है ? मान लीजिये कि आप मद्रास में तामिल, आन्ध्र में तेलगू, आदि, आदि रखते हैं। तब, यहां अपना काय अंग्रेजी में करना असम्भव हो जायेगा, क्योंकि प्रत्यक प्रदेश अपनी ही भाषा पर ध्यान देता रहेगा। यदि ऐसी स्थिति उचित मानी जाती है और यदि वह स्थिति आ जाती है, तो अखिल भारतीय प्रश्न कैसे हल होंगे ? इस प्रश्न पर विचार करना है। इससे कोई बचाव नहीं है। केवल हिन्दी ही अखिल भारतीय उद्देश्य प्राप्त कर सकती है और हमें, चाहें हम चाहें या न चाहें,

[पंडित जी० बी० पन्त]

वह करना है जो संविधान में निर्धारित किया है और हमारे लिये सत्यनिष्ठा के शब्दों में कहा है ।

श्रीमान्, परीक्षाओं का भी उल्लेख किया गया था । मैं पहिले भी कह चुका हूं और इस बात को फिर दुहरा रहा हूं ताकि इस सम्बन्ध में अब भी जो सन्देह हैं वे दूर हो जायें । जहां तक लोक परीक्षाओं का सम्बन्ध है, हम नहीं चाहते कि कोई भी अहिन्दी भाषी क्षेत्र में जन्म लेने के कारण और उन लोगों के साथ प्रतियोग्यता परीक्षा में बैठने के कारण जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में उत्पन्न हुये हैं, पक्षपात की भावना को जन्म दे या उसे हानि हो । परीक्षायें ऐसी होंगी कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हमारी सेवाओं में सम्मिलित हो सकें और कोई भी ऐसा व्यक्ति, यदि वह अयन्था ठीक है और हमारी सेवाओं में लिये जाने का पात्र है, हिन्दी न जानने के कारण न छोड़ा जाये । मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बाद कहीं भी कोई चिन्ता या सन्देह क्यों हो । कुछ समय पहिले मैं ने यहां एक वक्तव्य में कहा था । श्री वल्लाथरास ने राजा जी के उस पत्र का उल्लेख किया था, परन्तु वह यह नहीं कहते कि वह पत्र राजा जी ने निकाला था, जो मेरे उस पत्र की प्रति था जो मैं ने उन्हें, प्रेस को जो भी भ्रम हो वह दूर करने के लिये भेजा था । परन्तु मुझे खेद है श्री वल्लाथरास अब भी अपने पुराने विपरीत भावों पर जमे हैं ।

श्री वल्लाथरास : मेरा व्यक्तिगत कोई विपरीत भाव नहीं है ।

पंडित जी० बी० पन्त : उनका कोई विपरीत भाव नहीं, परन्तु वह एक ऐसे अथाह गढ़े में गिर गये हैं जहां उन्हें प्रकाश दिखाई नहीं दे सकता और जहां यह सम्भव नहीं है कि वह प्रकाश देख सकें, क्योंकि वह गढ़े में इतने नीचे डूब गये हैं कि वहां कोई प्रकाश नहीं पहुंच सकता । परन्तु वह बलवान और पुष्ट व्यक्ति हैं इसलिये मुझे आश्चर्य नहीं है । परन्तु जहां तक प्रेस को राजा जी के पत्र की भाषा का सम्बन्ध है, इसका उद्देश्य लोगों को यह पुनः आश्वासन देना था कि किसी भी दक्षिण भारत के निवासी को हिन्दी के मामले में सरकार जो नीति अपनायेगी उसके कारण कोई हानि होने का तनिक डर नहीं है ।

ऐसे अनेकों प्रश्न किये गये थे कि शिक्षा विभाग आदि द्वारा इस दिशा में क्या काम हो रहा है और अन्य क्या कर रहे हैं । मैं नहीं जानता कि ये प्रश्न विचारास्पद मामले से संगत हैं । माननीय सदस्य चारों ओर की बातें करते हैं, वे वास्तविक प्रश्नों तक ही अपने भाषण को सीमित नहीं रखते । यदि मैं उनका अनुसरण करूं तो मेरा ख्याल है कि अन्य कार्यों के लिये कोई समय न रहेगा । मेरा यह सादर निवेदन है कि मैं सच्चे हृदय से इस सभा के प्रत्येक सदस्य का और जहां हिन्दी नहीं बोली जाती वहां के प्रत्येक व्यक्ति का, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सहयोग चाहता हूं जो उन्होंने और हमने मिल कर सत्यनिष्ठा से अपने तथा अपनी सन्तति के पथ प्रदर्शन के लिये इस संविधान में निर्धारित किये थे । यदि हम यह इस भावना से करते हैं, तो मुझे आशा है कि हम आगामी १० या १५ वर्षों तक वह सब लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जो हम चाहते हैं । परन्तु, मैं उस भावना को भी स्वीकार करता हूं जो यहां व्यक्त की गई है । यदि हम हिन्दी का शीघ्रता से विकास चाहते हैं, तो हमें उन लोगों को अपना बनाना है जो आज हिन्दी नहीं जानते । उनके बन्धुत्व, मित्रता और

सहयोग के सिवाय और किसी भी प्रकार हम हिन्दी की प्रगति उससे अधिक तीव्र नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। हम उन से एक राष्ट्र भाषा बनाने की प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रीय इन अर्थों में कि इस देश के सारे लोग उसे बोलेंगे तथा हमारे राजदूत उस भाषा में विदेशों मे अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे नागरिक अन्य देशों में अपने परिचय पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत करते हैं, यह हमारे गौरव के अनुकूल नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मुझे बताया गया है कि कुछ समय पहिले अफगानिस्तान के बादशाह यहां थे। एक भोज हुआ और उसमें भाषण दिये गये। भारत के प्रतिनिधि ने कदाचित अंग्रेजी में भाषण दिया। तब उन्होंने कहा था, मुझे आश्चर्य है कि आप विदेशी भाषा में बोलते हैं, आपकी स्वतन्त्रता का क्या अर्थ है? यही बात है जिस पर, मैं चाहता हूं, आप विचार करें। अन्य बहुत से व्यक्तियों ने भी हम से यही प्रश्न किया है। अतः, इन परिस्थितियों में, इस प्रश्न पर हमें हिन्दी के प्रति मित्रतापूर्ण भाव से और अपने देश की एकता को महसूस करते हुये विचार करना चाहिये। दाकियानुसी विचार और अन्य संकुचित भावनाएं, जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, हमारे देश की या हमारे राष्ट्र की एकता की पुष्टि नहीं करेंगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिये स्थान बनाने के लिये, अपनी मिली जुली संस्कृति को बनाये रखने के लिये, इसके प्रत्येक अंग को समृद्ध बनाने के लिये और यह देखने के लिये हम सब को आपस में मिलना है कि जो फल प्राप्त होता है वह उन महान् प्रथाओं और उनसे भी अधिक ऊँचे स्थान का सुपात्र है, जो सौभाग्य से हमारे देश को आज की अन्तर्राष्ट्रीय दुनिया में प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ८, ११, १४, ९, १० १२, १३, १५, १६, २५, ३२ तथा ३३ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुये :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय के विविध अन्तर्गत विभाग तथा व्यय के सम्बन्ध में ९,९२,००० रुपये की अनुपूरक मांग संख्या ६१ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

राजस्व तथा रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की संचित निधि में से, १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु, कुछ अग्रेतर धनराशि के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये :

उपाध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है।

"१९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु भारत की संचित निधि में से, कुछ अग्रेतर धनराशि के भुगतान तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

श्री ए० सी० गुह : मैं विधेयक को *पुरःस्थापित करता हूँ तथा *प्रस्ताव करता हूं:--

"कि १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु, भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर धनराशियों के भुगतान तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित हुआ तथा प्रस्तुत हुआ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

व्यय हेतु भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर धन राशियों के भुगतान तथा विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस मामले में बड़ी ही विचित्र स्थिति है भारत की संचित निधि से धन का व्यय पहले ही किया जा चुका है परन्तु विनियोग अब हो रहा है। हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यह विनियोग विधेयक एक वैध विधेयक नहीं है यह तो केवल सभा को सूचना मात्र है कि यह व्यय आवश्यक है। अनुपूरक मांगों को व्यय करने से पहले सरकार को सभा के सामने सारा मामला चर्चा के लिये प्रस्तुत करना चाहिये तथा उस पर सभा में पूरी पूरी चर्चा होनी चाहिये। परन्तु इस मामले में धन व्यय करके हमसे स्वीकृति मांगी जा रही है। इस लिये इसे विनियोग विधेयक नाम देना उचित नहीं है। सरकार का मैं इस ओर ध्यान कर देना चाहता हूँ कि वह सभा को इस प्रकार धोखा न दे क्योंकि यह सहन नहीं किया जा सकता है।

श्री एन० बी० चौधरी : श्री गुरुपादस्वामी ने अपने भाषण के अन्त में इस नई मद का उल्लेख किया था। माननीय गृह मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये था। राजनैतिक पैन्शनों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें ६ अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी गई थी कि ५,६०१ लोगों को २७,५६,५३१ रुपये की पैन्शनें दी जा रही हैं। ये पैन्शनें उन लोगों को दी जा रही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार की सहायता की थी। उस समय इस बात का एक मत होकर समर्थन किया गया था कि देश द्रोहियों की ये पैन्शनें तुरन्त बन्द कर देनी चाहियें और उन लोगों को सहायता देनी चाहिये जिन्होंने स्वतन्त्रता के हेतु बलिदान किया था। सरकार उन लोगों की कुछ सहायता का उपबन्ध कर रही है परन्तु उस में भी उसका पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। सामान्यतः कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को यह राशि दी जा रही है। निस्सन्देह ये पैन्शनें राजनैतिक पीड़ितों को मिलनी चाहिये परन्तु उसमें दल सम्बन्धी भेद भाव नहीं होना चाहिये :

अब जब कि आगामी सामान्य चुनाव समीप आ रहे हैं तो हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या सरकार इस राशि का उपयोग दल सम्बन्धी आन्दोलन इत्यादि के लिये तो नहीं करेगी।

दूसरे जो राशि देश द्रोहियों को दी जा रही है वह तुरन्त बन्द की जा रही है अथवा नहीं। मैं ने सुना है कि कामागाटा मारू मामले से सम्बन्धित और अन्य बहुत से पीड़ितों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा।

श्री ए० सी० गुह : श्री त्रिवेदी की आपत्ति के बारे में कहते हुये मेरी समझ में नहीं आता कि वह यह आरोप कैसे लगा सकते हैं कि सरकार पहिले ही व्यय कर चुकी है और पिछले व्यय की स्वीकृति के लिये सभा में अब इस विनियोजना विधेयक को प्रस्तुत कर रही है :

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मुझे खेद है। यह मांग संख्या २२, मांग संख्या....पर आपके नोट में है।

श्री ए० सी० गुह : ठहरिये! मैं आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे सामान्यतः पहिले माननीय मंत्री को उत्तर पूरा करने दें और फिर यदि कोई उत्तर

से सन्तुष्ट न हों तो मैं उन्हें प्रश्न करने का अवसर दूंगा ।

श्री ए० सी० गुह : संविधान के कुछ उपबन्ध सरकार को आकस्मिकता निधि से कुछ धन व्यय करने का अधिकार देते हैं और हो सकता है कि उस निधि से कुछ धन व्यय किया गया हो, और संविधान के उपबन्ध के अनुसार है । परन्तु समूचे रूप में किसी भी अनुदान की सीमा को उलांघा नहीं गया है । नई सेवाओं के बारे में दी जाने वाली अग्रिम राशि या इसी प्रकार की किसी बात के लिए या तो आकस्मिकता निधि का प्रयोग कर रहे हैं, और या हम और धन की स्वीकृति के लिए सभा में आते हैं । यह बात नहीं है कि हमने संविधान में निर्धारित उपबन्धों को किसी भी प्रकार नहीं उलांघा है । अतः, मैं कह सकता हूं कि इस आरोप में, कि सरकार ने यह राशि व्यय कर दी है और फिर स्वीकृति के दिखाने के लिए सभा में आई, कोई आधार नहीं है । हम संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहे हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी ने अंग्रेजी सरकार द्वारा दिये गये राजनीतिक निवृत्ति वेतनों का प्रश्न उठाया था । यह उससे भिन्न है । मैं नहीं समझता कि वह किसी भी प्रकार इस मामले से संगत है और फिर उन्होंने एक बात और कही है । उन्होंने कहा था कि सरकार इस निधि का प्रयोग आगामी निर्वाचनों के लिए कुछ लोग रखने में कर सकती हैं । मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस निधि से किसी व्यक्ति को नियुक्त किए बिना ही कांग्रेस दल निश्चय ही आगामी निर्वाचन अवश्य जीत लेगा । उसके लिए कांग्रेस को कोई चिन्ता नहीं है और सरकार या कांग्रेस को निर्वाचन जीतने में सहायता देने के लिए उसको इन तीन लाख रुपयों की आवश्यकता न होगी । इन मामलों में उन्हें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए ।

फिर, उन्होंने और अन्य सदस्यों ने इस कथित अनुदान पर चर्चा के बीच यह भी कहा है कि राजनीतिक निवृत्ति वेतन लगभग कांग्रेसियों को ही दिया गया है । मेरा ख्याल है कि यह सर्वथा सच नहीं है । परन्तु फिर भी मैं यह कहूंगा कि सरकार या प्राधिकार इस बात का निर्णय करेगा कि किस की सेवायें राष्ट्रीय प्रयास में सहायक रही हैं । सम्भव है कि पिछले युद्धकाल में कुछ लोग सरकार की सहायता करते रहे हों, और उसके लिए भी हो सकता है कि उन्हें क्षति उठानी पड़ी हो । परन्तु उस प्रयास को या उस प्रकार की क्षति को निश्चय ही किसी भी प्रकार राष्ट्रीय प्रयास में सहायक नहीं मान सकते क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने निश्चित रूप से यह निर्धारित कर दिया था: "साम्राज्यवादी युद्ध के लिए एक भी पाई नहीं, एक भी व्यक्ति न दिया जाय" । यदि किसी ने सरकार की सहायता की है या उसके लिए किसी भी रूप में क्षति उठाई है, तो निश्चय ही इस पार्टी को पूर्ण अधिकार है कि यह विचार करे कि वे क्षतियां इस अनुदान के अधीन न आयें । परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यह सर्वथा ठीक नहीं है कि यह निवृत्ति वेतन उन——जहां कहीं यह व्यवस्था है——राज्य सरकारों द्वारा केवल कांग्रेसियों को दिया जा रहा है । मैं कांग्रेस के विरुद्ध कार्य करने वाले अनेकों व्यक्तियों को जानता हूं, और उन्हें भी यह निवृत्ति वेतन प्राप्त हो रहा है ।

मैं नहीं समझता कि और कोई बात शेष रह गई है जिसका मैं उत्तर दूं । मुझे आशा है कि अब यह विधेयक पारित कर दिया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु भारत की संचित निधि में से कतिपय अग्रेतर धनराशियों के भुगतान तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं सारे खण्डों को एक साथ लूंगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह पूर्णतः एक वैधानिक बात है । अनुच्छेद ११४ में धन सम्बन्धी विधेयकों के बारे में यह उपबन्ध किया गया है कि अनुच्छेद ११५ और ११६ के उपबन्धों के अधीन इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अन्तर्गत निकाले जाने के अवाला कोई भी धनराशि भारत की संचित निधि से नहीं निकाली जा सकती है ।

श्री ए० सी० गुह : संसद् ने आकस्मिकता निधि की स्वीकृति भी दे दी है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जानता हूं कि इस मामले में आकस्मिकता निधि से रुपया ले लिया गया है । साधारणतः होता यह है कि विनियोग विधेयक की सारी बातें आयव्ययक में रख दी जाती हैं । आयव्ययक पर जब चर्चा समाप्त हो जाती है और अनुदानों की मांगें पारित हो जाती हैं तब विनियोजन विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

अनुच्छेद ११५ में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि आप स्वीकृत धनराशि से अधिक खर्चा करना चाहते हैं तो आपको पुनः उस धनराशि के लिये सभा से अनुमति लेनी होगी । यहां पर धन पहले ही खर्च किया जा चुका है और बाद को अब उसकी मांग की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आकस्मिकता-निधि किस काम के लिये है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आकस्मिकता-निधि आकस्मिकताओं के लिये है और यह कोई आकस्मिकता नहीं है । १९५४ में ही आपको पता था कि आयोग की नियुक्ति होनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य के कहने का यह तात्पर्य है कि जिन खर्चों के बारे में आयव्ययक के प्रस्तुत करने से पूर्व ही सोचा जा सकता है, उनको आयव्ययक में अवश्य रखा जाये ताकि माननीय सदस्यों को उन पर चर्चा करने का पूरा अवसर मिल सके और संचित निधि से तभी कोई राशि ली जाये जब कि कोई ऐसा काम आकर पड़ जाये जिसके बारे में पहले से नहीं सोचा जा सकता था ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं यह चाहता हूं कि सरकार अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत टिप्पणों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया करे कि जो धन खर्च किया गया है वह कहां से प्राप्त किया गया है और ऐसा करने में कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिय गये ।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं –

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

परक्राम्य सलेख (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परक्राम्य संलेख अधिनियम १८८१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले

विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

यह विधेयक बहुत छोटा है और इस में केवल २ खंड हैं । मैं यह कह सकता हूं कि यह विधेयक अविवादग्रस्त तथा अत्यन्त सरल भी है ।

खण्ड २ का सम्बन्ध डाक बचत बैंकों से है और उस में डाक बचत बैंकों में चैक प्रणाली के प्रारम्भ किये जाने का उपबन्ध किया गया है । खण्ड ३ छुट्टियों की घोषणा के सम्बन्ध में है । मैं इस प्रश्न को बाद में लूंगा ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

इस विधेयक का उद्भव ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति के प्रतिवेदन से हुआ है । उस समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है ।

"हम ने प्रथम अध्याय में डाक बचत बैंकों की विशेषताओं का उल्लेख किया है और यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत एकत्रित करने के लिये वे विशिष्ट रूप से उपयुक्त हैं । अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बचत बैंकों का काम करने वाले डाकघरों की संख्या बढ़ा दी जाय । और निम्नलिखित प्रयत्न किये जायं ।"

उन्होंने बहुत सी बातों का सुझाव दिया है । समिति के इस प्रतिवेदन पर सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति के बारे में विचार करने के लिये दो पदाधिकारियों की एक विभागीय समिति नियुक्त की । उस विभागीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर डाक बचत बैंकों में चैक प्रणाली चलाने की विचार किया गया है ।

माननीय सदस्य यह जान कर इस में बड़ी रुचि लेंगे कि हमारे देश में डाक बचत बैंक का काम कितना विकास पर है । इस समय लगभग १२,००० डाकघरों में बचत बैंक का लेखा है और लगभग ५० लाख लेखों में कुल लगभग २५० करोड़ रुपये जमा है । राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम में यह प्रायः अधिकतम राशि है । मेरे विचार में दूसरी सब से बड़ी राशि १२ साल वाले राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों से आई है जिस के द्वारा लगभग २१९ करोड़ रुपये जमा हुए हैं । फिर भी यह राशि डाक बचत बैंकों के लेखों से बहुत कम है ।

मैं नहीं समझता कि इस छोटी बचत योजना के सम्बन्ध में अधिक बताना आवश्यक है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध म हमारा अन्तिम लक्ष्य २२५ करोड़ रुपये का है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम आशा है कि यह अन्तिम लक्ष्य ३५० करोड़ रुपये से कम नहीं होगा । वस्तुतः हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम लक्ष्य को पार कर गये हैं और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में भी हम आशा करते हैं कि हम अन्तिम लक्ष्य से आगे बढ़ जायेंगे । अतः डाक बचत योजना को अधिक लोकप्रिय तथा सरल बनाना बहुत जरूरी है ।

इसी इरादे से हम डाक बचत लेखों में चेक प्रणाली चलाना चाहते हैं । किन्तु इस समय यह प्रणाली प्रयोगात्मक आधार पर ही चलाई जायेगी और यह केवल बम्बई शहर तक ही सीमित रखी जायेगी । किन्तु मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जल्दी से सम्भवतः एक साल के अन्दर यह दूसरे स्थानों में भी चलाई जाये । इस के पश्चात् सरकार इस प्रणाली को अन्य क्षेत्रों में अर्थात् अन्य शहरों म भी चालू कर सकेगी और धीरे धीरे हम इस को ग्रामीण क्षेत्रों म चलाने की भी कोशिश करगे । इस सम्बन्ध में कुछ प्रशासनीय कठिनाइयां हैं । शायद माननीय सदस्यों को

[श्री ए० सी० गुह]

यह पता होगा कि ग्रामीण डाकघर उन लोगों के प्रभार में हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जिस से वह इस चेक प्रणाली को आसानी से चला सकें। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रणाली को चलाने के लिये कुछ समय लगेगा। किन्तु कम से कम यह प्रणाली अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में यथाशीघ्र अवश्य चालू की जा सकती है। हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे।

खण्ड ३ का सम्बन्ध छुट्टियां तय करने से है। वर्तमान अधिनियम में गुड फ्राइडे नव वर्ष के प्रथम दिवस और बड़े दिन को निश्चित रूप से छुट्टी होगी, किन्तु यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि बाद की दोनों छुट्टियां रविवार के दिन पड़ती हैं तो आने वाले सोमवार को छुट्टी होगी। हम अब इस उपबन्ध को हटा रहे हैं। हम इन छुट्टियों को भी दिवाली, होली, मोहर्रम इत्यादि की छुट्टियों की श्रेणी में रख रहे हैं।

हम नहीं चाहते कि उन छुट्टियों को अन्य छुट्टियों से भिन्न विशेष श्रेणी में रखा जाये। किन्तु मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का इन छुट्टियों के खत्म करने का कोई भी इरादा नहीं है। उन की छुट्टी भी अन्य महत्वपूर्ण छुट्टियों की तरह होगी। किन्तु हम परक्राम्य संलेख अधिनियम में नववर्ष के प्रथम दिवस तथा बड़े दिन की छुट्टियों के लिये जो विशेष वर्गीकरण किया गया है, उसे और इस उपबन्ध को कि यदि छुट्टियां रविवार को पड़ती हैं तो उस के बदले में अगले सोमवार की छुट्टियां होगीं, हटाना चाहते हैं। हमें अनेक राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अगले सोमवार की छुट्टी रखने जैसी कोई बात नहीं रहनी चाहिये।

अतः मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक नियत समय के अन्दर ही पारित कर दिया जायेगा इस विधयक को प्रस्तुत करते समय मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्य डाक बचत लेखे के बारे में जो और बातें बतायेंगे मैं उन का जवाब देने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एस० एन० दास : (दरभंगा मध्य) : राज्य सभा द्वारा पारित रूप में वर्तमान विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत है बहुत पहले १९५० में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि डाक बचत बैंक के व्यवहारों में चैक प्रणाली चालू कर दी जाये। मेरे विचार में ग्रामीण मामलों के सम्बन्ध में सरकार अधिक चिन्तित नहीं दिखाई देती। हम दूर से बैठे बैठे ग्रामीण जनता की दशा का अनुमान नहीं लगा सकते। यद्यपि हम में से अधिकतर लोग ग्रामीण जनता द्वारा ही चुने गये हैं, किन्तु फिर भी हम अभी तक उन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाये हैं। यह सन्तोष की बात है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घरों का एक जाल सा फला दिया है। किन्तु मैं देखता हूं कि वहां पर डाक सेवाओं का ठीक प्रबन्ध नहीं है। सारा ध्यान नगरीय क्षेत्रों की ओर ही दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस विधान के द्वारा जो सुविधा वे आज एक छोटे से क्षेत्र को देने जा रहे हैं उसे जल्दी ही वे ग्रामीण क्षेत्रों को भी देने की कोशिश करें क्योंकि उस के बिना ग्रामीण जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है। शहरों में तो यह सुविधाय बैंकों से ही मिल जाती हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में केवल यह डाक बचत बैंक ही हैं जिन में से सप्ताह में केवल एक बार ही रुपया निकाला जा सकता है, जिस के

कारण लोगों को बड़ी असुविधा होती है और वे इन बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करना चाहते।

परक्राम्य संलेख अधिनियम में नव वर्ष दिवस तथा बड़े दिन आदि की छुट्टियों के बारे में जो विशेष उपबन्ध किया गया है वह अंग्रेजी काल की बातें हैं। अब इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है और इन छुट्टियों को भी अन्य छुट्टियों के समान ही कर देना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री से एक निवेदन और करना चाहता हूं । इस समय डाकघरों के खोलने के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि किसी व्यक्ति को डाक घर तक जाने के लिये तीन मील से अधिक यात्रा न करनी पड़े । इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि डाक बचत बैंकों के सम्बन्ध में भी एक ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिये जिस से किसी को पांच मील से अधिक न जाना पड़े । ऐसा करने से ही यह चैक प्रणाली जनता के लिये सामान्य रूप से लाभदायक सिद्ध होगी ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एल० सक्सेना : (जिला गोरखपुर--उत्तर) : इस विधेयक के पुरः-स्थापित किये जाने पर मुझे हर्ष है। किन्तु मैं सरकार का ध्यान इन डाक बचत बैंकों से सम्बन्धित कुछ कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे राज्य में गन्ना उत्पादकों को अनिवार्य रूप से अपने गन्ने की कीमत का कुछ भाग इन डाक बचत बैंकों में जमा करना पड़ता था। इस प्रकार से पैसा जमा करने वाले लाखों व्यक्ति थे, किन्तु उन को पहिचानने वाला कोई नहीं था, जिस से पैसा वापिस लेते समय उन को बड़ी कठिनाई हुई । अतः मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ढंग निकालना चाहिये जिस से रुपया निकालने में कोई परेशानी न हो ।

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि चैक हिन्दी में और प्रादेशिक भाषाओं में हों ताकि ग्रामीण जनता को कोई कठिनाई न हो ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर अतिरिक्त-विभागीय अभिकर्ताओं द्वारा चलाये जाते हैं । ये व्यक्ति अंशकालिक कर्मचारी होते हैं। वे डाक घरों को दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम को खोलते हैं । सामान्यतः वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं । हम चाहते हैं कि इन डाकघरों को उप डाक घरों में परिवर्तित कर दिया जाये और उन में पढ़े लिखे क्लर्क रखे जायें, जो कि चैक प्रणाली को चला सकें ।

यदि हम चाहते हैं कि यह बैंक लोकप्रिय बनें, तो ऐसा करना आवश्यक है । इतना कह कर, मैं इस विधान का समर्थन करता हूं ।

श्री एम० वी० चौधरी (घाटल) : इस विधान का समर्थन करने से पूर्व मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

डाक घर से पैसा निकालने के सम्बन्ध में जो सुविधायें दी जा रही हैं, उन से वस्तुतः बड़ी सहायता मिलेगी । इस चैक प्रणाली के चलाने से वे लोग, जो कि अपना पैसा बैंकों में जमा करना चाहते हैं बड़ी आसानी से अपना पैसा डाकघरों में जमा कर सकेंगे, क्योंकि बैंकों के सम्बन्ध में युद्ध काल में लोगों को अनेक कटु अनुभव हो चुके हैं ।

जैसा कि श्री एस० एन० दास ने सुझाव दिया था, शनैः शनैः ग्रामीण क्षेत्रों को भी यह सुविधायें प्रदान करनी चाहियें । किन्तु इस सम्बन्ध में मैं सरकार को सचेत करता हूं कि वह इस काम को अस्तव्यस्त रूप में न करे अन्यथा नुकसान की काफी सम्भावना है।

श्री टी० वी० विट्ठल राव (खम्मम्) : मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है। वर्तमान समय में डाक घर बचत

[श्री टी० बी० विट्ठल राव]

बैंकों का काम डाक कर्मचारी करते हैं । जो लेन देन होता है उन के बदले में वित्त मंत्रालय एक निश्चित दर पर डाक घर को धन देता है । यह राशि १९५१ में निश्चित की गयी थी । तब से इस विभाग के खर्चे बढ़ गये हैं । अतः लेन देन की दर बदलना आवश्यक है, ताकि डाक कर्मचारियों को इस से नुकसान न हो । जब कभी डाक कर्मचारी वेतन बढ़ाने को कहते हैं तो उन से कहा जाता है कि अभी इस विभाग में घाटा है, किन्तु वस्तुतः रहस्य यह है । अतः लेन देन उसी दर पर होने चाहियें जिस से विभाग का खर्चा पूरा हो जाये ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : इस विधेयक के लिये एक घंटा दिया गया है ।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य को कोई नई बात कहनी है तो मैं अवश्य उनको बोलने की आज्ञा दूंगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं इस बिल का स्वागत करते हुए दो एक बातें कहना चाहता हूं । हम लोगों को जो देहातों में कठिनाई मालूम होती है उस की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

यह जो बिल पेश हुआ है उस में कहा गया है कि पोस्ट आफिसेज में चैक का सिस्टम बम्बई में लागू किया जायेगा । मैं नहीं समझा कि इस को बम्बई में लागू करने से क्या लाभ। मेरी समझ में नहीं आता कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में इस सिस्टम को लागू करने से क्या फायदा होगा क्योंकि यहां तो बहुत से बैंक मौजूद हैं, इम्पीरियल बैंक है और भी अच्छे से अच्छे बैंक हैं । यहां पर इस फैसिलिटी को देने से क्या लाभ हो सकता है ? यह सुविधा तो वहां देनी चाहिये कि जहां इस के अभाव में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । तो मैं आनरेबिल मिनिस्टर से कहूंगा कि वे इस एक्सपैरीमेंट को बम्बई में न करें क्योंकि इस से वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा । जैसे समुद्र में पानी बरसने से कोई फायदा नहीं होता वैसे ही बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में इस सिस्टम को लागू करने से वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा । अगर आप इस सिस्टम को लोगों के फायदे के लिये लागू करना चाहते हैं तो आप इस को देहातों में ऐसे स्थानों पर लागू करें जहां कि बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं हैं । हम ने देखा है कि देहात में जहां बहुत से रुपये का व्यवहार बड़ी बड़ी मंडियों में होता है, वहां लोगों को रुपया जमा करने और निकालने के लिये आदमियों को शहरों में भेजना पड़ता है । यदि आप ऐसी जगहों में इस सिस्टम को लागू करते तो वहां के लोगों को इस से बहुत फायदा होता, और जो इस का असल मंशा वह भी सिद्ध हो सकता । मेरे प्रान्त में कुछ बड़ी-बड़ी मंडियां हैं जैसे महाराजगंज और दिघवारा जहां हर रोज बीसों और पचीसों हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन होता है और वहां पर लोगों को यह शंका रहती है कि अगर घर में रुपया रखेंगे तो चोर और डाकू उसको ले जायेंगे । कभी कभी वहां डकैतियां पड़ भी जाती हैं । यदि वहां आप यह सुविधा रखें और हफ्ते में दो बार रुपये निकालने का नियम रखें तो वहां के लोग अपना रुपया जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं और इससे उनको बहुत फायदा हो सकता है । तो मंत्री महोदय इस प्रश्न के इस पहलू पर विचार करें और यद्यपि यह तरमीम नहीं दी गयी है, पर इस को मान

लें कि इस ऐक्सपैरीमेंट को बम्बई के बदले देहातों में शुरू करें । यदि इस मामले में अमेंडमेंट देने की ज़रूरत नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि इस सिस्टम को ऐसी जगहों पर देहातों में लागू करें जहां कि बड़ी-बड़ी मंडियां हैं ।

दूसरी बात मुझे छुट्टी के बारे में कहनी है । इस बारे में हमारे भाई श्री नारायण दास जी ने जो कुछ कहा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसका ख्याल आनरेबिल मिनिस्टर रखेंगे ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आज़मगढ़ पूर्व––व जिला बलिया––पश्चिम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं इस दृष्टि से कि इससे जो पोस्ट आफ़िसेज सेविंग्ज बैंक का काम कर रहे हैं उनमें रुपया रखने और निकालने की वही सुविधायें मिल जायेंगी जो कि लोगों को बैंकों से मिलती हैं । छोटी-छोटी रकमें लोग सेविंग्ज बैंक्स में जमा कर लेते हैं और उससे उनको छोटी मोटी बचत करने की और अपना जमा रुपया निकालने की जो कठिनाई होती है वह उससे दूर हो जाती है, इस दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है मगर जैसा अभी हमारे मित्रों ने कहा कि इसका प्रयोजन बिल्कुल नष्ट हो जाता है जब हम इसको बड़े-बड़े शहरों तक सीमित करने की चेष्टा करते हैं । असल में यह सुविधा गांव वालों को मिलनी चाहिये । दो बातें मुझे आवश्यक जान पड़ती हैं जो कि की जानी चाहियें । पहली बात तो यह कि ऐसे पोस्ट आफ़िस जहां सेविंग बैंक का काम चल रहा है वहां सब जगह यह चैक प्रणाली चलाई जाये । विधेयक के अनुसार इस बैंक प्रणाली को अभी आप केवल बड़े-बड़े शहरों तक जैसे बम्बई आदि नगरों तक ही सीमित रखना चाहते हैं और वहां इसको एक्सपैरीमेंट करके देखना चाहते हैं और अभी सारे पोस्ट आफ़िसेज में जहां सेविंग्ज बैंक्स हैं वहां यह चैक प्रणाली जारी नहीं होगी । मेरी राय में तो इससे जो विधेयक की मंशा है वह ही पूरी नहीं होगी और मेरी समझ में उन सारे पोस्ट आफ़िसेज में जहां सेविंग्ज बैंक्स काम कर रहे हैं, वहां चैक की प्रणाली जारी होनी चाहिये । दूसरे मेरा कहना है कि खाली इतने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि आज जो पोस्ट आफिसेज सेविंग्ज बैंक्स का काम नहीं कर रहे हैं उनको भी सेविंग्स बैंक्स का काम करने वाले पोस्ट आफिसेज बनाने चाहियें, इस सुविधा को दूर से दूर ले जाने की चेष्टा करनी चाहिये और अधिक से अधिक गांवों में इसको फैलाने की चेष्टा करनी चाहिये । इस सुविधा को जो सेविंग्ज बैंक का काम कर रहे हैं, उन्हीं पोस्ट आफिसों तक सीमित करना ठीक नहीं है और विधेयक के अनुसार आप इस चैक प्रणाली को जो केवल कुछ बड़े-बड़े नगरों तक ही सीमित रख कर एक्सपैरीमेंट करना चाहते हैं तो जो सुविधा आप इसके ज़रिये देना चाहते हैं वह सुविधा लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती और फिर यह एक बेकार चीज हो जाती है और जैसा कि अभी तिवारी जी कह रहे थे कि इस सुविधा का गांवों के अन्दर विस्तार किया जाय और उनको बैंक माइंड बनाया जाय ताकि वह अपना पैसा जमा करें और ज़रूरत पड़ने पर इसको निकाल सकें, इस सुविधा का विस्तार हो जाने से उनको इस दिशा में बड़ी शिक्षा मिलेगी । अभी हमारे मित्र श्री शिब्बन लाल सक्सेना कह रहे थे कि गावों में अगर वही नकल बर्त करके हम अंग्रेजी में "चैक" रख देंगे तो मुनासिब नहीं होगा बल्कि वह रीजनल भाषा और हिन्दी भाषा में होना चाहिये, इसमें कम से कम अंग्रेजी को खैरबाद कहें ।

अभी हमारे एक भाई श्री एस० एन० दास क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में कह

[श्री अलगूराय शास्त्री]

रहे थे । वह सब इसमें लिखा हुआ है । मैं अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव से कह रहा था कि हमें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो मिट्टी का बरतन होता है उसमें अगर एक बार घी या तेल आप रख दीजिये तो फिर जन्म भर वह जाता नहीं चाहे सौ मन साबुन से धो डालिये वह जाता नहीं, ठीक उसी तरह हमारी इस दासता की मनोवृत्ति की कहानी है, इस के कारण बहुत सारी भावनाओं को हमने कुछ ऐसे चिपका लिया है कि हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते । अब समय आ गया है कि हम कम से कम छोटे मोटे अवसरों पर इन चीजों से बचने की चेष्टा करें और एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण जनता के सामने और अपने सामने रखें और हमें अपने को इस दूषित दासता की मनोवृत्ति से बचाना चाहिये ।

मैं क्रिसमस डे की छुट्टी के बारे में जो ऐसा कह रहा हूं तो वह किसी विशेष नफरत की भावना से नहीं कह रहा हूं । मैं तो यही कह रहा हूं कि वह जो एक गुलामी की मनोवृत्ति लकीर के पीछे चलने की है उससे हमें बचने की चेष्टा करनी चाहिये थोड़ी अपनी दृष्टि में उदारता लाने की आवश्यकता है, जरा आगे बढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ी बोल्डनेस की जरूरत है और बहुत सी चीजों में जो एक कायरता का हमारा भाव होता है उसको दूर करने की आवश्यकता है ....

श्री कामत : यू० पी० का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री अलग राय शास्त्री : यू० पी० में कायरता का नामोनिशान नहीं है । अब वह महाराष्ट्र की तरफ चली गई है ।

श्री कामत : मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं ?

श्री अलगू राय शास्त्री : समय बदल गया है, कामत साहब माफ करें अगर मैं कहूं कि वह उन्हीं तक सीमित है ।

अब मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता । केवल एक चीज की ओर और सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस विधेयक में यह कहा गया है कि यह उस समय से कार्यान्वित होगा जब सरकार इस को गजट में प्रकाशित करेगी, ठीक है आमतौर से विधेयकों की भाषा यही होती है कि जब सरकार इसको चालू करेगी तब से चलेगा मगर मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस को जल्दी चालू करे और शीघ्र से शीघ्र इसको चलाने की चेष्टा करनी चाहिये । ऐसा न हो कि यह विधेयक यहां से पास हो कर पड़ा रह जाय, जाहिर है कि सरकार ने इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता अनुभव की है तभी वह यह विधेयक लाई है और मैं सरकार से इसके शीघ्र से शीघ्र जारी करने के लिये अनुरोध करता हूं ।

एक तो मैं यह चाहता हूं कि यह चेक प्रणाली की सुविधा उन तमाम पोस्ट आफिसेज में दी जाय जहां कि सेविंग्स बैंक्स का काम चलता है, उन सब में तो यह लागू की ही जाय और इसके अलावा रूरल एरियाज में जो पोस्ट आफिसेज फैले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स बैंक्स का काम करने वाले पोस्ट आफिसेज बनाने की चेष्टा की जाय ताकि जनता की सेवा हो सके । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा है कि राष्ट्रीय बचत का अधिक अंश डाक घर बचत बैंकों के द्वारा प्राप्त होता है । इस के सम्बन्ध में विचार करने के लिये सरकार ने एक ग्राम्य बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की थी ।

और उसी जांच समिति ने यह सिफारिश दी है ताकि इन डाक घरों को चैकों के द्वारा धन जमा करने और निकालने की सुविधा दी जाय । परन्तु मंत्री महोदय का यह कथन है कि इस विधेयक से केवल बम्बई नगर को ही लाभ पहुंचेगा । मैं यह पहेली नहीं समझ सका । लगभग सभी सदस्यों ने यही इच्छा प्रकट की है कि ग्राम्य क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी जाय, न कि नगरीय क्षेत्रों को । ग्राम्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को धन के सम्बन्ध में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे बेचारे धनपतियों के हाथों में फंस जाते हैं । इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि केवल ग्राम्य क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी जाये । परन्तु यह विधेयक तो केवल बम्बई नगर पर ही लागू किया जा रहा है । यह पूर्ण रूप से अनुचित है, यह अन्याय है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अपना विचार बदल देंगे और इसे केवल ग्राम्य क्षेत्रों में ही लागू करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं इस बिल के मौके पर श्री गुह साहब को अपने दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उनके हिस्से में यह चीज आई है कि वह हमारे देश में नई नई चीजें शुरू करें। जैसा श्री नारायण दास ने अभी फर्माया, यह नई चीज बहुत अर्से के बाद गांवों के अन्दर आ रही है । एक वक्त था जब कि हम कहानियां सुनते थे कि २०० रु० जमींदार साहब की बकरी चर गई । बात यह है कि उन के नोट पड़े थे, रखना उनको आता नहीं था । आप शायद न जानते हों कि गांव के लोग छोटी-छोटी हांडियों में अपना रुपया रक्खा करते हैं, दीवारों में आले और ताक बना कर रखते हैं । यह पुराना तरीका चला आ रहा है । पुराने जमाने में लोगों के पास रुपया थोड़ा होता था, अब मैं उम्मीद करता हूं कि गुह साहब की मेहरबानी से हालतें बदलेंगी । मैं समझता हूं कि जब आप उनको सेविंग्स बैंक दे रहे हैं तो उन बैंकों में रखने के लिये रुपये भी देंगे । कहीं आप ऐसा न करें कि गांव में सेविंग्स बैंक तो हों लेकिन लोगों के पास रुपये न हों । जब तक गांव के लोगों के पास रुपये नहीं होंगे तब तक आप के सेविंग्स बैंक किस काम के होंगे ? आप ने कुछ अर्सा हुआ कहा था कि हिन्दुस्तान में आप स्टेट बैंक की ४०० शाखें खोलेंगे ; मुझे उम्मीद नहीं है कि वह सारी की सारी ४०० शाखें बड़े-बड़े शहरों और मंडियों में ही खुलेंगी । उन में से एक बड़ा हिस्सा गांवों में भी खुलेगा, ऐसा मैं समझता ।

श्री ए० सी० गुह : जरूर ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस वास्ते मैं ख्याल करता हूं कि यह जो आप के सेविंग्स बैंक हैं वह एक माने में शुरूआत करते हैं लोगों को तालीम देने की । जहां-जहां आप के पोस्ट आफिस होंगे वहां-वहां आप सेविंग्स बैंक खोलेंगे मैं इस की बड़ी भारी एजुकेटिव वैल्यू देखता हूं । आप लोगों को बतायेंगे कि रुपया किस तरह रक्खा जाये । मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं जैसे कि जमींदार की बकरी २०० रुपया चर गई, एक अभी कुछ दिन का केस है कि एक आदमी के बच्चे ने उस की सारी उमर की कमाई ४०० रुपये चूल्हे में आग में डाल दिये । उस शख्स के पास वही असासा था, उस शख्स ने गुस्से में आकर बच्चे को चूल्हे में डाल दिया । गांव में अभी जरूरत है कि वहां के लोगों के अन्दर बैंकिंग माइन्डेडनेस हो । जब आप रूरल क्रेडिट कायम करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप गांव वालों की भी मदद करेंगे बशर्ते आप बम्बई को छोड़ कर किसी गांव में जायें ।

जैसा अभी डा० सुरेश चन्द्र ने फर्माया था, मैं भी अर्ज करना चाहता हूं कि ओरिजिनल आइडिया यही था कि जो बैंक खोले जायें वह छोटे कस्बों या गांवों में खोले जायें जिस से

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वहां के पोस्ट आफिस गांव के आदमियों को रुपया जमा करने और निकालने की आदत पड़े । आज क्या होता है कि एक विदड्राल फार्म होता है, उस के दस्तखत के आइडेन्टिफिकेशन के लिये आदमी जा रहा है, वह खुद जाय तो जाय, ऐसा नहीं है कि उस का मुख्तार या जिसको वह चेक दे दे जाकर पया ले आये । अब चेक देने का मतलब यह होगा कि हर एक आदमी को अख्त्यार होगा कि वह बेअरर चेक दे दे और उसका रुपया कैश हो जायगा । इस तरह से जो इस का एजुकेटिव असर होगा उस पर मैं ज्यादा जोर देता हूं । आज तो किसी गांव वाले के पास न रुपया ही होता है और न रखने के वास्ते इन्तजाम, लेकिन जब माली हालत उनकी अच्छी होगी, आज भी वह अच्छी होती जा रही है तो उन की जरूरतें बढ़ेंगी और जरूरतें बढ़ने से उनका स्टैन्डर्ड बढ़ेगा । यह बात सच है कि आज वह इस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगेंगे कि गवर्नमेन्ट उन के रुपये की सेविंग के लिये यह क़ायदा बना रही है, और आखीर में आप देखेंगे कि उन में रुपये की सेविंग की आदत आ जायेगी । आप के जो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स हैं उनके वास्ते आप रास्ता साफ कर रहे हैं क्योंकि सेविंग्स तभी बढ़ेंगी जब कि सेविंग्स बैंक होंगे । इस वास्ते जो आप यह नई चीज रख रहे हैं उसका असर मुझे बहुत दूर दूर तक मालूम हो रहा है और गांव के लोग इस से पूरा पूरा फायदा उठायेंगे । लकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अगर आप इसको शहरों तक ही महदूद रक्खेंगे तो आप चाहे इस को जारी करें या न करें, इस से कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है । हां अगर आप गांव के अन्दर भी इस को ले जायेंगे तो यह स्कीम जरूर फायदेमन्द साबित होगी ।

दूसरी चीज जिस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि जैसा अभी श्री अलगू राय शास्त्री जी ने कहा, मैं खुश हूं कि हम उस पुरानी खराब संस्कारों की रट में से निकलने लगे हैं जो कि पुरानी रट है ? इसके लिये भी मैं श्री गुह साहब को मुबारक बाद देता हूं । मुझे इस से मतलब नहीं है कि इतनी छुट्टियां कम हो गईं या ज्यादा हो गईं, लेकिन जो पुरानी चीजें अंगरेजों के ज़माने से हमारे विरसे में आ गई थीं, आहिस्ता आहिस्ता हम उनसे निकलने लग गये हैं और हमारा आउटलुक नैशनल बनता जा रहा है । इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

श्री ए० सी० गुह: मुझे प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है । एक भी आवाज़ विरोध में नहीं सुनी गई । मैं ने यह भी देखा कि प्रायः सभी सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी चेक प्रणाली का विस्तार करने का अनुरोध किया है । मैं यह कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी उनकी राय से सहमत हूं । मैं भी यह महसूस करता हूं कि इस प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किया जाय । परन्तु माननीय सदस्यों को विदित होगा कि इस कार्य का संचालन दो मंत्रालयों द्वारा होता है, वित्त मंत्रालय तथा यातायात मंत्रालय द्वारा । मैंने श्री जगजीवन राम से भी बात की थी । वे भी व्यक्तिगत रूप से वैसा ही विचार रखते हैं । परन्तु कुछ प्रशासकीय बातें हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव । प्रशासकीय नहीं वित्तीय । हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते ।

श्री ए० सी० गुह : वहां बैठने वाले सदस्य प्रायः मेरी भूल चूकों की ओर संकेत

करते रहते हैं जो मैं ने उस समय की थीं जब कि मैं उस स्थान पर बैठता था । कल श्री झुनझुनवाला भी अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में कह रहे थे कि मैं जब वहां बैठता था तो क्या कहा करता था । एकमात्र कठिनाई यह है कि वे "लेकिन" को भूल जाते ह । वे सदा यही कहते हैं कि यह काम किया जाना चाहिये । मैं स्वयं भी उनकी सी भावना रखता हूं । लेकिन उनका मस्तिष्क प्रशासकीय कठिनाइयों की ओर नहीं जाता । उन्हें महसूस करना चाहिये कि १२,००० डाकघरों में सेविंग्ज बैंक का कार्य हो रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें ऐसें जटिल काम को संभालने के योग्य कभी भी नहीं कहा जा सकता । श्री एन० बी० चौधरी नें सेविंग्ज़ बैंक के सम्बन्ध में अनेकों गबनों तथा अन्य बातों का उल्लेख किया । मुझे हर्ष है कि डाकघरों के सेविंग्ज़ बैंक में अधिक कपट नहीं हुआ है । परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कपट हुआ है । हमें ऐसे कपटों को रोकना होगा । इसके पूर्व कि यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में चालू की जाय हमें कर्मचारियों को एक बड़ी संख्या में प्रशिक्षित करना होगा । प्रशिक्षण के लिये भी हमें योग्य व्यक्तियों को चुनना होगा जो चेक प्रणाली को संभालने की कला भली प्रकार सीख सकें । १२०० ग्रामों में इस प्रणाली को संभालने के लिये आवश्यक कर्मचारियों का शिक्षण कोई सरल कार्य नहीं है । मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि यह किसी विशेष समय में किया जा सकता है । परन्तु मैं यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूं—केवल अपनी ही ओर से नहीं वरन् श्री जगजीवन राम की ओर से भी—कि हम यह भली प्रकार समझते हैं कि जब तक यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में चालू नहीं की जा सकती उसको बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और देहली जैसे शहरों में चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां पहले ही बैंक सम्बन्धी सुविधायें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह नहीं ऐसा आश्वासन दीजिये कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक शाखायें खोलने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे ।

श्री ए० सी० गुह : मैं यह आश्वासन दे सकता हूं जैसा कि मैं ने दूसरे सदन में कहा है कि हम यह प्रयत्न करेंगे कि लगभग एक वर्ष के समय में यह प्रणाली बम्बई के अतिरिक्त कुछ अन्य नगरों में चालू हो जाय और हम यह भी देखेंगे कि यह प्रणाली यथाशीघ्र अर्ध-नागरीय क्षेत्रों तथा छोटे छोटे कस्बों में भी चालू हो जाय जिनकी आबादी २०,००० २५,००० तथा १०,००० हो । हम देखें कि हम अधिक शिक्षण केन्द्र खोल सकते हैं कि नहीं । हमने कुछ कदम उठाये है जिससे पोस्ट मास्टरों की योग्यता बढ़े और उन्हे यह कार्य सौंपा जा सके ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस प्रणाली को अन्य कस्बों में चाल करने के स्थान पर ग्रामों मे ही क्यों न चाल किया जाय ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि विभागातिरिक्त पोस्ट मास्टर इसके योग्य नहीं है

पंडित डी० एन० तिवारी : विभागातरिक्त पोस्टमास्टर नहीं आपके ब्रांच पोस्ट आफिस ।

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि श्री एस० एन० दास तथा अन्य सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने चेक प्रणाली के चालू करने की सिफारिश की थी और यह पूछा कि सरकार

[श्री ए० सी० गुह]

उस सिफारिश की अभी तक अवहेलना क्यों कर रही है । यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने चैक प्रणाली को चालू करने के लिये कोई निर्दिष्ट सिफारिश की थी । उसने केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पोस्टल सेविंग्ज बैंक के महत्व पर जोर दिया था और सिफारिश की थी कि सरकार को जांच करानी चाहिये कि इसको किस प्रकार से अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है और किस प्रकार से ग्रामीण जनता इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकती है । उस सिफारिश पर हमने एक विभागीय जांच समिति बनाई थी और उस समिति ने अनेकों सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । मैं समझता हूं कि आठ सिफारिशें तो स्वीकृत की जा चुकी हैं । एक सिफारिश यह है कि राज्य सरकार से जहां आवश्यकता हो कहा जाय कि वह ब्रांच पोस्ट मास्टरों का कार्य करने के लिये अध्यापक प्रदान करे । यदि हमें प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक ब्रांच पोस्ट मास्टरों का कार्य करने को मिल जायें तो मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कर्मचारीवर्ग से श्रीगणेश कर सकते हैं जो पोस्टल सेविंग्ज में चेक की जटिल प्रणाली को चला सकने में समर्थ होंगे । इसके पूर्व मैं समझता हूं कि इस प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्र में चालू करना अथवा चालू करने का प्रयत्न करना खतरनाक होगा ।

कुछ अन्य सिफारिशें भी हैं । मैं समझता हूं कि कुछ सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि सप्ताह में केवल एक प्रत्याहार रखा गया है । हम पहले से ही प्रयोगात्मक आधार पर अधिक से अधिक १००० रुपये तक के दो प्रत्याहारों की सिफारिश को कार्यान्वित कर रहे हैं । फिर कुछ सदस्यों ने प्रत्याहार की कठिनाइयों का उल्लेख किया है । मैं जानता हूँ कि कुछ कठिनाइयां हैं और हम उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । एक कदम यह है कि प्रत्याहारों के सम्बन्ध में सेविंग्ज बैंक पहिचान पत्र चालू किये जायें ताकि पोस्ट मास्टर जमा करने वाले की पहिचान कर सके जब हस्ताक्षर न मिले :

श्री एस० एल० सक्सेना। क्या आप कुछ ग्रामों में भी सूत्रपात नहीं कर सकते ?

श्री ए० सी० गुह : मुझे दुख है कि मैं कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सकता मैं केवल यह कह सकता हूँ कि मैं भी इससे सहमत हूँ कि इस प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किया जाय अन्यथा उसका कुछ मुख्य नगरों में चालू करना व्यर्थ है जहां कि बैंकिंग की सुविधायें पहले से ही उपलब्ध हैं :

श्री एस० एल० सक्सेना। प्रयोग कीजिये और कठिनाइयां देखिये ।

श्री ए० सी० गुह : सदस्यों ने कहा है कि प्रत्याहारों में कठिनाइयां हैं और ग्रामीण पोस्टल सेविंग्ज बैंकों में सेवा सन्तोषजनक नहीं है । कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, मैं मानता हूँ । लेकिन फिर भी पोस्टल सेविंग्ज बैंक देश में लोकप्रिय है जैसा कि पोस्टल सेविंग्ज बैंकों में हर साल जमा की जाने वाली रकमों के आंकड़े देखने से स्पष्ट होगा । १९४६–४७ में हमने १४२ करोड़ रुपये से प्रारम्भ किया था और आज हमारी जमा २५० करोड़ रुपये है जो कि लगभग दुगनी है । मैं समझता हूँ कि इस वर्ष के अन्त तक में वह २७० करोड़ रु० या उसके लगभग हो जायगी । इस तरह इन सात आठ वर्षों में जमा दुगनी हो गई है । इससे दिखाई देगा कि कुछ कठिनाइयों के बावजूद भी जनता ने अपने प्रयोजन के लिये इस संस्था को काफी लाभकारी एवं सहायक पाया है और उसको काफी प्रयोग में ला रही है ।

मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने और किसी बात का उल्लेख नहीं किया है : प्रायः सभी सदस्यों ने एक ही विषय पर विचार व्यक्त किये हैं कि इस प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में भी चालू किया जाय । मैं फिर से कहता हूँ कि मैं उनकी भावना के साथ हूँ और मैं देखूंगा कि यथाशीघ्र इस प्रणाली को अन्य क्षत्रों में भी —ग्रामाण क्षेत्रों में नहीं तो अर्ध नागरीय क्षेत्रों में ही— शुरू किया जाय ।

(सभापति महोदय द्वारा विचार प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : चूंकि किसी भी खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं सब खण्डों, अधिनियम सूत्र एवं शीर्षक पर एक साथ ही मतदान लूंगा :

प्रश्न यह है कि खण्ड १ से ३, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक के अंग बने :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को पारित किया जाय :"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एस० एन० दास : मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव रखना चाहूँगा । जिस तरह से डाकघर खोलने में यह नियम है कि किसी भी व्यक्ति को डाकघर तक जाने में तीन मील से अधिक न चलना पड़े उसी प्रकार मैं यह सुझाव रखूंगा कि डाकघर सेविंग्ज बैंक तक जाने में किसी व्यक्ति को पांच मील से अधिक न चलना पड़े । मैं अनरोध करूँगा कि प्रारम्भ से ही इस दिशा में प्रयत्न किया जाय ।

मैं समझता हूँ कि यह योजना नागरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लिये लाभकारी होगी । इसलिये मैं ने जो सुझाव रखा है उसको कार्य में लाना बहुत आवश्यक है अन्यथा जिस प्रयोजन से ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने सिफारिश की थी वह सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसलिये मैं आशा करता हूं कि चैक प्रणाली ग्रामीण क्षत्रों में भी बहुत जल्दी चालू की जायेगी :

श्री ए० सी० गुह : मैं यही कह सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरा मत भी माननीय सदस्यों जैसा ही है और मैं उस के लिये भरसक प्रयत्न करूँगा ।

सभापति महोदय । प्रश्न यह है

"कि विधेयक को पारित किया जाय :"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये निम्न संशोधन पर विचार किया जाये :–

नया खंड १२-क

कि पृष्ठ ५ में पंक्ति १६ के पश्चात् नया खंड रखा जाये ।

" 12A. POWER TO EXEMPT The Central Government may, by notification in the Offical Gazette, and subject to such conditions as

[श्री करमरकर]

it may think fit to impose, exempt any spirituous preparation from all or any of the provisions of this Act on the ground that the spirituous preparation is ordinarily required for medicinal, scientific, industrial or such like purposes."

'१२ क. **विमुक्त करने की शक्ति :** केन्द्रीय सरकार, शासकीय सूचना पत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, किसी मद्यसारिक उत्पाद को इस अधिनियम के सब या किसी उपबन्धों से इस आधार पर नियुक्त कर सकती है कि वह मद्यसारिक उत्पाद साधारणतः औषधीय, वैज्ञानिक, औद्योगिक या ऐसे प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है ।"

यह संशोधन स्वयं स्पष्ट है अतः मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता । वादविवाद में कोई नई बात कहीं जायगी तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं अपने संशोधन सं० २ व ३ प्रस्तुत करूंगा और उन पर दस मिनट बोलूंगा ।

सभापति महोदय : आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु भाषण कल दीजियेगा ।

श्री कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

(१) प्रस्तावित खण्ड १२क में "औषधि सम्बन्धी" के आगे 'टायलेट' जोड़ दिया जाय ।

(२) प्रस्तावित नए खण्ड १२ क में—अन्त में जोड़ दिया जाय :

"और ऐसी अधिसूचना पहले से प्रयोग में आने वाली मादकता वस्तुओं के सम्बन्ध में उसी दिन जारी की जायेगी जिस दिन यह अधिनियम लागू होगा ।"

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुये ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक मध्य): क्या आज चर्चा जारी रहेगी ?

सभापति महोदय : नहीं ।

अखिल भारतीय क्रीड़ परिषद्

सभापति महोदय : इसके पूर्व कि यह आधे घण्टे की चर्चा प्रारम्भ हो मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री कितना समय लगे ?

डा० के० एल० श्रीमाली (शिक्षा उपमंत्री) : लगभग दस मिनट ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : मुझे यह चर्चा प्रारम्भ करते हुये बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि हमारे शिक्षा उपमंत्री का एकमात्र मनोरंजन व्यायाम ही है । मैं अपने भाषण में बहुत संतुलित रहने का प्रयत्न करूंगा ।

इस चर्चा की आवश्यकता मेरे कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों के कारण पड़ी । वे उत्तर पारस्परिक विरोधी थे जिसके परिणाम स्वरूप हम यह निश्चित नहीं कर सके कि अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् में क्या हो रहा है ? यह परिषद् बिना सदन को निर्देश किये निर्मित की गई थी । इसमें कुछ लाख रुपया खर्च भी हो चुका

ह । परिषद् के निर्माण की अधिसूचना में परिषद् के कार्य निम्नांकित बताये गये हैं —

"ऐसे अन्य कार्य तथा चीज़ें करना, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के सम्बन्ध में प्रासंगिक हों अथवा नहीं...."

में "अथवा नहीं" शब्दों को रेखांकित कर रहा हूं ।

"जैसे कि उसके उद्देश्यों की प्रगति के लिये आवश्यक हों ।"

आप लोगों को स्मरण होगा कि अनेक बार शिक्षा मंत्री के सभा सचिव श्री एम० एम० दास ने यह बताया कि परिषद् का कार्य मुख्यतः मंत्रणा देना है । परन्तु परिषद् के पत्र व्यवहार से प्रतीत होता है कि वास्तव में ऐसी बात नहीं है । एक पत्र में लिखा गया है कि अखिल भारतीय फुटबाल संघ भारत के क्रीड़ा संघों के सम्बन्ध में संभापति द्वारा ग्रहण किये गये स्थान के विषय पर खेद प्रकट करता है । ऐसा विचार अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के सभापति के पत्र के उत्तर में एक संघ ने, जिसका सभापति भी परिषद् का एक सदस्य है, व्यक्त किया है । हमें आश्चर्य होता है कि यह परिषद् क्या कर रही है । शिक्षा मंत्रालय के पास ऐसे कोई अधिकारी नहीं हैं जो खेलकूदों की प्राथमिक जानकारी भी रखते हों । स्वयं शिक्षा मंत्री भी उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । परन्तु शिक्षा मंत्रालय दूसरों द्वारा दी गई सलाह को नहीं मानता जैसा कि एक दिन पहले ही डा० श्रीमाली ने कहा था कि परिषद् एक प्रतिनिधि संस्था है और सरकार किसी से सलाह लेने का विचार नहीं रखती ।

अखिल भारतीय क्रीड़ा संघ का निर्माण कुछ अखिल भारतीय क्रीड़ा सस्थाओं के सभापतियों से हुआ है । ये सभापति अपरिपक्व खेलों के व्यावसायिक पदाधिकारी हैं । इस बात का तनिक भी प्रमाण नहीं है कि उनमें से अधिकांश ने खेलों के लिये कुछ किया हो । ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं । मैं उस पत्र के आधार पर कह रहा हूं जो श्री नवल एच० टाटा ने विभिन्न संघों को लिखा है जिसके उत्तर में फुटबाल संघ के मंत्री श्री दत्तराय का कहना है कि "आपने कहा है कि प्रशासन बड़ी बुरी दशा में है और पदाधिकारियों की तानाशाही मनोवृत्ति के कारण राष्ट्रीय संघों में सृजनात्मक नेतृत्व का अभाव पाया जाता है ।"

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के सभापति ने स्वयं अन्य संघटक संघों को पत्रों में लिखा कि इस देश में क्रीड़ा संघों के सभापति ऐसे हैं जो अनेक संगठनों से सम्बन्धित हैं । उदारहण के लिये मैं एक नाम बताऊं कि अखिल भारतीय फुटबाल संघ का सभापति हाकी संघ का सभापति भी है, बंगाल प्रान्तीय क्रीड़ा संघ का सभापति भी है, बंगाल ओर ओलम्पिक संघ का सभापति भी है तथा तैराक संघ का उपसभापति भी है ।

उनके पत्र से प्रतीत होता है कि इसके अतिरिक्त वह १५ और पदों का उत्तरदायित्व सम्भाले हुये हैं । ऐसे ही व्यक्तियों को लेकर अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् संगठित की गई है ।

सरकार कहती है कि उसने भारतीय ओलिम्पिक संघ से अपना प्रतिनिधि वापस बुला लिया है । इस संगठन के निर्माण के पीछे थोड़ा सा इतिहास है । मैं इस बात को पुनः कहता हूं कि एक सरकारी प्रतिनिधि ने, जो भारतीय ओलिम्पिक संघ के पुनर्गठन योजना से सम्बन्धित एक बैठक में उपस्थित था, मुझ से कहा था कि सदन में अनुत्तरदायी प्रश्न पूछे जा रहे हैं । उसने खड़े होकर कहा कि मौलाना साहब ने जो कुछ दिया है वह उसके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण

[श्री वी० पी० नायर]

दिया है । मैं ने इसका तीव्र विरोध किया था । श्री श्रीमाली इन बातों से अनभिज्ञ हैं । इस संस्था में विभिन्न खेल संगठनों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त राज्यों के प्रतिनिधि भी थे । फिर भी डा० श्रीमाली का यह कहना है यह अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् में अधिकतम प्रतिनिधान है । इसके लिये मैं डा० श्रीमाली को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि यह विषय उनके लिये नया है ।

मुझे विश्वास है कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम पचास वर्षों से शिक्षा मंत्री ने कभी भी किसी खेल के विषय में न तो सुना ही होगा और न किसी खेल को देखा ही होगा । इस कारण ऐसे लोगों को कोई भी गलत राय दे सकता है ।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं जिनका उल्लेख मैं डा० श्रीमाली से उत्तर प्राप्त करने के लिये कह रहा हूं । प्राथमिकतायें इस प्रकार हैं :

(१) अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा

(२) चुस्ती और शक्ति प्राप्त करने के लिये शारीरिक स्वस्थता का आदर्श स्थापित करना

(३) एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज की स्थापना

(४) शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को चालू करना

(५) शारीरिक शिक्षा में गवेषणा

(६) व्यायाम की विभिन्न अवस्थाओं के लिये यथोचित पाठ्यक्रम तैयार करना ।

मैं पूछता हूं कि क्या अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् ने इनमें से कुछ भी करने का प्रयत्न किया है ? यह कार्य बहुत जटिल और प्रविधिक प्रकार का है इस कारण इसको बड़ी कुशलता और अनुभव के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकेगा । प्रत्येक खेल में हम देखते हैं कि हमारा स्तर बहुत निम्न है, चाहे हॉकी हो चाहे फुटबाल हो चाहे कुश्ती हो । खेद है कि सरकार इसके लिये कुछ करती भी नहीं है । वह तो कुछ उच्च पदाधिकारियों की सम्मति मात्र पर चलना जानती है । अब यदि हम इस स्तर को उठाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है सामूहिक रूप से तैयारी करना । हमारे देश के युवकों और युवतियों को खेलों में करोड़ों की संख्या में भाग लेना चाहिये और फिर उनमें से खिलाड़ियों का चुनाव किया जाना चाहिये । इस प्रकार जो टीम बनेगी वह राष्ट्रीय टीम होगी जिस पर हम कुछ भरोसा कर सकेंगे । अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् के पास पूरे कर्मचारी तक तो हैं नहीं । इस तरह उन्नति नहीं हो सकती है । इसके नाम निर्देशित सभापति एक बहुत बड़े उद्योगपति श्री नवल एच० टाटा हैं जो अपना अधिकांश समय तो विदेशों में अपने व्यवसाय की व्यवस्था करने में लगाते हैं और कुछ दिनों के लिये जब वह भारत में रहते हैं तब भी उनसे मिलने के लिये महीनों पहले से कोशिश करनी पड़ती है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के व्यक्ति को जब अपने व्यवसाय से ही अवकाश नहीं मिल पाता है तो फिर वह खेल कूद की उन्नति और सुधार के उपायों पर कब ध्यान देगा ?

भारतीय ओलिम्पिक संस्था सर्वोच्च निकाय है और सरकार को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि विश्व ओलिम्पिक में हमारे देश की टीम तब तक भाग नहीं ले सकती जब तक कि भारतीय ओलिम्पिक संस्था इसके लिये प्रमाणपत्र न दे दे । यदि वह

गलत मार्ग का अनुसरण कर रही है तो उसे ठीक किया जा सकता है । अब मान लीजिये कि वह ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो क्या होगा ? इसमें सुधार किया जा सकता है । जितनी भी धन राशि इस पर व्यय के लिये दी जाती है उसके उचित उपयोग की जांच भी होनी चाहियें । शिक्षा मंत्रालय में खेलकूदों को भलीभांति जानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है । यह एक बहुत बड़ी कमी है जिसका दूर किया जाना आवश्यक है । यह समझना भूल होगी कि भारतीयों का शारीरिक स्तर अन्य देशों के स्तर से निम्न कोटि का है । यदि ठीक प्रकार से प्रयत्न किया जाय और छोटी अवस्था से नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाय तो कोई कारण नहीं कि हम इस मामले में पिछड़े ही रहें । यदि इस समस्या को जिस प्रकार सुलझाया जाना चाहिये वैसे ही प्रयत्न किये जायें तो हमारा देश विश्व के खेलों में विजयी हो सकता है ।

अब मैं इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा । सर्वप्रथम तो सरकार को यह चाहिये कि अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् को समाप्त कर दे । खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करे । रेलवे, डाक तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को खेलों में भाग लेने के लिये तैयार करे । मैं देखता हूं कि विनय नगर और लोधी बस्ती में, जिनमें लगभग ४० हजार व्यक्ति रहते हैं, एक भी बॉलीबाल का मैदान नहीं है, जब कि दूसरी ओर नर्थ एवेन्यू में २०० संसद् सदस्यों के लिये हजारों रुपये व्यय करके एक क्लब खोला गया है । अतः इन्ही कारणों से खेलों में उन्नति हो पाती है । मैं देखता हूं कि सरकार स्टेडियमों की संख्या में वृद्धि करने के लिये भी कुछ नहीं कर रही है ।

अन्त में मैं डा० श्रीमाली से निवेदन करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं पहले उनको कार्यान्वित कराने का प्रयत्न करें और किसी ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रालय में रखें जो अखिल भारतीय खेल-कूद का व्यक्तिगत ज्ञान रखता हो ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम खेल कूदों के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार के खेल विशारद चाहते हैं और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य में सुधार भी करना चाहते हैं । अतः क्या इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय एक नियमित योजना को बनाने में परस्पर सहयोग देंगे ?

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, उसकी कितनी बैठकें हुई हैं और क्या कार्यक्रम उसने बनाया है । श्री वी० पी० नायर द्वारा परिषद् के सभापति पर लगाया गया आरोप उचित है ? मैं समझता हूं कि उनका कथन अतिशयोक्ति पूर्ण था । मैं माननीय मंत्री से इस विषय में जानना चाहूंगा कि क्या ये बातें ठीक हैं । क्या शारीरिक शिक्षा के लिये कालेज स्थापित करने की योजना बन चुकी है ? इन बातों का उत्तर मैं उनसे चाहता हूं ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : जैसा कि श्री वी० पी० नायर कह चुके हैं कि एक अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् है । इससे पता यह लगता है कि देश भर के समस्त खेलों का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, किन्तु मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि दो मंत्रालयों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति क्यों दी गई है ।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर-उत्तर): क्या विभिन्न प्रकार के खेल कूद

[डा० एस० एल० सक्सेना]

के विशारदों को भी अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् में सम्मिलित करने की कोई योजना है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : सर्वप्रथम मैं श्री वी० पी० नायर को इस महत्वपूर्ण विषय—अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद्—पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिये बधाई देता हूं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में खेलों का अत्यन्त महत्त्व होता है। मैं स्कूल में या कालेज में कहीं भी खिलाड़ी नहीं रहा हूं और इसी कारण श्री वी० पी० नायर तथा अन्य सदस्यों की भांति मैं खेलों में उतना निपुण नहीं हूं किन्तु २४ वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में रहने के कारण इतना अवश्य अनुभव करता हूं राष्ट्र और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है।

मेरे मित्र श्री वी० पी० नायर ने शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय के अन्य पदाधिकारियों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट की है। मैं न तो कुछ व्यक्तिगत आक्षेप करना चाहता हूं और न इस सम्बन्ध में कुछ कहना ही चाहता हूं क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत सम्मति है।

अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य खेल कूद के क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का समन्वय करना था। सरकार का उद्देश्य विभिन्न खेल कूद संस्थाओं के उत्तरदायित्वों को अपने हाथ में लेना नहीं था। ये संस्थायें इस क्षेत्र में बहुत दिनों से कार्य कर रही हैं और हम इस बात के इच्छुक हैं कि यथा सम्भव खेल कूद के क्षेत्र में ऐच्छिक प्रयत्न किये जाने चाहियें। जितने ही अधिक ऐच्छिक प्रयत्न किये जायेंगे राष्ट्र का उतना ही हित होगा क्योंकि लोकतन्त्रात्मक समाज में न तो शिक्षा के क्षेत्र में और न खेल कूदों के क्षेत्र में ही हम किसी प्रकार के बल का प्रयोग करना चाहते हैं।

अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् की स्थापना करने का मुख्य प्रयोजन जैसा कि मैं कह चुका हूं विभिन्न खेल कूद संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करना और एक ऐसे निकाय की स्थापना करना था जो खेल कूद विषयक आयोजन के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श दे सके। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर ने स्वयं कहा है खेल संगठनों की अवस्था पूर्णतः ठीक नहीं है। मैं उन संगठनों के बारे में उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जिसका उन्होंने किया है किन्तु इन संगठनों की स्थापना की पद्धति तथा इनके कार्य संचालन की प्रक्रिया में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। इस मामले में सरकार क्या सहायता दे सकती थी ? इन खेल संगठनों की रचना और नीतियों पर जोरदार प्रभाव डालने का सरकार के पास एक ही मार्ग था कि केन्द्र में एक प्रतिनिधि निकाय स्थापित किया जाये जो कि खेल के क्षेत्र की समस्त कार्यवाहियों का समन्वय कर सके और साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीय चरित्र के लिये खेलों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है इसके सम्बन्ध में सरकार को मंत्रणा देने वाले एक केंद्रीय संगठन का कार्य भी कर सके। इसी उद्देश्य के लिये अखिल भारतीय खेल परिषद् स्थापित की गई थी। मंत्री महोदय ने खेल संघों के विभिन्न प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था और यह प्रस्ताव रखा था, क्योंकि हमारा विचार था कि ये लोग खेलों में दिलचस्पी रखते थे। मंत्री महोदय ने सम्मेलन के सामने अखिल भारतीय खेल परिषद् का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सुझाव दिया कि यदि सदस्यों को

कोई आपत्ति हो या वे कोई सुझाव देना चाहते हों तो वे सरकार को बता सकते हैं । कुछ समय पूर्व---मैं समझता हूं साढ़े तीन महीने पूर्व---जब दूसरी बैठक बुलाई गई थी तब अकस्मात् ही भारतीय ओलिम्पिक एसोसियेशन के प्रधान महाराजा पटियाला ने कुछ आपत्तियां कीं । यह आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि यदि उन्हें कुछ आपत्तियां थीं तो उन्हें बैठक समवेत किये जाने से पूर्व बतानी चाहिये थीं ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा यह उद्देश्य था कि बैठक में अखिल भारतीय परिषद् जैसे किसी संगठन का सुझाव दिया गया था इस बैठक में ओलिम्पिक एसोसियेशन की पुनःसंस्थापना की योजना पर विचार किया गया था और वह योजना ओलिम्पिक एसोसियेशन में शिक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की गई थी । ओलिम्पिक एसोसियेशन ने उसे अस्वीकार कर दिया था किन्तु बाद में वही योजना सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई । मेरा यह अभिप्राय है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं स्वयं दो तीन बैठकों में उपस्थित रहा हूं ।

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं वह घटना क्रम बता रहा था जिससे कि सभा के समक्ष स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाय कि इस संगठन को स्थगित करने में सरकार का क्या उद्देश्य था । ओलिम्पिक एसोसियेशन के प्रधान ने उस बैठक में आपत्तियां कीं । अतः हमें कुछ आश्चर्य हुआ क्योंकि हमें यह आशा नहीं थी कि जो सदस्य पहली बैठकों में उपस्थित रहा था और जिसने इस सारी अवधि में कभी भी कोई आपत्ति न की हो वह आगामी बैठक में आपत्ति प्रस्तुत करेगा । तथापि सदस्यों का बहुमत इस पक्ष में था कि एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करना लाभदायक होगा और ऐसी केन्द्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता है । क्योंकि भारती ओलिम्पिक एसोसियेशन का नाम लिया गया है इसलिये म श्री वी० पी० नायर को आश्वासन देता हूं कि हम मानते हैं कि इस एसोसियेशन ने पहले लाभदायक सेवायें की हैं और यह भविष्य में भी लाभदायक सेवायें करने योग्य है । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि सहायता या वित्तीय सहायता की प्रार्थना की जायगी, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

माननीय सदस्य ने इस सभा में एक दो बातें कही हैं। उन्होंने मुझे से पूछा है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया है । हाल ही मे १९५३ में, हमने केन्द्रीय शारीरिक मंत्रणा बोर्ड स्थापित किया था । यदि माननीय मित्र को दिलचस्पी है---मैं जानता हूं उन्हें दिलचस्पी है---तो मैं उनसे इस बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों को पढ़ने का निवेदन करूंगा । हमने कई समितियां बनाई हैं जो शारीरिक समुपयुक्तता के निश्चित आदर्शों की प्राप्ति के लिये काम कर रही हैं और राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। वास्तव में, यह प्रस्ताव काफ़ी समय से विचाराधीन है, किन्तु पर्याप्त धन न होने के कारण उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है । किन्तु वह प्रस्ताव हमारे सामने है और जब धन उपलब्ध होगा तो उस संस्था को स्थापित कर दिया जायगा ।

एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का समन्वय होना चाहिये । मैं नहीं समझता कि मन और शरीर का विभाजन कैसे किया जा सकता है? स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मंत्रालयों को प्रौढ़ और बालक के समस्त व्यक्तित्व का विकास करने के हेतु मिल कर काम करना

[डा० के० एल० श्रीमाली]

चाहिये । हम शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों की पृथक् पृथक् सीमायें निश्चित नहीं कर सकते ।

श्री जयपाल सिंह ने राजकुमारी योजना के बारे में प्रश्न पूछा है । मैं इस समय उसका उत्तर देने में असमर्थ हूं । यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें, तो मैं उस का उत्तर दने का प्रयत्न करूंगा । मेरा यह मत है कि स्वास्थ्य और खेलों के क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय को इकट्ठे काम करना होगा । यह साझा क्षेत्र है जिसमें दोनों मंत्रालय एक साथ मिल कर काम कर सकते हैं । दोनों मंत्रालयों में घनिष्ठतम सहयोग होना चाहिये ।

यदि हम परिषद् की रचना पर ध्यान दें तो मालूम होगा कि हमने इसे यथासम्भव प्रतिनिधि बनाने का प्रयास किया है । इसका प्रधान भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा । परिषद् द्वारा मान्य समस्त राष्ट्रीय खेल संगठनों के प्रधान इसके सदस्य होंगे—इस समय उन में से २३ हैं—और विशिष्ट निकायों अर्थात् अन्तर्विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, सेना खेल नियंत्रण बोर्ड और भारतीय रेलवे खेल एसोसियेशन के प्रधान भी इसके सदस्य हैं । भारतीय ओलिम्पिक एसोसियेशन का प्रधान भी इसका सदस्य है, इसलिये श्री नायर यह नहीं कह सकते कि हमने इस एसोसियेशन को विशेष मान्यता नहीं दी है । नेशनल स्पोर्ट्स क्लब आफ़ इण्डिया का प्रधान भी इसका सदस्य है तथा केन्द्रीय सरकार पांच से अधिक सदस्यों का नामनिर्देशन नहीं कर सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे अधिक इस परिषद् को और कितना प्रतिनिधित्व बनाया जा सकता है। संसद् के सदस्य नामनिर्देशित सदस्यों के रूप में कार्य कर सकते हैं । जैसा कि मैं ने कहा, जो सदस्य खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, जैसे श्री नायर, श्री जयपाल सिंह, और श्री डी० सी० शर्मा जो पुराने शिक्षा विशारद हैं, उनके सुझावों का निश्चय ही स्वागत किया जायेगा । मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिये खेलों के माध्यम का उपयोग करना है ।

यदि हम खेलों की उचित व्यवस्था कर सकते हैं तो अन्तर्साम्प्रदायिक तनाव और ऐसे ही कई प्रकार के तनाव, जो अब समाज में वर्तमान हैं, दूर किये जा सकते हैं । युवकों की शक्तियों का उचित दिशा में उपयोग किया जा सकता है । यदि हम अपने खेलों की उचित व्यवस्था कर सकें, तो ऐसा हो सकता है । मुझे विश्वास है कि हमें इस अखिल भारतीय खेल परिषद् को उचित रूप में चलाने के लिये सभा का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

मैं आपको, और विशेषकर उन सदस्यों को, जिन्होंने सुझाव दिये हैं, बहुत धन्यवाद देता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा, बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।